सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

किसानों की समृद्धि -हमारी प्राथमिकता

सुरक्षित एवं निरापद भंडारण तथा प्रतिभूत वित्तपोषण हेतु अपने उत्पाद को डब्लूडीआरए के पंजीकृत भांडागारों में जमा करवाएं

- माल की सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं एवं सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सुरक्षित भांडागार
- भांडागारों द्वारा सभी जोखिमों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु भंडारित सामग्री का अनिवार्य बीमा
- पंजीकृत भांडागारों द्वारा जालसाजी, छेड़छाड़ अथवा विकृति से मुक्त इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (इएनडब्लूआर) जारी करने की सुविधा
- किसानों/जमाकर्ताओं द्वारा नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद का प्रयोग करके बैंकों से प्रतिभूत वित्तपोषण की सुविधा।
- कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण पर किसानों के लिए निःशुल्क जागरूकता कार्यक्रम
- जमाकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण/विवाद समाधान

सत्यमेव जयते

डब्लू.डी.आर.ए
भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

चौथी मंजिल, एन.सीयू.आई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
I.	**सिंहावलोकन**	**1**
1.1	प्राधिकरण की स्थापना और निगमन	1
1.2	प्राधिकरण का गठन	1
1.3	संगठन	2
1.4	लक्ष्य दूरदृष्टि और उद्देश्य	2
1.5	परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता	3
1.6	प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य	3
1.7	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति	3
1.8	परक्राम्य भांडागार रसीद	4
1.9	परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभ	4
1.10	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर.)	4
1.11	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ	5
1.12	इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली के लाभ	5
1.13	प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना	5
1.14	प्राधिकरण की बैठक	5
1.15	भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी) की बैठक	5
1.16	प्राधिकरण की वैबसाइट	6
1.17	विज्ञापन एवं प्रचार	6
1.18	जागरूकता प्रशिक्षण तथा आउटरीच कार्यक्रम	6
II.	**कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा।**	**7**
2.1	खाद्यान्नों का उत्पादन	8
2.2	अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन	9
2.3	कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	9
2.4	केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद	11
2.5	गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद	11
2.6	दालों तथा तिलहनों की खरीद	11
2.6.1	मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.)	12
2.6.2	मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.)	13
2.6.3	निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस.)	14
2.7	भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति	14
2.8	भंडारण क्षमता में वृद्धि	15
2.8.1	कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.)	15
2.8.2	निजी उद्यमी गारंटी योजना	17

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.9	सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता	17
2.10	राष्ट्रीय कृषि मंडी (इ–नैम)	17
2.11	मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017	18
2.12	फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना	19
2.13	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश	20
2.14	इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद प्रणाली के संबंध में बैंकों का अभिन्यास	20
III.	**भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा**	**21**
3.1	प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई नई पहल	21
3.1.1	भांडागार पंजीकरण नियमों में संशोधन तथा अन्य अपडेट	21
3.1.2	आवेदन शुल्क आवश्यकताएं	23
3.1.3	पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता	23
3.1.4	पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण	24
3.1.5.	प्रतिभूति जमा	25
3.1.6	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट	27
3.1.7	छोटे भांडागारों के लिए छूट	28
3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का क्रियान्वयन	28
3.2.1	आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	29
3.2.2	भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में अन्य प्रावधान	30
3.3	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों के संबंध में अधिसूचना	30
3.4.	भांडागार रसीद/ स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ	31
3.5	पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर. जारी किया जाना	32
3.6	भांडागारों का पंजीकरण	32
3.7	तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति	34
3.8	भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण	35
3.9	भांडागारों की निगारानी तथा मॉनीटरिंग	35
3.10	निरीक्षण एजेंसियों के पैनल तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश	35
3.11	निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना	36
3.12	निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान	37
3.13	वर्ष 2021–22 में निरीक्षण अधिकारियों एवं जोड़े गए नए निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण	38

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
3.14	भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण	38
3.15	डब्लूडीआरए के साथ रिपोजिटरीज का पंजीकरण	39
3.16	इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदों का ई–नैम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण	40
3.17	भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम	41
3.17.1	भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा एनडब्लूआर/इ–एनडब्लूआर प्रणाली के लाभ।	41
3.17.2	भांडागारपालों/भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण।	44
3.18	प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रक्रियाओं तथा भांडागारों के विनियमन एवं इ–एनडब्लूआर इकोसिस्टम पर आउटरीच कार्यक्रम	45
IV	**भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना**	**48**
4.1	परिचय	48
4.2	रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ	48
4.3	रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ	49
4.3.1	गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण	49
4.3.2	भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना	49
4.3.3	रिपोजिटरिज को लाइसेंस देना तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की शुरूआत।	50
4.3.4	प्राधिकरण का आई टी इकोसिस्टम	51
4.3.5	2020–21 के दौरान आईटी प्लेटफॉर्म का विकास	52
4.3.6	डब्लू.डी.आर.ए. मे जोखिम प्रबंधन तथा बी.सी.पी./डी.आर.	53
V	**भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले**	**54**
5.1	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	54
5.2	प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य	54
5.3	प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन	55
5.4	राजभाषा क्रियान्वयन	55
5.5	स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन	56
5.6	प्राधिकरण के कार्मिको के लिए प्रशिक्षण	57
5.7	वर्ष 2020–21 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे	57
5.8	डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग	58
	अनुलग्नक–I वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए डब्लू.डी.आर.ए. लेखों का वार्षिक विवरण	59
	अनुलग्नक–II भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट	93
	अनुलग्नक–III 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग रिपोर्ट पर भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ	96

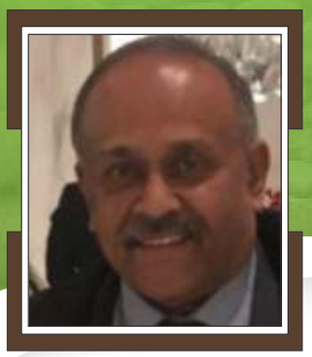

अध्यक्ष का वक्तव्य

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए अग्रसारित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भांडागारण (विकास एवं विनियामक) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियों नियम, 2010 के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को अग्रसारित करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ शामिल हैं। रिपोर्ट में समीक्षाधीन वर्ष में प्राधिकरण द्वारा चलाई गई गतिविधियों तथा विभिन्न मुद्दों पर की गई पहलों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधिकाधिक लाभों तथा सुरक्षा को देखते हुए रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण ने भांडागार रसीदों के विरूद्ध बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रणनीति पर बल दिया है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक परक्रम्य भांडागार रसीदों के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है। इसके अतिरिक्त डब्लूडीआरए ने वर्ष के दौरान भाडागारों के पंजीकरण तथा सभी हितधारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक भांडागार रसीदों के लाभों को बतानें के लिए अपने आउटरीच कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाया है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 में डब्लूडीआरए ने 64.99 लाख मी. टन क्षमता के 610 भांडागारो को पंजीकृत किया वर्ष के दौरान पंजीकृत भांडागारो द्वारा 8.62 लाख मी. टन स्टॉक के लिए 94737 इलेक्ट्रॉनिक परक्रम्य भांडागार रसीदों के विरूद्ध गिरवी वित्तपोषण 1492 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। प्राधिकरण ने अपने कार्यो के संबंध में जानकारी देने तथा इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभों के बारे में किसानों तथा जमाकर्ताओं को जागरूक करने के लिए 13 भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 177 किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 में संशोधनों के प्रस्तावों पर दो हितधारक कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया।

इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षित विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट भी शामिल है।

मुझे पूरा विश्वास है कि प्राधिकरण की विभिन्न पहलों के फलस्वरूप आने वाले समय में डब्लूडीआरए सभी हितधारकों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम रहेगा।

मनोज कुमार

(टी.के. मनोज कुमार)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.11.2022

अध्याय - I

सिंहावलोकन

1.1 प्राधिकरण की स्थापना और निगमन।

भारत सरकार द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 24 के अधीन 26 अक्तूबर, 2010 को भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जिसे आगे प्राधिकरण कहा गया है) की स्थापना प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम को क्रियान्वित करने तथा अधिनियम के तहत दिए गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए की गई थी ।

प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में, इसका किसी अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नहीं है। तथापि अधिनियम की धारा 24 में यह भी प्रावधान है कि प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

1.2 प्राधिकरण का गठन।

प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा गठित है। अधिनियम में प्रावधान है कि अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा लेकिन कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

श्री टी.के. मनोज कुमार ने 22 नवम्बर, 2021 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व श्री पी. श्रीनिवास द्वारा सदस्य तथा अध्यक्ष (प्रभारी) का पद छोड़ने के उपरांत श्री हरप्रीत सिंह, सदस्य को 10 जून, 2021 से अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौपा गया। श्री मुकेश कुमार जैन ने 23.03.2022 को डब्लू.डी.आर.ए. में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला

वर्ष 2021–22 में अध्यक्ष और सदस्यों की सूची नीचे दी गई है:

नाम	कार्य–अवधि
श्री टी.के. मनोज कुमार, अध्यक्ष	22.11.2021 से
श्री हरप्रीत सिंह सदस्य	21.02.2020 से सदस्य तथा 10.06.2020 से 21.11.2021 तक अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार
श्री पी. श्रीनिवास, सदस्य	10.01.2017 से 09.06.2021 तक सदस्य तथा 10.09.2019 से 09.06.2021 तक अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार
श्री मुकेश कुमार जैन, सदस्य	23.03.2022 से

1.3 संगठन।

प्राधिकरण में 31 मार्च, 2022 को स्वीकृत स्टाफ तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या रिपोर्ट के अध्याय–V में दी गई है।

1.4 लक्ष्य, दूरदृष्टि और उद्देश्य

प्राधिकरण का लक्ष्य पूरे देश में पंजीकृत भांडागारों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादों सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना, परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के एक प्रमुख साधन के रूप में विकसित करना तथा रसीद के विरूद्ध ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल तथा सुविधाजनक बनाना, साथ–साथ बैंको को अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार का अवसर देना तथा पंजीकृत भांडागारों में जमा की गई वस्तुओ के विरूद्ध ऋण देने में उनकी रूचि में वृद्धि करना है।

परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली का उद्देश्य पंजीकृत भांडागारों रसीदों पर जमाकर्ताओं तथा बैंको का न्यासीय विश्वास बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि करना, वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना, वित्त पोषण की लागत कम करना, छोटी एवं कुशल आपूर्ति श्रंखलाओं को बढ़ावा देना, ग्रेडिंग और क्वालिटी के लिए प्रतिफलों में वृद्धि करना और उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य जोखिम प्रबन्धन सुनिश्चित करना है, इसके फलस्वरूप किसानों को उच्च प्रतिलाभ तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ प्राप्त होगी। प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के माध्यम से बैंकों/गैर बैकिंग वित्तीय संस्थाओं से किसानों को गिरवी वित्त पोषण में सहायता मिलेगी तथा वे अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री करने से बच सकेंगें इन परक्राम्य भांडागार रसीदों का व्यापार करने सहित धारक द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। परक्राम्य भांडागार रसीद अन्य कई हितधारकों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कम्पनियों, व्यापार, कोमोडिटी एक्सचेंजों तथा उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो सकती हैं। यह अधिनियम परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार तथा वैधानिक समर्थन भी प्रदान करता है।

25 अक्तूबर,2010 को अधिनियम के लागू होने पर देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू हुई। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः

(i) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लू. डी.आर.ए) की स्थापना करना;

(ii) कृषि एवं बागवानी वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली शुरू करना;

(iii) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के लिए भांडागारों का पंजीकरण एवं विनियमन करना;

(iv) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के विनियमन के लिए आवश्यक प्रशासनिक आधार और वैधानिक समर्थन प्रदान करना;

(v) भांडागार रसीद को परक्राम्य बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और जमाकर्ताओं तथा बैकों का न्यासी विश्वास बढ़ाने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करना;

(vi) भांडागारपालों द्वारा कुप्रबन्धन तथा धोखाधड़ी अथवा जमाकर्ताओं के दिवालियेपन को रोकना

(vii) परक्राम्य भांडागार रसीद को व्यापार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करने सहित इसके विरूद्ध बैंको ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार तथा पंजीकृत भांडागार में जमा की गई वस्तुओं के विरूद्ध ऋण देने में उनकी रूचि में वृद्धि करना है।

1.5 परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण की आवश्यकता

अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति, जो भांडागारण का कारोबार करता है तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करना चाहता है, उसे प्राधिकरण से अपना भांडागार पंजीकृत कराना होगा। ऐसे भांडागार जिन द्वारा परक्राम्य रसीद जारी करना प्रस्तावित नही है, उन्हें भांडागार पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे भांडागार जो परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने के इच्छुक नहीं हैं, उनके लिए भांडागारों को प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

1.6 प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

अधिनियम की धारा 35 में प्राधिकरण की शक्तियों तथा कार्यों का प्रावधान है। प्राधिकरण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के विनियमन और क्रियान्वयन एवं भांडागारण व्यवसाय के सुचारू विकास के लिए अधिकृत है। प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं:—

(i) भांडागारपालो के लिए निर्धारित अपेक्षाएँ पूरी करने वाले आवेदकों को भांडागारों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना या पंजीकरण का नवीकरण करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना।

(ii) भांडागारपालों के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना।

(iii) भांडागारपालों तथा भांडागारण व्यवसाय में संलग्न कर्मचारियों के लिए अर्हताएँ, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना।

(iv) भांडागार में जमा माल को गिरवी रखने, प्रभारों के सृजन और उसके प्रवर्तन की प्रक्रिया विनियमित करना;

(v) माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता एजेंसियों के अनुमोदन हेतु मानक निर्धारित करने के लिए विनियम बनाना;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए शुल्कों और अन्य दर अवधारित करना और उनका उदग्रहण;

(vii) भाण्डागारों, प्रत्यायन एजेंसियों और भांडागारण के कारोबार से संबंद्ध अन्य संगठनों से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी शामिल है;

(viii) दरों, लाभों, निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करना जो भांडागारण कारोबार के संबंध में भांडागारपालों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएं;

(ix) विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत लेखाबहियाँ रखी जाएंगी और भांडागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएंगे;

(x) मध्यस्थों का पैनल रखना और भांडागारों और भांडागार रसीदधारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना;

(xi) भांडागारों में जमा प्रतिमोच्य (फंजीबल) वस्तुओं के रख–रखाव एवं हस्तांतरण के क्रेडिट शेष के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रणाली विनियमित एवं विकसित करना।

1.7 भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के बनने से पूर्व देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की स्थिति

भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 अधिनियमित होने से पूर्व भांडागारो द्वारा जारी भांडागार रसीदों के लिए जमाकर्ताओं तथा बैंकों के पास न्यासी ट्रस्ट नहीं था। भांडागारपाल द्वारा छल–कपट अथवा कुप्रबंधन अथवा जमाकर्ता के दिवालिएपन की स्थिति में ऋण की वसूली न होने का भय बना रहता था।

उपलब्ध कानूनी उपचार अपर्याप्त थे तथा उनमें समय लगता था। इसके अतिरिक्त परक्राम्य भांडागार रसीद का प्रारूप भी एक समान नहीं था। अतः परक्राम्य भांडागार रसीदों की परक्राम्यता में अड़चनें होने के कारण किसानों तथा सामान के जमाकर्ताओं के सामने काफी कठिनाइयाँ थीं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कृषि वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं के लिए एक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करने पर विचार किया गया।

1.8 परक्राम्य भांडागार रसीद

अधिनियम की धारा 11 में परक्राम्य भांडागार रसीद का व्यापक ढांचा दिया गया है। अधिनियम की धारा 12 में भांडागार रसीद की परक्राम्यता का प्रावधान उपलब्ध है। परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रपत्र को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आई.बी.ए) के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। भौतिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की पुस्तिकाओं का मुद्रण भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम द्वारा किया गया था और ये प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत भांडागारों को जारी की जा रही थीं। भौतिक परक्राम्य भांडागार रसीद की अद्वितीय विशेषताएँ जैसे उनकी प्रति तैयार नहीं कर सकना, अन्तहीन पाठ, शुद्ध रेखास्वरूप, इन्द्रधनुषी रंगों के साथ स्वच्छ मुद्रण इत्यादि हैं।

1.9 परक्राम्य भांडागार रसीदों के लाभः–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि;

(ii) वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, जिसके फलस्वरूप फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों में कमी

(iii) वित्तपोषण की लागत में कमी;

(iv) लघु तथा अपेक्षाकृत कुशल आपूर्ति श्रंखलाएँ;

(v) मानक अनुभाग, श्रेणीकरण और गुणवत्ता के लिए अधिक प्रतिफल;

(vi) बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन;

(vii) किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं (गुणवत्ता वाला सामान)।

1.10 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भंडारण रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर.)

अधिनियम की धारा 11 के अनुसार भांडागार रसीद लिखित में अथवा इलेक्ट्रोनिक रूप में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार भांडागार रसीद को भांडागारपाल अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (रेपोजिटरी सहित जो भी नाम दिया गया हो) द्वारा भंडारित माल के लिए, जिसका मालिकाना हक भांडागारपाल के पास नहीं है, लिखित में अथवा इलक्ट्रोनिक प्रारूप में प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा भांडागारण परामर्शदायी समिति (वेअरहाउसिंग एडवाइजरी कमेटी) की सलाह से प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में 29 जून, 2017 को डब्लू.डी.आर.ए. (इलेक्ट्रोनिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद) विनियम, 2017 जारी किए गए। इस विनियमों के अन्तर्गत जमा माल के विरूद्ध रेपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद जारी की जाती हैं।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रक्रिया का शुभारम्भ किया। परक्राम्य इलेक्ट्रोनिक रसीदें रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा पंजीकृत भांण्डागारों द्वारा जारी की जाती हैं। प्राधिकरण द्वारा यह भी अधिसूचित किया गया है कि 1 अगस्त, 2019 से सभी पंजीकृत भांडागार केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेंगे।

1.11 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रमुख विशिष्टताएँ

(i) इ–एन.डब्लू.आर. केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में उपलब्ध है।

(ii) इ–एन.डब्लू.आर. का एकमात्र स्रोत रेपोजिटरी प्रणाली है जहाँ से पंजीकृत भांडाागार द्वारा इ–एन. डब्लू.आर. जारी की जाती है।

(iii) रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इ–एन.डब्लू.आर. में उपलब्ध सूचना रेपोजिटरी प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है।

(iv) इ–एन.डब्लू.आर. की वैधता की एक समय सीमा है ।

(v) सभी इ–एन.डब्लू.आर. का ऑफ मार्केट अथवा कमोडिटी एक्सचेज प्लेटफामों पर ऑन–मार्केट व्यापार किया जा सकता है।

(vi) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे ऋण न चुकाना, समाप्ति, डिलीवरी न लेना तथा भांडागार में माल में क्षति तथा उसके खराब होने की स्थिति में इ–एन.डब्लू.आर. की नीलामी की जा सकती है।

(vii) इ–एन.डब्लू.आर. को सम्पूर्ण अथवा भाग में हस्तांरित किया जा सकता है।

1.12 इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली के लाभ।

(i) भांडागार रसीद में धोखाधड़ी / खोने / छेड़छाड से बचाव।

(ii) एक समान भांडागार रसीद के विरूद्ध एक से अधिक वित्तपोषण से बचाव।

(iii) मॉनीटरिंग लागत में कमी तथा बाजार भागीदारों में विश्वसनीयता का बढ़ना।

(iv) बाजार भागीदारों तक सुगम पहुँच, जिसके फलस्वरूप वे ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी भांडागार रसीद को देख सकते हैं एवं तदनुसार प्रबंधन कर सकते हैं।

(v) सामान के भौतिक रूप में संचलन के बिना अधिक संख्या में हस्तांतरण, जिससे वित्तपोषण हेतु सुगम पहुँच।

(vi) अंशतः बिक्री / गिरवी / वापसी के लिए परक्राम्य रसीद के विखंडन की सुविधा।

1.13 प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन तथा खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी) के सहयोग से एक रूपान्तरण योजना शुरू की थी जिसके अन्तर्गत अन्य के साथ–साथ प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की जाने वाली ई–एन डब्लू आर के सृजन तथा प्रबंधन के लिए लाइसेंसप्राप्त रिपोजिटरी के माध्ययम से एक ई–एन डब्लू आर प्रणाली की स्थापना पर विचार किया गया। रूपान्तरण की योजना का विवरण रिपोर्ट के अध्याय iv में दिया गया है

1.14 प्राधिकरण की बैठक।

रिपोर्ट वर्ष में प्राधिकरण की 5 अप्रैल, 2021, 4 जून, 2021, 28 फरवरी, 2022 तथा 30 मार्च, 2022 को बैठकें हुई, जिनमें प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, रेपोजिटरी, आई.टी. क्रियान्वयन, वित्त तथा मानव ससाधन संबंधी कार्यसूची पर विचार किया गया।

1.15 भांडागारण परामर्शदात्री समिति (डब्लू.ए.सी) की बैठक

वर्ष 2021–22 के दौरान भांडागारण परामर्शदात्री समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

1.16 प्राधिकरण की वेबसाइट

प्राधिकरण के गठन, कार्यों तथा गतिविधियों संबंध में समस्त सूचनाएँ इसकी वेबसाइट http://www.wdra.gov.in पर उपलब्ध हैं। नियमों तथा विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिसूचनाएँ, परिपत्र, दिशानिर्देश, रिक्तियों का विज्ञापन, निविदाएँ आदि नियमित रूप से वैबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएँ भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागारों को भी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट हिंदी में भी विकसित की है।

1.17 विज्ञापन एवं प्रचार।

किसानों तथा अन्य हितधारको में वैज्ञानिक भंडारण तथा परक्रम्य भांडागार रसीद इलेक्ट्रॉनिक परक्रम्य भंडागार रसीदों के लाभों के संबंध में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डब्लू.डी.आर.ए. की वैबसाइट पर https://wdra.gov.in/web / wdra / video-spot लिंक देते हुए दो वीडियो अपलोड किए गए।

1) आज़ादी का अमृत महोत्सव–भांडागारण पंजीकरण का महत्व तथा इएनडब्लूआर के लाभ

2) सुरक्षित भंडारण–समृद्ध किसान विडियो / फिल्म यू ट्यूब पर भी उपलब्ध हैं प्राधिकरण समय–समय चलाई गई अपनी गतिविधियो के बारे में सोशल मीडिया जैसे टिव्टर आदि का भी प्रयोग कर रहा है।

1.18 जागरूकता प्रशिक्षण तथा आउटरीच कार्यक्रम

प्राधिकरण प्रशिक्षण, जागरूकता तथा आउटरीच के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इनमें किसान जागरूकता कार्यक्रम (एफ.ए.पी), भांडागारपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विभिन्न हितधारकों जैसे बैंकर्स, व्यापारी, कमोडिटी एक्सचेंज, राज्य सरकारों के विभागों आदि के लिए आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2021–2022 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण अध्याय–III में दिया गया है।

अध्याय - II

2. कृषि विपणन एवं भांडागारण से संबंधित नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा

भूमिका

देश में कृषि–जलवायु की भारी विभिन्नताओं के कारण भारत के किसान भिन्न–भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। कृषि उत्पादन तकनीकों में परिर्वतन, परिवहन–साधनों में सुधार तथा भंडारण की सुविधाएँ एवं विपणन ढ़ांचे में बेहतरी के कारण कृषि अब एक वाणिज्यिक गतिविधि में परिवर्तित हो गई है। तथापि इस प्रकार के परिवर्तनों से इस क्षेत्र में काफी बिचौलिए भी आ गए हैं जिसके फलस्वरूप किसानों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं जबकि अन्य वस्तुओं के मूल्य साल–दर–साल बढ़ते रहे हैं। किसान यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उत्पादन बढ़ने के साथ–साथ उनके उत्पादों के लिए अच्छा बाजार होना भी आवश्यक है।

कृषि उत्पाद के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली से उम्मीद की जाती है:

i. प्राथमिक उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलने की व्यवस्था हो;

ii. किसानों के उत्पादों का रख–रखाव सही लागत पर हो तथा उस मंडी के लिए, जहॉ वे अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं, परिवहन की सुविधा हो;

iii. उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जा रहे मूल्य के बढ़ने के साथ–साथ उसमें किसान का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए;

iv. गुणवत्ता में समझौता किए बिना उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हों।

कृषि विपणन, फसल कटाई के बाद शुरू होने वाली कोई अलग गतिविधि नहीं है। अब इसे मुख्यतः एक ऐसी गतिविधि के रूप में समझा जाता है जो बेचने–योग्य कृषि उत्पाद के उगाने से शुरू हो जाती है तथा इसमें विपणन प्रणाली के सभी पहलू जैसे फसल एकत्रित करना, श्रेणीकरण, संग्रह, परिवहन तथा वितरण शामिल हैं। सम्पूर्ण विपणन श्रंखला में भांडागारण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में ऊपर वर्णित सभी पहलूओं पर ध्यान दिया जाता रहा है।

2.1 खाद्यान्नों का उत्पादन

उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों/पहलों के कारण स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् देश में खाद्यानों के उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है:–

तालिका 2.1

वर्ष	खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन मी. टन
1951-52	**50.82**
1961-62	**82.71**
1971-72	**105.17**
1981-82	**133.30**
1991-92	**168.38**
2001-02	**212.85**
2011-12	**259.29**
2015-16	**251.54**
2016-17	**275.11**
2017-18	**285.01**
2018-19	**285.21**
2019-20	**297.50**
2020-21	**310.74**
2021-22*	**314.51**

* 19.05.2022 को तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

'तालिका 2.2 मुख्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

फसल/समूह	उत्पादन (मिलियन टन में)		
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**
चावल	118.87	124.37	129.66
गेहूँ	107.86	109.59	106.41
न्यूट्री/मोटे अनाज	47.75	51.32	50.70
दालें	23.03	25.46	27.75
कुल	297.50	310.74	314.51

*19.05.2022 को तीसरे अग्रिमों अनुमानों के अनुसार

2.2 अन्य प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन

वर्ष 2020–21 के अंतिम अनुमानों के अनुसार कपास का उत्पादन 35.25 मिलियन गांठे (प्रत्येक गांठ का वजन 170 कि.ग्रा) तथा गन्ने का उत्पादन 405.40 मिलियन टन था। तीसरे अग्रिमों अनुमान के अनुसार वर्ष 2021–22 में कपास तथा गन्ने का उत्पादन क्रमशः 31.543 मिलियन गांठे तथा 430.499 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2020–21 के लिए तिलहनों का उत्पादन, जिसमें मूंगफली, सरसों तथा सोयाबीन शामिल है, 33.20 मिलियन टन था जो वर्ष 2019–20 के 33.22 मिलियन उत्पादन से 2.73 मिलियन टन अधिक है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021–22 में तिलहनों का उत्पादन 38.50 मिलियन टन रहेगा।

(स्रोतः 19.05.2022 को आर्थिक एवं सांख्याकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार)

2.3 कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संबधित कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 22 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त तोरिया तथा भूसी रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्रमशः तोरीबीज, सरसों तथा खोपरा के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एम एस पी निर्धारित करते समय सी.ए.पी.सी अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे, उत्पादन–लागत, मांग–आपूर्ति की स्थिति, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, अन्तर–फसल मूल्य, कृषि तथा कृषि से इतर क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्ते शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सहित, भूमि, पानी तथा अन्य उत्पादनों स्रोतों का युक्तिसंगत उपयोग एवं एम.एस.पी. के मामले में उत्पादन लागत के 50% मार्जिन को ध्यान में रखता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के केन्द्रीय बजट में एम.एस.पी. को उत्पादन लागत के डेढ़ गुणा पर रखने के पूर्व–निर्धारित रिद्धान्त को ध्यान में रखने की घोषणा की गई थी। तदनुसार सरकार ने खरीफ, रबी तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए कृषि वर्ष 2018.19 से अखिल भारत भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक प्रतिलाभ के साथ एम.एस.पी में वृद्धि की है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार ने सभी आवश्यक खरीफ एवं रबी फसलों के एम.एस.पी में वृद्धि की है।

तालिका 2.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य (फसल वर्ष) (रु. प्रति क्विंटल)

क्र.स.	वस्तु	प्रजाति	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	(#) 2021-22 की तुलना में 2020-21 में एम.एस.पी. वृद्धि	2022-23	(#) 2022-23 की तुलना मे. 2021-22 में एम.एस.पी. वृद्धि
	खरीफ फसले								
1	धान	साधारण	1750	1815	1868	1940	72(3.9)	2040	100 (5.2)
		ग्रेड 'ए'	1770	1835	1888	1960	72(3.8)	2060	100(5.1)
2	ज्वार	हाईब्रिड	2430	2550	2620	2738	118(4.5)	2970	232(8.5)
		मलडंडी	2450	2570	2640	2758	118(4.5)	2990	232(8.4)
3	बाजरा		1950	2000	2150	2250	100(4.7)	2350	100(4.4)
4	रागी		2897	3150	3295	3377	82(2.5)	3578	201(6.0)
5	मक्का		1700	1760	1850	1870	20(1.1)	1962	92(4.9)
6	अरहर (तूर)		5675	5800	6000	6300	300(5.0)	6600	300(4.8)
7	मूंग		6975	7050	7196	7275	79(1.1)	7755	480(6.6)
8	उड़द		5600	5700	6000	6300	300(5.0)	6600	300(4.8)
9	कपास	मीडियम स्टेपल	5150	5255	5515	5726	211(3.8)	6080	354(6.2)
		लांग स्टेपल	5450	5550	5825	6025	200(3.4)	6380	355(5.9)
10	मूंगफली		4890	5090	5275	5550	275(5.2)	5850	300(5.4)
11	सूरजमुखी सीड		5388	5650	5885	6015	130(2.2)	6400	385(6.4)
12	सोयाबीन (पीला)		3399	3710	3880	3950	70(1.8)	4300	350(8.9)
13	तिल		6249	6485	6855	7307	452(6.6)	7830	523(7.2)
14	नाइजेर सीड		5877	5940	6695	6930	235(3.5)	7287	357(5.2)
	रबी फसलें								
15	गेंहूँ		1840	1925	1975	2015	40(2)		
16	जौ		1440	1525	1600	1635	35(2.2)		
17	चना		4620	4875	5100	5230	130(2.5)		
18	मसूर (लेनटिल)		4475	4800	5100	5500	400(7.8)		
19	रैप्सीड और सरसो			4200	4425	4650	5050	400(8.6)	
20	सूरजमुखी		4945	5215	5327	5441	114(2.1)		
21	तोरिया			4190	4425	4650	5050	400(8.6)	
	अन्य फसले								
22	खोपरा (कैलेण्डर वर्ष)	मीलिंग	7511	9521	9960	10335	375(3.8)	10590	255(2.5)
		बाल	7750	9920	10300	10600	300(2.9)	11000	400(3.8)
23	डी– हस्क नारियल (कैलेण्डर वर्ष)		2030	2571	2700	2800	100(3.7)	2860	60(2.1)
24	पटसन		3700	3950	4225	4500	275(6.5)	4750	250(5.6)

#कोष्ठक में दिए गए आंकडे प्रतिवर्ष वृद्धि दर्शाते है

स्रोत : पीआईबी, दिल्ली द्वारा 8 जून, 2022 को पोस्ट की गई आर्थिक कार्य मंत्रीमंडल समिति की रिपोर्ट

2.4 केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद।

खाद्यान्नों की खरीद (चावल, गेंहूँ तथा मोटे अनाज) संबंधित विपणन मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए खरीफ विपणन तथा रबी विपणन मौसम शुरू होने से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों के एक समान स्पेसिफिकेशन (एफ.ए.क्यू मानक) निर्धारित कर सभी केन्द्रीय तथा राज्य खरीद एजेंसियों को समय–पूर्व अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान स्पेसिफिकेशन वाले खाद्यान्न स्टॉक की खरीद की जाती है। वर्तमान में 22 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं लेकिन मुख्यतः गेंहूँ तथा चावल एवं दालों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि के भंडारण से होने वाली हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए सरकार ने गेंहूँ तथा धान/चावल की खरीद को अधिकतम स्तर पर रखने के लिए एवं पुराने स्टॉक के समापन की नीति अपनायी है ताकि भारतीय खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक जारी किया जा सकने वाले किसी स्टॉक को आगे न ले जाना पड़े।

2.5 गत तीन वर्षों में गेंहूँ तथा चावल की खरीद

तालिका 2.4 **आंकड़े लाख मी. टन में**

वस्तु/ विपणन वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
गेंहूँ	357.95	341.33	389.92	433.32
चावल	443.99	519.97	602.45	589.78*
कुल	**801.94**	**861.30**	**992.37**	**1023.10**

* 31.07.2022 की स्थिति के अनुसार डेटा खरीफ विपणन मौसम 2021–22 के लिए प्रक्रियाधीन

(स्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त सूचना)

2.6 दालों तथा तिलहनों की खरीद

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कुछ संशोधनों सहित पूर्व की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस) को शामिल करते हुए मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पॉयलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.पी.एस.एस) नाम से कई स्कीम चला रहा था, जिन सब को मिलाकर ''प्रधान मत्री अन्नदाता एवं संरक्षण अभियान'' का नाम दिया गया है। इसके अलावा मूल्य न्यूनता पेमेंट स्कीम (पी.डी.पी.एस) तथा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट तथा स्टॉककिस्ट स्कीम चलाई जा रही हैं। पी.एम–आशा के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किसी एक की खरीद के लिए पूरे राज्य के लिए विशेष रूप से तिलहनों के लिए पी.एस.एस तथा पी.डी.एस से कोई एक स्कीम चुनने का विकल्प है। दालें तथा खोपरा की खरीद पी.एस.एस के अधीन की जाती है। किसी एक राज्य में विपणन मौसम के लिए एक वस्तु के संबंध में केवल एक स्कीम पी.एस.एस अथवा पी.डी.पी.एस चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट स्कीम (पी.

पी.एस.एस) को जिले प्राइवेट स्टॉकिस्ट को शामिल करते हुए चुनिंदा ए.पी.एम.सी में चलाई जा सकती है। पी. एस.एस. पी.डी.पी.एस तथा पी.पी.एस.एस का विवरण इस प्रकार हैः–

2.6.1 मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस)

यह योजना संबंधित राज्य सरकार से निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों सहित प्राप्त अनुरोध के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। इसके लिए राज्य को दालों, तिलहनों एवं खोपरा पर मंडी कर की छूट देने पर सहमत होना चाहिए तथा लॉजिस्टिक प्रबंधन सहित पटसन के बोरों, राज्य एजेसियों की कार्यशील पूंजी, पी.एस.एस परिचालनों के लिए निरंतर निधि की सृजन आदि में केन्द्रीय नोडल एजेंसियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए जैसा कि इस योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। इन वस्तुओं की खरीद पूर्व–पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के अंदर तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूल्य कम हो जाने की स्थिति में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय एजेंसियों के मानकों के अनुसार उचित और प्राप्त गुणवत्ता आधार पर की जाती है। मूल्य समर्थन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जानी वाली खरीद मौसम विशेष में वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25: तक सीमित होगी। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार 25% से ऊपर खरीद करना चाहती है तो वह अपने व्यय एवं लागत पर स्वयं की एजेंसियों के माध्यम से कर सकती है। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 25% से ऊपर तथा 40% तक खरीद करना चाहती है तो, राज्य सरकार को उसे अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपनी लागत पर प्रयोग करना होगा। पी पी एस के अधीन वर्ष 2017–18 से आरम्भ कर दालों की खरीद का विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः–

तालिका 2.5

पी.एस.एस के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों, तिलहनों तथा खोपरा की खरीद का विविरण 2017–18 से 2021–2022 (24.02.2022 को) (मात्रा मी. टन में)

श्रेणी/वस्तु दालें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
चना	-	27,69,430.16	7,76,406.21	21,58,434.06	6,36,905.98
मसूर	-	2,46,943.85	56,237.87	1,433.88	18.35
मूंग	4,07,309.18	3,06,960.29	1,66,051.49	20,842.13	2,29,137.98
तूर	8,73,758.62	2,91,000.87	5,47,272.15	11,004.46	11,680.36
उड़द	2,92,413.90	5,60,980.85	18,373.23	137.16	2578.07
कुल –दालें	**1573481.7**	**4175316.02**	**1564340.95**	**2191851.69**	**880320.74**

तिलहन					
मूंगफली	10,46,970.39	7,19,829.94	7,21,205.04	2,86,041.56	1,53,556.73
सरसो सीड	12,040.59	8,73,661.00	10,88,945.26	8,03,843.64	0.68
तिल का बीज	3739.77	-	-	-	-
सोयाबीन	72,280.74	19,483.02	10,677.68	3.69	-
सूरजमुखी	6,539.04	2,745.43	3,336.33	5,267.08	3885.72
कुल–तिलहन	**11,41,570.53**	**16,15,719.39**	**18,24,164.31**	**10,95,155.97**	**1,57,443.72**
खोपरा					
बॉल खोपरा	-	-	0.18	5,053.34	-
मीलिग खोपरा	-	-	313.66	35.58	32.95
कुल खोपरा	-	-	313.84	5088.92	32.95
कुल योग	**27,15,052.23**	**57,91,035.41**	**33,88,819.10**	**32,92,096.58**	**10,37,797.41**

टिप्पणी

(i) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मूल्य स्थिरीकरण योजना के अधीन एम.एस.पी दालों के खरीद को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ii) वर्ष 2018–19 में मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। (पीडीपीएस) को मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की 16.83 लाख मी.टन की खरीद के लिए क्रियान्वित किया गया।

(iii) आर एम एस के खरीफ विपणन मौसम के (गर्मी की फसलों सहित) समान मौसम वर्ष वार खरीद है।

(iv) *24.02.2022 तक खरीद

(स्रोतः कृषि, तथा किसान कल्याण विभाग प्रभाग भारत सरकार से प्राप्त सूचना)

2.6.2 मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस)।

यह योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा पूर्व–पंजीकृत किसानों को एक निश्चित अवधि में अधिसूचित मार्केट यार्ड में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उचित औसत क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) के तिलहनों के मूल्य के अन्तर को पाटने के लिए है। सभी भुगतान सीधे किसानों के पंजीकृत खातों में किए जायेंगे। योजना में कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है। पी.डी.पी.एस के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बिक्री/मोडल मूल्य अर्थात् मूल्य न्यूनतम में से एस.एस.पी का 25% जो किसान प्राप्त करेगा (2% प्रशासनिक लागत सहित) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार की सहायता, उत्पादन के 25% तक दी जाएगी। यदि कोई राज्य

अधिकतम 25% से अधिक मात्रा कवर करना चाहती है, तो उसके लिए राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से निधि जुटानी होगी।

2.6.3 निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना (पी.पी.एस.एस)।

तिलहनों की खरीद के लिए राज्य निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए तिलहनों की खरीद हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं। इस प्रकार की खरीद पूर्व पंजीकृत किसानों से जिले/चुनिंदा ए.पी.एम.एस से चुनिंदा स्टॉकिस्टों को शामिल करते हुए की जाएगी। निजी स्टॉकिस्ट का पैनल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसाार किया जाएगा। निजी स्टॉकिस्ट को उस वस्तु विशेष को राज्य में पी.डी.पी.एस/पी.एस.एस के अन्तर्गत अधिसूचित खरीद अवधि में बेचने की अनुमति नहीं होगी। भंडारण एवं परिवहन तथा निपटान सहित सभी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह स्टॉकिस्ट की होगी। इस प्रकार के निजी स्टॉकिस्ट जिले/कृषि उत्पाद प्रबंधन समितियाँ से निर्धारित उचित औसत लागत क्वालिटी मानकों के अनुसार चुनिंदा तिलहनों की 25% खरीद कर सकेगा।

2.7 भारत में भांडागारण क्षमता की वर्तमान स्थिति।

देश में केन्द्रीयकृत डैटा बेस के अभाव में संगठित क्षेत्र में भांडागारण क्षमता का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सेकेण्डरी डैटा के अनुसार सार्वजनिक एजेंसियों, सहकारी समितियों तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे संगठित भांडागारों की अनुमानित वर्तमान क्षमता 188.02 मिलियन टन है।

जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है भांडागारण क्षमता का प्रमुख भाग सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) राज्य भंडारण निगमों (एस.डब्लू.सी) राज्य विपणन संघों, राज्य आपूर्ति निगमों आदि द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

तालिका 2.6

क्र.सं.	संगठन/क्षेत्र का नाम	भांडागारण क्षमता मिलियन टन
1	भारतीय खाद्य निगम (कैप तथा सी.डब्लू.सी, एस.डब्लू.सी, राज्य एजेंसियों तथा प्राइवेट से ली गई क्षमता को छोड़कर) स्रोतः https://fci.gov.in/storages.php?view=286	14.82
2	केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्लू.सी) https://cewacor.nic.in/MasterStatic/CWCataGlance	11.54
3	राज्य भंडारण निगम (कैप स्टोरेज को छोड़कर) स्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	45.02
4	अन्य राज्य एजेंसियाँ (कैप स्टोरेज को छोड़कर) स्रोतः नाबार्ड सर्वे डेटा	14.75
5	सहकारी क्षेत्र स्रोतः राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	16.57
6	निजी क्षेत्र स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	85.32**
	कुल	**188.02**

''इसमें कृषि विपनण एवं निरीक्षण तथा भारतीय खाद्य निगम की पी.ई.जी.एस के अन्तर्गत सृजित की गई क्षमता शामिल है।

2.8 भंडारण क्षमता में वृद्धि

सरप्लस क्षेत्रों में भंडारण स्थान की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संवर्द्धक नीतियों सहित भांडागारों के निर्माण के लिए कई पहल की हैं। यहाँ कुछ पहलों का विवरण दिया गया है;

2.8.1 कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई)

भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 01. अप्रैल, 2014 से कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (एम.एम.आई) के अधीन कृषि विपणन अवसंरचना आई.एस.एम की उपयोजना के नए परिचालन दिशा–निर्देशों के अनुसार यह 22.10.2018 से क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य (i) कृषि तथा अन्य सहायक उत्पाद जैसे बागबानी, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बाँस, लघु वनोत्पाद के विपणन योग्य सरप्लस के रख रखाव तथा प्रबंधन के लिए आधार भूत सुविधाएं सृजित करना आदि, जो किसानों की आय बढ़ाने के साधन हैं। (ii) निजी तथा सहकारी क्षेत्र में निवेश के लिए कृषि तथा सहायक उत्पाद के विपणन के लिए वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्द्धत्मक चैनलों का विकास (iii) कृषि उत्पाद, प्रसंस्कारित उत्पाद तथा कृषि वस्तुओं आदि के लिए वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना ताकि फसल कटाई के बाद होने वाली हानियाँ कम हो सकें तथा किसानों तथा अन्य को वित्त पोषण तथा बाजार– पहुँच की सुविधा प्राप्त हो सके (iv) ग्रामीण हाटों को ग्रेन कृषि बाजार का दर्जा प्राप्त होने में सहायता प्रदान करना जिससे किसान–उपभोक्ता बाजार लिंकेज बढ़ेगा (v) कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना जिससे (क) किसानों को उनके उत्पाद के अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तथा गुणवत्ता वाले उत्पादों को उगाने के प्रति उत्साहित होंगे (ख) गिरवी वित्त पोषण बढ़ाना ताकि इ–एन.डब्लू.आर. के व्यापार को बल मिल सके।

ए.एम.आई योजना उत्तरवर्ती देय किस्त योजना है जिसकी सब्सिडी दर 25% से 33.33% तक भिन्न–भिन्न है तथा लाभर्थियों की श्रेणी पर आधारित है। सब्सिडी पूँजी लागत मानक के अनुसार परियोजना की लागत पर दी जाती है।

कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आई.एस.ए.एम) की उप–योजना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना (पूर्व

में ग्रामीण गोदाम योजना) के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार राज्यवार सृजित भंडारण क्षमता इस प्रकार है:–

तालिका: 2.7

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मी.टन.)
1	आंध्र प्रदेश	1434	5774816
2	अरूणाचल प्रदेश	1	945
3	असम	339	1048147
4	बिहार	1086	706051
5	छत्तीसगढ़	598	1946917
6	गोवा	1	299
7	गुजरात	11970	4964855
8	हरियाणा	2279	6793655
9	हिमाचल प्रदेश	88	30826
10	जम्मू एवं कश्मीर	15	88027
11	झारखंड	35	182708
12	कर्नाटक	4673	3948654
13	केरल	209	105903
14	मध्य प्रदेश	4404	12880328
15	महाराष्ट्र	3669	6938524
16	मेघालय	16	21012
17	मिजोरम	1	302
18	नागालैण्ड	36	32814
19	ओडिशा	695	1019830
20	पंजाब	1761	6814459
21	राजस्थान	1585	3097690
22	तमिलनाडु	1195	1435980
23	तेलंगाना	852	5003968
24	त्रिपुरा	5	28764
25	उत्तर प्रदेश	1183	5600253
26	उत्तराखंड	291	786272
27	पश्चिम बंगाल	2564	1614834
	कुल	**40,985**	**7,08,66,833**

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त सूचना।)

2.8.2 निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008

सरकार ने सरकारी/निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के अन्तर्गत भंडारण गोदामों के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2008 निजी उद्यामियों/केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से शुरू की थी। इस योजना के अधीन भंडारण क्षमता का निर्धारण सम्पूर्ण खरीद/क्षेत्र की उपभोग आवश्यकताओं तथा पहले से विद्यमान भंडारण क्षमता के आधार पर किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम निजी निवेशको को 10 साल की गारंटी तथा केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों/राज्य एजेंसियों को 9 साल की गारंटी देती है।

निजी उद्यमी गारंटी गोदामों के निर्माण के लिए 152.74 लाख मेट्रिक टन क्षमता अनुमोदित की गई है। इसमें से 31.03.22 तक 144.67 लाख मी.टन क्षमता पूरी की जा चुकी है।

साइलो का निर्माण

भंडारण सुविधाओं को अपग्रेड करने तथा आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने पी. पी. पी. देश में (सार्वजनिक निजी भागीदारी) आधार पर स्टील साइलो के निमार्ण के लिए एक कार्य योजना बनाई है। 31.03. 2022 तक 11.125 लाख मी.टन क्षमता पूरी की जा चुकी है।

केन्द्रीय सैक्टर (पूर्व योजना) स्कीम

सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों सहित कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सैक्टर स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत इक्विटी के रूप में भूमि अधिग्रहण तथा भंडारण गोदामों के निमार्ण तथा रेलवे साइडिंग विधुतीकरण, वेब्रिज आदि की स्थापना जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए भारतीय खाद्य निगम को सीधे फंड रिलीज किया जाता है। भंडारण क्षमता की कमी तथा कठिन भौगोलिक तथा जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर सहित उत्तर पूर्व राज्यों की सरकारों को भी अनुदान सहायता के रूप में फंड रिलीज किया जाता है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों तथा उत्तर पूर्व राज्यों से इतर राज्यों में 01.04.2017 से 31.03.2022 तक 1,64,175 मीं टन (1,37,680 मी. टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा 26,890 मी.टन राज्य सरकारों द्वारा) सृजित की गई।

2.9 सहकारिता क्षेत्र में भांडागारण क्षमता।

ग्रामीण क्षेत्र में कम क्षमता वाले सहकारिता भांडागारों की काफी संख्या है। इन भांडागारों में छोटे किसानों द्वारा अपने उत्पाद भंडारित कराने की अधिक संभावना के मददेनजर डब्लू.डी.आर.ए. सहकारी भांडागारों को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराने तथा किसानों को एन.डब्लू.आर जारी करने को बढ़ावा दे रहा है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सहकारिता क्षेत्र में 68006 भांडागार हैं जिनकी कुल क्षमता 16.568 मिलियन टन है। इन में से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी) की सहायता से वर्ष 2021–22 में लगभग 30000 मी.टन क्षमता जोड़ी गई।

2.10 राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई–एन.ए.एम)।

कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात करने, देश में कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार ने 1 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कृषि मंडी (एन.ए.एम) योजना अनुमोदित की थी। एन.ए.एम. की पायलट योजना 8 राज्यों की 21 मंडियों में 14 अप्रैल, 2016 को प्रारम्भ

की गई। इस योजना के अधीन ऑनलाइन ट्रेडिंग विकसित करने हेतु गेट एंट्री सहित मंडियों की पूरी कार्य प्रणाली का डीजिटाइजेशन, लॉट मैनेजमेंट, बोली लगाना, ई बिक्री करार, ई भुगतान एवं विषम सूचना को हटाने, लेन–देन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने तथा देश में मंड़ियों की पंहुच बढ़ाने के लिए 1000 नियमित मंड़ियों में वैब आधारित प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–एन.ए.एम में ट्रेडिंग के लिए वस्तुओं की बिक्री को सरल बनाने के लिए 193 कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य व्यापार पैरामीटर बनाए गए हैं। 29 जून, 2021 तक 1,38,521 करोड़ मूल्य 4.50 करोड़ मी.टन कृषि उत्पाद का व्यापार किया जा चुका था। इ–नैम पर 18 राज्यों 3 संघ राज्य क्षेत्रों से 1000 मंडियाँ ऑन बोर्ड है। ई–नैम स्कीम शुरू हो जाने के बाद 1.73 करोड़ किसानों, 2.29 लाख व्यापारियों, 1.05 कमीशन एजेंटों, 2,189 एफ.पी.ओ ने स्वयं को ई–नैम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया है।

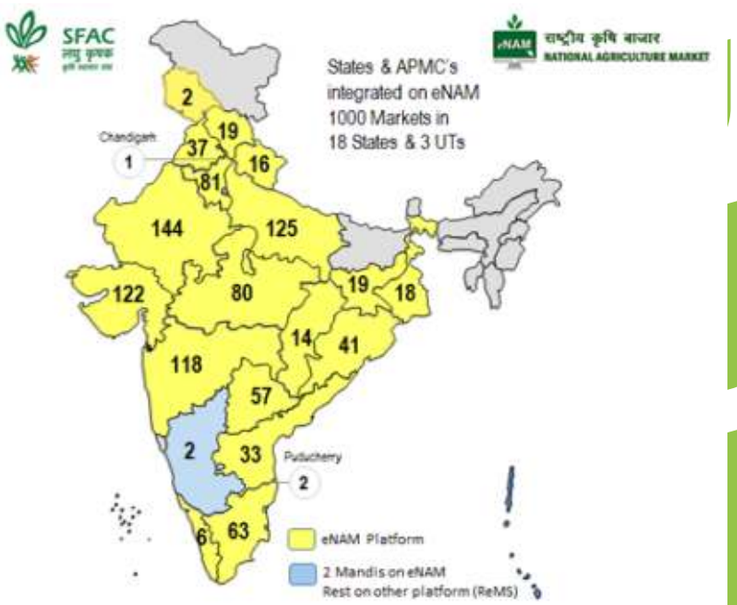

राज्य	एकीकृम मंडी
आंध्र प्रदेश	33
चंढ़ीगड़	1
छत्तीसगढ़	14
गुजरात	122
हरियाणा	81
हिमाचल प्रदेश	19
जम्मू	02
झारखंड	19
कर्नाटक	02
केरला	06
मध्य प्रदेश	80
महाराष्ट्र	118
ओडिसा	41
पुडुचेरी	2
पंजाब	37
राजस्थान	144
तमिलनाडु	63
तेलंगाना	57
उत्तर प्रदेश	125
उत्तराखंड	16
पश्चिम बंगाल	18
कुल	**1,000**

(स्रोतः ई–नैम वेबसाइट)

प्राधिकरण इ–एन.ए.एम के साथ इ.एन.डब्लू.आर प्रणाली के एकीकरण के लिए कृषि, और किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा पंजीकृत भांडागार, जिसे मार्केट सब यार्ड घोषित किया गया है, द्वारा जारी इ–एनडब्लूआर प्राप्त किसान/धारक संबंधित ई–नैम अपने स्टॉक की बिक्री कर सकता है।

2.11 मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद तथा पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017

किसानों को विपणन की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने हेतु अप्रैल, 2017 में एक नया कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2017 परिचालित किया। मॉडल अधिनियम में वैकल्पिक विपणन चैनल जैसे निजी बाजार, सीधा विपणन,

किसान मंडी, विशेष वस्तु बाजार का प्रावधान है ताकि किसानों को अपने उत्पाद प्रतिस्द्धर्धात्मक एवं लाभकारी मूल्यों पर बेचने की सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त कम होते जा रहे संसाधनों के भरपूर प्रयोग तथा बाजार में मूल्यों की अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ''मॉडल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि उत्पाद एवं पशुधन कांट्रेक्ट फार्मिंग एवं सेवाएँ (संवर्द्धन एवं सुगमता) अधिनियम, 2018 को मई, 2018 में परिचालित किया। उपर्युक्त मॉडल कांट्रेक्ट फार्मिंग अधिनियम उत्पादन पूर्व से फसल कटाई से लेकर कृषि उत्पाद तथा पशुधन के लिए सर्विस कांट्रेक्ट से लेकर पूरी मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला को कवर करता है।

मॉडल अधिनियम का अध्याय II खण्ड 12 में भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य इस प्रकार के ढांचे अथवा स्थान को मार्किट सब–यार्ड के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान किए जाने से डब्लू. डी.आर.ए. के पंजीकृत भांडागार इ–एन.डब्लू.आर. के अनुसार जमा सामान के प्रभावी व्यापार के लिए एक हब के रूप में कार्य करने लगेंगे। अब तक आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, ने भांडागारो/साइलो/कोल्ड स्टोरेज को अपने ए.पी.एम.सी अधिनियम में डीम्ड मंडी घोषित करने का प्रावधान किया है।

2.12 फसल कटाई के बाद फसल ऋणों पर ब्याज सहायता योजना

भारत सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख रू तक लघु अवधि फसल ऋण पर 7% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज–सहायता योजना खरीफ मौसम 2006–2007 से चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों (ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी शाखाओं द्वारा) अपने संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक दर से ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंको (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति) तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारिताओं (नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति) के माध्यम से चलाई जा रही है। 2% ब्याज सहायता के अलावा किसानों को फसल ऋण पर देय तारीख तथा उससे पहले ऋण चुकाने पर 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। इस प्रकार ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाती है।

किसानों द्वारा अपने उत्पादों की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े तथा वे उत्पाद को भांडागार में स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित हों इसके लिए वर्ष 2010–11 से एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर. के विरूद्ध प्राधिकरण के पास पंजीकृत भांडागार स्टोर किए उत्पादों पर आगे छह महीने तक क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को उसी दर फसल ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ दिया गया है।

वर्ष 2019–20 से वर्तमान में के.सी.सी होल्डर्स किसानों को जो सहायक गतिविधियों जैसे पशु पालन तथा मछली पालन में लगे हुए है; 3 लाख रूपए तक ऋण सीमा के अन्दर आई एस एस के लाभ दिए गए है। पशु पालन तथा मछली पालन करने वाले किसान भी नए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा दो लाख रूपए के ऋण तक आई.एस.एस के लाभ सहित पी आर आई भी प्राप्त कर सकते हैं। एन डी आर एफ अनुदान के लिए अन्तर–मंत्रालयीन केन्द्रीय दल तथा राश्ट्रीय कार्यकारी समिति (एस सी–एन ई सी) की रिपोर्ट के आधार पर भारी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान भी 2% ब्याज छूट सहायता तथा 3% पी आर आई का लाभ अधिकतम 5 वर्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2018–19 से आई एस एस वस्तु रूप/सेवा आधार पर डी.बी.टी मोड पर है। किसानों के दावों की प्रतिपूर्ति के लिए सुचारू कार्रवाई हेतु बैंको द्वारा प्रत्यक्ष

प्रविश्टि के लिए एक आई एस पोर्टल विकसित किया गया है ताकि एक अच्छी खासी निगरानी प्रणाली अस्तित्व में आ सके।

2.13 प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य निर्देश।

भारत के रिजर्व बैंक के मुख्य निदेश (ऋण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र अध्याय III- लक्ष्य एवं वर्गीकरण) 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि भांडागार रसीद के विरूद्ध कृषि उत्पाद के गिरवी/बंधक रख कर ऋण दिया जा सकता है।

क) स्वंय सहायता समूह/संयुक्त दायित्व समूह सहित अकेले किसान को कृषि उत्पाद को गिरवी/बंधक रख कर एनडब्लूआर/इएनडब्लूआर के विरूद्ध (भांडागार रसीद सहित) 12 मास की अवधि के लिए 75.00 लाख रू तक ऋण दिया जा सकता है तथा एनडब्लूआर/इएनडब्लूआर को छोड़कर केवल भांडागार रसीद के विरूद्ध 50.00 लाख रु. तक ऋण दिया जा सकता है

ख) व्यवसायी, किसान एफ.पी.ओ/ किसानों की कम्पनियों, भागीदारी फर्म तथा किसानों के को–आपरेशन जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा अन्य सहायक गतिविधियों में संलगन है; कृषि उत्पाद (भांडागार रसीदों सहित) गिरवी/बंधक रखने द्वारा 12 मास की अवधि के लिए 75.00 लाख रू तक ऋण प्रदान किया जा सकता है। या एनडब्लूआर/इएनडब्लूआर को छोड़कर केवल भांडागार रसीद के विरूद्ध 50.00 लाख रू. तक ऋण दिया जा सकता

2.14 इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद प्रणाली के संबंध में बैंकों का अभिन्यास।

इंडियन बैंक एसोसिएशन के अलावा डब्लू.डी.आर.ए. तथा विभिन्न सरकारी एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधियों के बीच एन.डब्लू.आर/इ–एन.डब्लू.आर. के विरूद्ध गिरवी वित्त पोषण की प्रासंगिकता तथा आवश्यकता पर कई बार बातचीत हुई है। प्राधिकरण द्वारा बैंकों अधिकारियों के समक्ष एन.डब्लू.आर जारी करने वाले भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन तथा विशेषकर गिरवी प्रबंधन सहित रेपोजिटरीज द्वारा इ–एन.डब्लू.आर. की सुरक्षा विशिष्टताओं तथा इसकी पारदर्शिता हस्तांतरण प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह सहमत होने के पश्चात् इनमें से कुछ बैंको ने रेपोजिटरी के साथ ऑन–बोर्डिंग प्रक्रिया पहले से ही शुरू करने सहित इ–एन.डब्लू.आर. को गिरवी–वित्तपोषण के लिए स्वीकार करना शुरू कर दिया है। डब्लूडीआरए द्वारा नियमित इ–एन.डब्लू.आर. के विरूद्ध गिरवी वित्त पोषण वर्ष 2019–20, 2020–21 तक रिपोर्ट वर्ष 2021–22 में अच्छी वृद्धि देखी गई है।

तालिका 2.8

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	इएनडब्लूआर के विरूद्ध गिरवी वित्त पोषण करोड़ रु. में
1	2019-20	466.47
2	2020-21	730.72
3	2021-22	1491.60

अध्याय - III

3. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की समीक्षा

3.1 प्राधिकरण द्वारा हाल में की गई नई पहल।

अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन प्राधिकरण ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए भांडागारों के पंजीकरण तथा विनियमन की प्रक्रिया को सरल बनाने, पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने तथा उद्योग द्वारा डब्लूडीआरए की विनियामक प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई पहल की हैं। प्राधिकरण द्वारा रूपान्तरण योजना के अधीन वर्ष 2017–18 से विभिन्न गतिविधियाँ शुरू हो गई थी लेकिन उनके परिणाम गत दो वर्षो में अधिक देखे गए।

आरम्भ में, विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने में कुशलता लाने के उद्देश्य से, भांडागार पंजीकरण नियम, 2010 को वर्ष 2017 में संशोधित कर पंजीकरण आवेदनों पर की जाने वाली कार्रवाई तथा पंजीकरण आवेदनों को सरल तथा उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाया गया। 1 नवम्बर 2017 से पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई ताकि इसमें कम से कम समय लगे। प्राधिकरण द्वारा 26 सितम्बर, 2017 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली भुरू की गई। प्राधिकरण द्वारा इ–एन.डब्लू.आर. सृजित करने सहित उनके प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी पंजीकृत किए। प्राधिकरण ने उठाए गए अन्य मुख्य कदमों में प्रतिभूति जमा संबंधित अधिसूचना जारी करना, भांडागार पंजीकरण प्रक्रिया का डिजीटाइजेशन, पंजीकृत भांडागारों के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली पंजीकृत भांडागारों में मुख्य लेन–देन कार्यो की ऑनलाइन मॉनीटरिंग एवं अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने तथा विश्वास उत्पन्न करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद को विभिन्न हितधारको जैसे कोमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेजों तथा बैंको से लिंक करना शामिल है सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय कृषि मंडी प्लेटफार्म (ई–नैम) से ई–एनडब्लूआर प्रणाली को जोड़ा गया ताकि किसानों के उत्पादों के विपणन में और अधिक कुशलता लाई जा सके।

डब्लूडीआरए ने गैर कृषि वस्तुओं को शामिल कर अपनी भूमिका में प्रमुख रूप से विस्तार किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 9 धातुओं, मिश्र धातुओं एवं अयस्क के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात 13 सितम्बर, 2021 को एक डिस्कशन पेपर प्रकाशित किया गया। विभिन्न हितधाारकों जैसे बीआईएस, सेबी, एमसीएक्ससीसीएल, एनसीसीएल, एनईआरएल, सीसीआरएल एवं वेयरहाउसिंग संस्थाओं से परामर्श कर संबंधित एसओपी एवं निरक्षण दिशा निर्देशों अंतिम रूप दिया गया। आवश्यकताओं के आधार पर 9 गैर कृषि वस्तुओं के लिए राजपत्र अधिसूचना हेतु प्रस्ताव तथा संबंधित आवदेन शुल्क, नेटवर्थ आवश्यकताओं को अन्तिम रूप दिया गया। इसके साथ–साथ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय मानको के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निर्धारित श्रेणियो की अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास शुरू किए गए। गैर कृषि भांडागारों के पंजीकरण के लिए डब्लूडीआरए के पंजीकरण पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु उचित कदम भी उठाये गये।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में गैर कृषि वस्तुओं को भण्डारित करने वाले भांडागारों पर लागू प्रावधानों के सफल क्रियांवयन में प्रमुख आवश्यकताओं एवं भूमिका को समझने के संबंध में निरीक्षण ऐजिंसियों तथा भांडागारापालों

के लिए अभिन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए

3.1.1 भांडागार पंजीकरण नियमों में संशोधन तथा अन्य अपडेट

भांडागारण विकास एवं विनियमन अधिनियम 2007, 25 अक्तूबर, 2010 को लागू हुआ था अधिनियम की धारा 24 के अधीन 26 अक्तूबर, 2010 को डब्लूडीआरए की स्थापना हुई। डब्लूडीआरए ने देश में अपने पंजीकृत भांडागारों के लिए विनियमन में वृद्धि करने भांडागार रसीदों की परक्राम्यता बढ़ाने, न्यासीय विश्वास धोखाधड़ी रोकने तथा भंडारित वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली आरम्भ की थी।

प्राप्त अनुभव के आधार पर, गत वर्षों में संबंधित नियमों एवं विनियमों में 23 फरवरी, 2017 को अधिसूचित नए पंजीकरण नियमों में कतिपय परिवर्तन किए गए। नए नियमों का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने सहित तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था।

पुराने नियमों की तुलना में नए पंजीकरण नियम, 2017 में किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित शामिल हैं:–

क्र.सं.	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2010	भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017
1	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन आवश्यक था।	पंजीकरण से पूर्व किसी प्रत्ययन की आवश्यकता नहीं है। डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पंजीकरण से पूर्व पात्र आवेदक भांडागार का भौतिक निरीक्षण किया जाना होता है।
2	एक आवेदक आवश्यक रूप से एक भांडागार कवर करेगा।	एक आवेदक का आवेदन एक अथवा एक से अधिक भांडागारों के लिए हो सकता है।
3	पंजीकरण अवधि 3 वर्ष के लिए थी।	पंजीकरण अवधि 5 वर्ष के लिए है।
4	भांडागार की क्षमता पर ध्यान दिए बिना केवल नेटवर्थ का सकारात्मक होना आवश्यक था।	अब भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।
5	पंजीकरण शुल्क के बराबर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होती थी।	परक्राम्य भांडागाररसीदों के कुल मूल्य के अनुसार अधिक उपयुक्त एवं गत्यात्मक प्रतिभूति जमा का प्रावधान है।
6	मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी) तथा 'अपने जमाकर्ता को जाने' (के.वाई.डी) का प्रावधान नहीं था।	नए नियमों में के.वाई.डी तथा एस.ओ.पी को पूरी तरह परिभाषित किया गया है।
7	रेपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के लिए प्रावधान नहीं था।	अब यह प्रावधान है।

नवम्बर, 2021 में पंजीकरण नियमों में आगे और संशोधन कर स्वयं सहायता समूह के लिए भांडागारों के पंजीकरण शुल्क को 5,000/– रु. से घटा कर 500/– रु. कर दिया गया ताकि थोड़ी क्षमता वाले कृषि भांडागारों की भागीदारी और बढ़ सके। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियो (पीएसी) के सीमित संसाधनों को देखते हुए उन्हें छूट भी प्रदान की गई।

दिनांक 07.05.2021 के परिपज द्वारा भांडागार पंजीकरण प्रमाण पत्र भी वैद्यता में एक बार शुद्धि करने की अनुमति दी गई बशर्ते अवधि के लिए प्रतिभूति जमा विधि मान्य हो।

दिनांक 08 सितम्बर, 2021 के परिपत्र द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया और सरल बनाते हुए आवेदकों को बीमा अनुपालन के अग्रिम में पूरा करने के स्थान पर इसे पंजीकरण के अंतिम स्तर पर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। पंजीकरण आवेदन के लंबित रहने के दौरान आवेदक वस्तुओं का भंडारण नहीं करवा सकता था तथा ई–एनडब्लूआर भी जारी नहीं की जा सकती थी। तथापि इस परिवर्तन के बाद यह सुविधा जारी रहती है तथा आवेदक का वित्तीय बोझ भी घट गया है।

3.1.2 आवेदन शुल्क आवश्यकतायें

भांडागार पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क वर्तमान में इस प्रकार है :

तालिका. 3.1

भांडागर की क्षमता	शुल्क (अप्रतिदेय)
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन तक है	रू, 5,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन से अधिक लेकिन 1,000 टन से कम या समान है	रू 7,500/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 1,000 टन से अधिक है। लेकिन 2,500 टन से कम या समान है	रू 10,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 2500 टन से अधिक है लेकिन 5,000 टन से कम या समान है	रू 15,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन के समान या कम है	रू 20,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक लेकिन 25,000 टन से कम या समान है	रू 25,000/–
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है	रू 30,000/–

तथापि किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ)/एफपीओ कृषि सहकारी क्रेडिट समिति तथा स्वयं सहायकता समूहों के लिए आवेदन शुल्क 500/– रूपए केवल है चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो।

3.1.3 पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकता

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की सातवीं अनूसूची के अधीन नियम 18 में डब्लू.डी.आर.ए. के साथ भांडागारों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम नेटवर्थ आवश्यकताओं का प्रावधान है। नेटवर्थ की अपेक्षा को भांडागार(रों) की क्षमता से जोड़ा गया है लेकिन किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ) तथा सहकारी समितियों की क्षमता केवल साकारात्मक होनी चाहिए। लघु क्षमता वाले भंडागारों के लिए 20

मार्च, 2018, का नेटवर्थ में संशोधन किया गया है।

तालिकाः 3.2

31 मार्च, 2022 को संशोधित नेटवर्थ अपेक्षा	
भण्डारण क्षमता (मी.टन में)	**नेटवर्थ (करोड़ रू में)**
500 तक	0.04
501-1,000	0.08
1,001-1,500	0.12
1,501-2,000	0.16
2,001-2,500	0.20
2,501-5,000	0.40
5,001 - 7,000	1.00
7,001 - 10,000	2
10,001 - 15,000	5
15,001 - 25,000	10
25,001 - 75,000	20
75,001 - 1,50,000	30
1,50,001 - 5,00,000	50
5,00,001 तथा ऊपर	100

विधायिका द्वारा सृजित निकायों के लिए नेटवर्थ केवल साकारात्मक होना आवश्यक है

3.1.4. पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए भांडागारों का पंजीकरण

पंजीकरण नियम, 2017 में भांडागारों की पंजीकरण अवधि पाँच वर्ष तथा 6 महीने ऊपर तक प्रतिभूति जमा रखने का प्रावधान है। व्यवसाय–अपेक्षाओं तथा प्रतिभूति जमा की बाधाओं को देखते हुए आवेदक 18 महीने से लेकर 60 महीने से कम अवधि के लिए पंजीकरण की मांग करते हैं। आवेदक के अनुरोध अथवा उस अवधि के लिए प्रतिभूति जमा की उपलब्धता देखते हुए भांडागारों के पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तथा तदनुसार प्रतिभूति जमा हेतु 6 सितम्बर, 2018 से प्रावधान किया गया है।

3.1.5 प्रतिभूति जमा के लिए अधिसूचना

पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की वित्तीय सुरक्षा तथा बैंकों में गिरवी रखने अथवा मालिकाना दस्तावेज के रूप में व्यापार करने एवं आवेदक/भांडागारपाल की सुविधा के लिए भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा को पंजीकरण नियमों के अनुसार भारत के राजपत्र में जारी 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया। तथापि प्रतिभूति जमा को और अधिक गत्यात्मक तथा प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभूति जमा की बारम्बारता तथा बैंक गारंटी/एवं सावधि जमा प्रारूप में संशोधन करते हुए 31 जनवरी, 2019 को अधिसूचना द्वारा इसे पुनः संशोधित किया गया।

इसके बाद लघु क्षमता वाले भांडागारों को डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत कराने हुतु प्रोत्साहित करने के लिए 4 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना द्वारा उपर्यक्त प्रतिभूति जमा में में पुनः संशोधन किया गया।

वर्तमान के प्रतिभूति जमा की अपेक्षा इस प्रकार हैः–

I. 2000 मी.टन तक क्षमता वाले भांडागारों के लिए

भांडागारपाल के डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत 2000 मी.टन तक की क्षमता वाले सभी भांडागारों के लिए प्रत्येक भांडागार हेतु प्रतिभूति जमा 50,000/–रू है (जैसा कि भांडागारों के पंजीकरण के लिए नीचे तालिका 3.4 कालम 'क' में विवरण दिया गया है) जबकि परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक प्रारूप में जैसे भी हो को मिलाकर) के अधिकतम मूल्य का 3: गत्यात्मक प्रतिभूति जमा के रूप में है। यहाँ भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों हेतु पिछले माह मे जारी किए कुल भांडागार रसीदों का अधिकतम मूल्य टी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भांडागारपाल 2000 मी.टन क्षमता तक के डब्ल्यू.डी.आर.ए के पास पंजीकृत सभी भांडागारों के लिए कुल प्रतिभूति जमा 'क' एवं 'ख' के जोड़ के समान होगा जैसा कि तालिका 3.3 मे दिया गया हैः–

तालिका 3.3

भांडागारपालों के लिए कुल भांडागार क्षमता (मी. टन में)	निर्धारित प्रतिभूति जमा	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा	कुल प्रतिभूति जमा निम्न राशि तक सीमित
	क	ख	ग
100 मी.टन तक	50,000 रूपए प्रति भांडागार	शून्य	कुल 50,000 रूपए तक सीमित
101–500 मी.टन	50,000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' की 3 प्रतिशत	कुल 2.50 लाख रूपए तक सीमित
501–1000 मी.टन	50,000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' की 3 प्रतिशत	कुल 5.00 लाख रूपए तक सीमित
1001–1500 मी.टन	50,000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' की 3 प्रतिशत	कुल 7.50 लाख रूपए तक सीमित
1501–2000 मी.टन	50,000 रूपए प्रति भांडागार	'टी' की 3 प्रतिशत	कुल 10.00 लाख रूपए तक सीमित

II. 2000 मी.टन से अधिक क्षमता वाले भांडागारपालों के लिए

भांडागारपाल के डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत 2000 मी.टन से अधिकर क्षमता वाले सभी भांडागारों के लिए प्रत्येक के लिए प्रतिभूति जमा 1 लाख रू है (जैसा कि भांडागारों के पंजीकरण के लिए तालिका 3.3 के कॉलम जैड में विवरण दिया गया है) जबकि परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (इलेक्ट्रोनिक अथवा/भौतिक प्ररूप में जारी सभी को मिलाकर) के अधिकतम मूल्य का 3ः गत्यात्मक प्रतिभूति जमा के रूप में है, जिसे भांडागारपाल के सभी भांडागारों के लिए पिछले माह में किसी एक दिन की भांडागार रसीदों के अधिकतम मूल्य को टी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भांडागारपाल के 2000 मी.टन क्षमता से अधिक क्षमता वाले डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत सभी भांडागारों हेतु कुल प्रतिभूति जमा एक्स, वाई एवं जैड के जोड के समान होगी जैसा कि तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4

स्लैब	एक्स	वाई	जैड
'टी' 25 करोड़ रूपए से कम अथवा 25 करोड़ रू के बराबर	0	'टी' का 3 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक और 250 करोड़ रूपए तक है	75 लाख रूपए	25 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक और 2,500 करोड़ रूपए तक है	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से अधिक है	26.625 करोड़ रूपए	2,500 करोड़ रूपए से अधिक 'टी' मूल्य का 0.5 प्रतिशत	1 लाख रूपए प्रति भांडागार

(क) जहां आवेदक/भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रूपए (निर्धारित) प्रति भांडागार होगी। जिसमें निर्धारित तथा गत्यात्मक दोनो प्रतिभूतियॉ कवर होती है।

(ख) प्रतिभूति जमा बैंक की सावधि जमा या डब्लू.डी.आर.ए. के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) संसद के किसी अधिनियम या किसी राज्य विधान सभा के अंतर्गत बनाए गए निकाय प्रतिभूति जमा के रूप में क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध कर सकते है। प्राधिकरण द्वारा जिस निकाय को क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, उसे अपने पंजीकरण आवेदन के साथ अपने निदेशक मंडल का संकल्प प्रस्तुत होगा जिसमें निकाय को इस प्रकार के क्षतिपूर्ति बंधपत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) भांडागारपाल द्वारा जारी कुल इ–एन डब्ल्यू आर के उच्चतम मूल्य के आधार पर प्रत्येक माह के आधार पर प्रतिभूति जमा अद्यतन करनी होगी।

(ङ) निर्धारित प्रतिभूति जमा पंजीकरण अवधि से 6 महीने बाद तक रखनी होगी जबकि गत्यात्मक प्रतिभूति जमा को प्रत्येक माह के अंत में अद्यतन कर प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

(च) गत्यात्मक प्रतिभूति जमा की बैधता कम से कम छह महीने के लिए रखी जा सकती है ताकि इस अवधि में प्रतिभूति जमा की आवश्यकता में किन्हीं परिवर्तनों को ध्यान मे रखा जा सके

(छ) प्राधिकरण अपने विवेक के अनुसार प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि को समायोजित कर सकता है।

(ज) प्रतिभूति जमा भांडागार के पंजीकरण की समाप्ति, रदद् होने अथवा वापस करने के छह महीने तक निर्मुक्त नहीं की जाएगी।

3.1.6 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के स्वामित्व वाले भांडागारों के लिए विशेष छूट

प्राधिकरण को ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्षमता वाले भांडागार चलाने वाली तथा किसानों के काफी निकट काम करने वाली राज्य स्तर की सहकारी समितियों, विशेषकर किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ) से काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसानों के निकाय होने के नाते ये किसानों की भंडारण आवश्यकताएँ पूरी करती हैं तथा उनके द्वारा जमा उत्पादों के विरूद्ध वित्त भी मुहैया कराती हैं । इन भांडागारों के पास कम क्षमता तथा अपर्याप्त संसाधन सहित वैज्ञानिक भांडागार चलाने के लिए व्यावसायिक योग्यता का अभाव है। अतः इन संस्थाओं की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पंजीकरण की अपेक्षाओं में वित्तीय तथा अवसंरचना के क्षेत्र में काफी छूट प्रदान की गई हैं।

(क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संगठनों के भांडागारों को निम्नलिखित वित्तीय छूट उपलब्ध है :–

i. अन्य भांडागारों के लिए जाने वाले 20,000/–रू से 30,000/–रू पंजीकरण शुल्क की तुलना में इनके लिए पंजीकरण शुल्क केवल 500/–रू है।

ii. भंडारण क्षमता चाहे कुछ भी हो, केवल नेटवर्थ सकारात्मक होनी चाहिए जबकि अन्य के लिए भांडागार की क्षमता के अनुसार नेटवर्थ विनिर्दिष्ट की गई है।

iii. प्रतिभूति जमा बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में प्रति भांडागार 50,000/– रू है (भांडागार द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार का मूल्य चाहे जो हो) जबकि अन्य के लिए 50,000 रु. (2000 मी. टन तक क्षमता के भांडागार) एक लाख रूपए तथा जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के मूल्य का प्रतिशत है।

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों का अवसंरचना संबंधी निम्नलिखित छूट प्रदान की गई हैं :–

i. यदि भांडागार ऐसे निकासी वाले स्थान पर स्थित है जहाँ बाढ़/पानी भरने की घटना नहीं हो सकती तथा नमी आने की संभावना नहीं है तो, प्लिंथ की ऊँचाई कम से कम 30 सै. मी. स्वीकार्य है।

ii. पंजीकृत किए जानेवाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में क्षमता की न्यूनतम सीमा 100 मी.टन होगी।

iii. प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारों के मामले में वाहनों की पार्किंग तथा उनके घूमने की स्थान की उपलब्धता पर बल नहीं दिया जाएगा चूँकि कम क्षमता वाली यूनिटें सदस्य किसानों के लिए चलाई जाती हैं।

iv. भांडागार में चट्टा–योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि गलियारों के लिए सही स्थान छोड़ा गया हो।

v. भांडागार में सामान के भंडारण तथा परिरक्षण के लिए सोसाइटी के सचिव के अलावा एक और स्टाफ सदस्य की (पूरे समय के लिए अथवा पार्ट टाइम आधार पर) लगाया गया होना चाहिए। सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता वांछनीय है लेकिन भांडागार के पंजीकरण के लिए इसे आवश्यक नहीं माना जाता।

vi. पक्की चार दीवारी/कंटीले तारों की बाड़ पर बल नहीं दिया जाएगा। ताथपि भांडागार में स्टॉक की सुरक्षा/संरक्षा के लिए ताले लगाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

vii. 500 मी. टन तक की क्षमता वाले प्राथमिक सहकारी समितियों के भांडागारो में कम से कम एक अग्नि शमन उपकरण (आवश्यक प्रकार का) तथा छह अग्नि शमन बाल्टियॉ होनी चाहिए। जिन भांडागारों की क्षमता 500 मी. टन से अधिक लेकिन 1500 मी. टन क्षमता तक है वहाँ तीन अग्नि शमन उपकरण तथा पन्द्रह अग्निशमन बाल्टियाँ होनी चाहिए।

3.1.7 छोटे भांडागारों के लिए छूट

प्राधिकरण को छोटे भांडागारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि पंजीकरण शुल्क अपेक्षा, नेटवर्थ, प्रतिभूति जमा आदि को कम किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सेवाएँ मुहैया कराई जा सकें। छोटे भांडागारों के वास्तविक मुद्दो को देखते हुए तथा उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्राधिकरण सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भार्तो में छूट प्रदान की है:–

i) 5000 मी.टन क्षमता से नीचे की क्षमता वाले भांडागारों के लिए पंजीकरण शुल्क 20,000/–रू से घटा कर क्षमता की विभिन्न स्लैबों में 5,000–15,000रू के बीच कर दिया गया है

ii) 10000 मी.टन क्षमता से नीचे के भांडागारों के लिए नेटवर्थ आवश्यकता 0.50 करोड़ – 5.000 करोड़ से घटा कर विभिन्न स्लैबों में 0.04 करोड़ से 2.00 करोड कर दी गई है।

iii) कुल 2000 मी.टन क्षमता वाले भांडागारों के लिए प्रतिभूति जमा आवश्यकता को 1.00 लाख रू (निर्धारित) + 0.50 लाख (निर्धारित) + इ–एन.डब्लू.आर. मूल्य कर दिया गया है तथा राशि सीमा निर्धारित कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त किसानो/एफ.पी.ओ के लिए रिपोजिटरी प्रभार 5/–रू मी.टन से घटा कर प्रति इ–एन.डब्लू.आर. अधिकतम 500/–रू तथा किसी मात्रा के लिए रू 40/– (निर्धारित) किया गया है।

3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन का कार्यान्वयन

आरम्भ में पंजीकरण आवेदन भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे। तथापि कागज आधारित आवेदन तथा इसके साथ संलग्नकों के प्रस्तुतिकरण को बोझिल तथा समय लेने वाला पाया गया। अतः पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने तथा एक सरल व पारदर्शी प्रणाली एवं इसकी ट्रैकिंग के लिए प्राधिकरण ने भांडागारों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की है। यह प्रणाली आवेदकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए है। नई प्रणाली में संबंधित गतिविधियों जैसे आवेदन शुल्क का भुगतान, आवेदन प्रोसेसिंग वर्क फ्लो,

संबंधित निरीक्षण एजेंसियों/ निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भौतिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण प्रतिभूति जमा का प्रस्तुतिकरण तथा ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली 1 नवम्बर, 2017 से लागू की गई । नई ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण को उसके नए पोर्टल, ीजजचेरूध्कतंण्हवअण्पद पर लॉगइन कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण के लिए विस्तृत अनुदेश प्राधिकरण के होमपेज पर उपलब्ध हैं। नई प्रणाली के अनुसार आवेदकों को भांडागारों के पंजीकरण के लिए सर्वप्रथम प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। लॉग इन के बाद वहाँ सृजित क्रेडेनशियल प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ने के लिए पोर्टल के माध्यम से साइन इन करना होता है।

गैर व्यक्ति भांडागार सेवा प्रदाता (डब्लू.एस.पी) से संबंधित आवेदन की सरल तथा सुगम प्रोसेसिंग के लिए पंजीकरण को दो–स्तर–प्रकिया बनाया गया है। पहले स्तर पर भांडागारपाल आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। भांडागारपाल अनुमोदित होने के पश्चात्, अगले स्तर पर संस्था के अधीन सभी भांडागारों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में रखी गई एजेंसियों को भी प्राधिकरण के नए पोर्टल पर पंजीकरण ऑनबोर्ड होने के लिए क्रेडेनशियल का प्रयोग कर पोर्टल पर साइन इन करने के बाद निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आबंटन प्राप्त होगा तथा इसी प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। इससे पूर्व डब्लूडीआरए निरीक्षण एजेंसी का चयन मैनुअली करता था जिसके बाद निरीक्षण आबंटित किया जाता था, या उसके लिए निरीक्षण अधिकारियों का चयन किया जाता था। यह प्रक्रिया कार्य भार तथा लंबित कार्यो के आधार पर होती थी। अब निरीक्षण एजेंसी की चयन प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई है जिससे निरीक्षण के लीड समय घट गया है।

3.2.1 ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :–

i) व्यक्ति/प्राधिकरण प्रतिनिधि (गैर व्यक्ति संस्था के मामले में) का फोटोग्राफ

ii) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पाँचवी अनुसूची में यथा अपेक्षित आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र

iii) मानक प्रचालन प्रक्रिया (यदि डब्लूडीआरए के एसओपी का अनुपालन नहीं किया गया जाता)

iv) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 18 (5) के अधीन नेटवर्थ के समर्थन में दस्तावेज

v) भांडागार (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 नियम 17 (26.04.2017 के परिपज के अनुसार), भांडागार के पंजीकरण के लिए भांडागार के पंजीकरण के समय बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध है के अधीन तथा निर्धारित बीमा पॉलिसियों की प्रति

vi) भांडागार का ले–आउट प्लान

vii) भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) के मामले में में बेसिक डाटा शीट

viii) तकनीकी मानक, जिसके अधीन भांडागार (कोल्ड स्टोरेज)निर्मित किया गया, के बारे में प्रमाण

ix) माल परखने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची

x) माल तौलने के लिए भांडागार में उपलब्ध उपकरणों की सूची

xi) अग्नि सुरक्षा के लिए उपकरणों का विवरण जैसे अग्निशमन उपकरण / बाल्टियाँ आदि

xii) भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 की पहली / छठी अनुसूची के अनुसार उस भूमि के संबंध में जिस पर भांडागार स्थित है, के अधिकारों के अभिलेख अथवा रजिस्ट्रीकृत हक विलेख

3.2.2. भांडागार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली में अन्य प्रावधान

विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण को सरल बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रिअल टाइम मॉनीटरिंग के लिए किए गए अन्य प्रावधान इस प्रकार है :–

i) सभी श्रेणी के भांडागारो जैसे पारम्परिक, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलो के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

ii) पंजीकरण की तारीख से 90 दिन पूर्व की अवधि समाप्त होने की स्थिति पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण तथा भांडागार / भांडागारपालों का परिशोधन / अद्यतन

iii) पंजीकरण का ऑनलाइन सरेंडर

iv) प्रतिभूति की मान्यता के अनुसार पंजीकरण अवधि (पाँच वर्ष अथवा कम) प्रदान करना

v) पारम्परिक भांडागारों, कोल्ड स्टोरेज तथा साइलो की निरीक्षण रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण

vi) निरीक्षण अधिकारियों को अपनी निरीक्षण रिपोर्टों की पीडीएफ प्रतियाँ प्रिंट करने की सुविधा

vii) एजेंसियों को डैशबोर्ड की सुविधा

viii) गैर–व्यक्ति संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा एसोसिएट प्राधिकृत प्रतिनिधियों के ऑनलाइन अपडेशन का प्रावधान

ix) प्रतिभूति, जमा, गोदाम पट्टे, बीमा पॉलिसी की मान्यता स्थिति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग

x) पंजीकरण प्रक्रिया तथा विनियामक अनुपालन से संबंधित ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट का प्रावधान

xi) सिंगल भांडागार की एक से अधिक बीमा पॉलिसियों को अपलोड करने की सुविधा

xii) विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण आवेदन के लंबित होने को दिखाने के लिए डैशबोर्ड तथा प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए रिअल टाइम की सुविधा

xiii) भांडागारों का ऑनलाइन स्टॉक निरीक्षण

3.3 इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेअरहाउस रसीदों के संबंध में अधिसूचना

यह अनुभव किया गया था कि पेपर आधारित परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रयोग के साथ खोने, क्षत–विक्षत होने, क्षति, लिखे गए पर लिखने एवं हेर–फेर करने जैसे जोखिम जुड़े हुई हैं तथा उनकी परक्राम्यता / हस्तान्तरण की भी सीमाएँ हैं। अतः इन जोखिमों / बाधाओं को दूर करने तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों की विश्वसनीयता / सत्यनिष्ठा में वृद्धि करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनी रूपान्तरण योजना के अधीन रेपोजिटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद शुरू करने का निर्णय लिया गया ताकि इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीद का सृजन तथा प्रबंधन सुविधाजनक हो सके।

केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण ने भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम, 2017, 29 जून, 2017 को जारी किए। प्राधिकरण ने इ–एन.डब्लू.आर. के

सृजन तथा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रेपोजिटर्स पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए है:–

(क) डिपोजिटरी फैसेलिटी मैसर्स सी.डी.एस.एल द्वारा प्रायोजित मैसर्स सी.डी.एस.एल कामोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड़ (सी.सी.आर.एल)।

(ख) एन.सी.डी.ई.एक्स. पेशेवर ऑनलाइन मल्टी एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित मैसर्स नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड़ (एन.ई.आर.एल) ।

3.4. भांडागार रसीद / स्टॉक रसीद की तुलना में ई–परक्राम्य भांडागार रसीद के लाभ

इ–एन.डब्लू.आर. एक अधिक सुरक्षित दस्तावेज है। इस द्वारा कागज आधारित भांडागार रसीदों / स्टॉक रसीदों की तुलना में, संबंधित भांडागार की विश्वसनीयता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के प्रमुख लाभ तालिका 3.5 में दिए गए है।

तालिका 3.5

कागज आधरित / स्टॉक रसीद	इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद
भावी खरीदार के लिए केवल एक ही तरीके से प्रयोग की जा सकती है	खरीदारों की बड़ी संख्या के साथ यह किसान / जमाकर्ताओं को पूरे देश में बेहतर मोल–तोल की पहुँच के लिए सहायता करती है
इसे विखंडित नहीं किया जा सकता	इ–एन.डब्ल्यू.आर को वस्तु के एक भाग के हस्तांतरण के लिए विखंडित किया जा सकता है
खोने, कटने–फटने, छेड़–छाड़ तथा हेर–फेर करने तथा झूठा हिसाब करने की संभावना रहती है	इस प्रकार की किसी संभावना की गुंजाइश नहीं है
पारदर्शी तरीके से कुशल क्लिअरिंग तथा ट्रेडिग में निहित कठिनाइयाँ आती है	कृषि उपज की ट्रेडिंग में पारदर्शिता के साथ कुशल क्लिअरिंग, सैटलमेंट तथा डिलिवरी प्रणाली में सक्षम है।
भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारको के साथ बाँटना मुश्किल	भांडागार रसीद की महत्वपूर्ण सूचना अधिक हितधारकों जैसे बैंकर्स, कोमोडिटी एक्सचेंज सरकार आदि के साथ बाँटना आसान
रसीद में सूचना की एकरूपता नहीं	अधिनियम तथा विनियमन के अधीन मानक प्रारूप
विनियमित नहीं	संविधिक निकाय डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा विनियमित
परखना अनिवार्य नहीं	इ परक्राम्य भांडागार रसीद में गुणवत्ता की सूचना देना अनिवार्य
सामान प्राप्त किए बिना परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की जोखिम	इस प्रकार की संभावना नहीं
प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना डुप्लीकेट एन.डब्लू.आर जारी करने की जोखिम	संभव नहीं
धोखाधड़ी से सामान का मूल्य अधिक बताना	कृषि बाजार के मूल्यों की पुनः प्राप्ति संभव
कोई निगरानी तथा पर्यवेक्षण नहीं	डब्लू.डी.आर.ए द्वारा नियमित निगरानी
वेअरहाउस रसीदों की कानूनी परक्राम्यता के बिना व्यापार के लिए हस्तांतरण / पृष्ठांकन के मामले में विधिमान्य हस्तांतरण की समस्या	इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया होने आदि से एक से अधिक संख्या में हस्तांतरण संभव है तथा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 का विधिमान्य बैकअप
गैर विनियमित भांडागारोंके मामले में अधिक मुकदमेबाजी	मुकदमेबाजी काफी सीमा तक घट जाएगी

3.5 पंजीकृत भांडागारों द्वारा अनिवार्य रूप से इ–एन.डब्लू.आर. जारी किया जाना

भांडागारण (विकास एवं विनियमन), भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 27 में प्रावधान है कि ''प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से, कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप में जारी नहीं करेगा तथा परक्राम्य भांडागार रसीदों को इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के पास रजिस्टर करेगा''।

इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2019 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया कि कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप से जारी नहीं करेगा तथा प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक या अधिक रेपोजिटर्स के साथ ऑनबोर्ड होगा एवं केवल इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में परक्राम्य भांडागार रसीद की जाएगी।

3.6 भांडागारों का पंजीकरण

1 नवम्बर, 2017 से भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद पंजीकरण के लिए कागज आधारित आवेदन प्राप्त करना बंद कर दिया गया है। आरम्भिक स्तर पर आने वाले मुद्दों का समाधान करने तथा उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रक्रिया में सुधार लेने के उपरांत पंजीकरण बढ़ा है तथा अब यह काफी चल निकला है।

डब्लूडीआरए औसतन प्रति वर्ष 386 भांडागार पंजीकृत करता रहा लेकिन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न राज्यों में 610 भांडागारों को नीचे दिए गए इकाईवार विवरण के अनुसार पंजीकृत किया गय है।

तालिका 3.6 वर्ष 2021–22 के दौरान पंजीकृत किए गए भांडागारों का संस्थावार विवरण

क्र.सं.	संस्था का प्रकार	भांडागार की संख्या	भांडागारों की संख्या क्षमता (लाख मी. टन में)
1	कम्पनी	121	5.385
2	व्यक्तिगत	77	5.050
3	सहकारी समिति	73	0.084
4	भागीदारी फर्म	15	1.195
5	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	105	17.395
6	पीएसयू–एसडब्लूसी	218	35.880
7	संस्था	1	0.001
	कुल	**610**	**64.99**

वर्ष 2021–22 के दौरान माहवार पंजीकृत भांडागार की प्रगति इस प्रकार है

चित्र 3.1

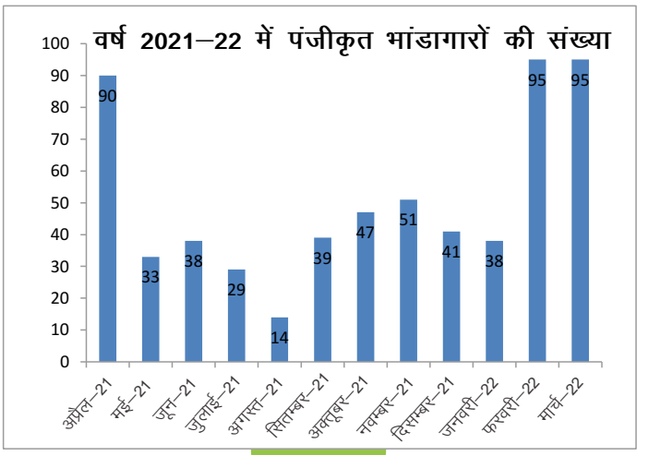

31.3.2022 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपनी स्थापना अर्थात् 2011–12 से पंजीकृत किए गए भांडागारों में से कुल 181 लाख मी.टन क्षमता के 2516 भांडागार सक्रिय रहे ।

31.03.2022 को सक्रिय पंजीकरण सहित भांडागारों के पंजीकरण का राज्यवार तथा वर्षवार विवरण इस प्रकार है।

तालिका 3.7

क्र. सं.	राज्य	पंजीकृत भांडागारों की संख्या											संचयी पंजीकरण	31.03.2022 को कुल सक्रिय
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22		
1	आंध्र प्रदेश	45	16	15	19	09	00	03	20	28	08	24	187	84
2	असम	00	03	01	00	00	00	01	01	00	00	02	08	04
3	बिहार	00	00	02	00	02	01	02	04	05	06	28	50	40
4	छत्तीसगढ़	00	01	00	00	00	00	00	00	00	05	33	39	38
5	चंडीगढ़	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	01	01
6	दिल्ली	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	01	01
7	गुजरात	03	05	02	10	145	22	85	61	53	55	43	484	164
8	गोआ	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	01	01
9	हरियाणा	15	00	00	00	08	00	02	08	06	04	14	57	27
10	हिमाचल प्रदेश	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03	04	03
11	झारखंड	00	00	01	00	00	00	00	01	00	01	01	04	03
12	कर्नाटक	00	14	01	03	19	13	09	06	02	04	06	77	31
13	केरल	11	01	08	01	00	01	03	00	03	06	02	36	16
14	मध्य प्रदेश	17	20	10	53	153	102	41	197	66	46	44	749	403
15	महाराष्ट्र	22	14	00	08	56	40	35	66	32	32	30	335	117
16	नागालैण्ड	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01	01
17	उड़ीसा	01	00	00	00	00	00	00	02	00	03	16	22	21
18	पंजाब	04	09	00	01	00	00	00	08	00	05	15	42	26
19	पदुचेरी	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01
20	राजस्थान	48	04	14	10	116	28	67	59	46	35	148	575	255
21	तमिलनाडु	52	00	14	128	71	05	03	126	757	81	77	1314	1064
22	तेलंगाना	00	00	00	00	02	00	07	18	02	06	23	58	45
23	उत्तराखंड	00	00	00	00	00	00	00	00	00	05	01	06	06
24	उत्तर प्रदेश	20	05	00	01	06	01	02	27	05	30	80	177	139
25	पश्चिम बंगाल	00	00	00	00	01	01	01	02	00	02	19	26	24
26	त्रिपुरा	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	00	01	01
	कुल योग	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**607**	**1005**	**337**	**610**	**4256**	**2516**

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार संस्थावार तथा वर्षवार पंजीकृत भांडागार तथा सक्रिय भांडागारों का विवरण निम्न तालिका सं. 3.8 में दिया गया है।

तालिका सं. 3.8

संस्थावार	कुल पंजीकृत भांडागारों											संचयी पंजीकरण	31.03.2022 को कुल सक्रिय
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22		
के.भ.नि.	135	25	15	3	2	5	14	84	21	81	104	489	344
रा.भं.निगम	87	28	9	1	16	44	0	37	59	01	218	500	315
निजी	18	26	14	81	500	163	241	386	194	141	202	1966	830
पी.ए.सी/एफ.पी.ओ	0	13	30	145	70	2	1	97	723	84	77	1242	982
कोल्ड स्टोरेज	0	0	0	4	0	0	5	3	8	30	9	59	45
कुल	**240**	**92**	**68**	**234**	**588**	**214**	**261**	**607**	**1005**	**337**	**610**	**4256**	**2516**

3.7 तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के भांडागारों के पंजीकरण की प्रगति

रिपोर्ट वर्ष में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ (आर.सी.एस) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदर्शित रूचि को देखते हुए सकारात्मक नेटवर्थ वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पंजीकृत करने के लिए जागरूकता शिविर, पंजीकरण शिविर, मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2021–22 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कुल 1.53 लाख मी. टन क्षमता के 77 भांडागार पंजीकृत किए गए। रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार तथा संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिखाई गई रूचि एवं समर्थन सराहनीय तथा प्रशंसा योग्य है।

तलिका 3.9 2021–22 के दौरान माहवार प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के भांडागारों का पंजीकरण

माह	प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पंजीकृत किए गए भांडागारों की संख्या
अप्रैल, 2021	4
मई, 2021	7
जून, 2021	8
जूलाई, 2021	10
अगस्त, 2021	10
सिमम्बर, 2021	4
अक्तूबर, 2021	1
नवम्बर, 2021	3
दिसम्बर, 2021	8
जनवरी, 2022	6
फरवरी, 2022	12
मार्च, 2022	4
कुल	**77**

3.8 भांडागारों के पंजीकरण का ऑनलाइन नवीकरण

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालो/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाएँ अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित की गई है, जो 19 मार्च, 2018 से प्रचालन में है। इस तारीख से पंजीकरण के नवीकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिशोधन तथा भांडागारपालों/भांडागारों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के अद्यतन के संबंध में सभी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा रहे है। दिनांक 20.01.2020 के परिपत्र सं. डब्लूडीआरए/2018/1–3/टैक–81 द्वारा यह बल दिया गया है कि डब्लू एस पी/भांडागारपालों को समान पंजीकरण सं. बनाए रखने के लिए पंजीकरण समाप्त होने के 3 महीने (90 दिन) पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यदि 90 दिन की समय–सीमा का पालन नहीं किया जाता तथा पंजीकरण की भोश समय अवधि 90 दिन से कम रह जाती है तो भांडागारपाल को भांडागार के पंजीकरण के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसी स्थिति में भांडागार की पुरानी पंजीकरण सं. ऑनलाइन आवेदन के सबंधित कॉलम में भरनी होगी।

3.9 भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग।

भांडागारों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग पंजीकृत भांडागारों के विनियामक अनुपालन के लिए एक कुशल मानीटरिंग तथा निगरानी प्रणाली की मूल आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक निरीक्षण प्रणाली विकसित की है:–

i) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के अधीन आधारभूत अवसंरचना प्रचालन प्रक्रियाओं और अन्य प्रावधानों, नियमों और विनियमों और भांडागारों के पंजीकरण के समय प्रत्ययन एजेंसी द्वारा जाँच के रूप में जो बिन्दु निर्धारित किए गऐ हैं, पंजीकृत भांडागारों द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उन्हें जारी रखना।

ii) परक्राम्य भांडागार रसीद की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना

इसके अतिरिक्त पैनल में रखी गई एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारी तथा प्राधिकरण के अधिकारी भी समय–समय पर विशेष परिस्थितियों में कुछ भांडागारों का निरीक्षण करते हैं।

3.10 निरीक्षण एजेंसियों के इमपैनलमेंट तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश

प्राधिकरण ने निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण के लिए व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार निरीक्षण एजेंसियों के चयन तथा पैनल में डालने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए है:–

1. निरीक्षण एजेंसी के रूप पैनल में शामिल करने के लिए विचार करने हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:–

क) आवेदक एक योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति हो ।

ख) आवेदक द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए निरीक्षण किए हुए होने चाहिए।

ग) आवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 निरीक्षण/ऑडिट किए हुए होने चाहिए

घ) आवेदक द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान भांडागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य भंडारण एवं, खाद्य सुरक्षा में लगे भांडागारों फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम तीस निरीक्षण किए हो।

ड.) आवेदक के पास निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार भांडागारों के निरीक्षण के तीन अर्हता प्राप्त निरीक्षण अधिकारी तथा भांडागारपाल होने चाहिए।

i) विज्ञान में कम से कम स्नातक डिग्री (अभियांजिकी तथा तकनीकी स्नातक सहित) कृषि अथवा संबंधित विज्ञान में स्नातक डिग्री।

ii) निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात्– भण्डारण, परख, कृषि वस्तुओं के निरीक्षण एवं परीक्षण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

iii) भाण्डागारण, लॉजिस्टिक, वस्तु प्रबंधन, खाद्य वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण तथा खाद्य सुरक्षा में संलग्न भांडागारों, फर्मो तथा संस्थाओं के कम से कम पाँच निरीक्षण/ऑडिट/प्रमाणन किए हों।

iv) अच्छी आई.टी. कुशलताएं हो तथा ई–मेल, इंटरनेट आदि सहित ऑनलाइन रिर्पोट सिस्टम में कार्य करने की पूरी जानकारी हो।

v) अधिमानत प्रशिक्षित एवं लाइसेंसशुदा परख कुशल ता हो।

च) आवेदक के निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्यालय होने चाहिए।

i) उत्तर (चण्डीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश सहित)

ii) दक्षिण (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना)

iii) पूर्व (अरूणाचल प्रदेश , असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित)

iv) पश्चिम (दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीव, गोआ, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)

v) मध्य (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित)

3.11 निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना

इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए छानबीन के पश्चात् पात्र संगठनों को शॉर्टलिस्ट कर नौ निरीक्षण एजेंसियों को प्राधिकरण के निरीक्षण एजेंसी के पैनल में डाला गया। एजेंसियों को पैनल परिभाशित दिशा–निर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण (पंजीकरण से पूर्व) सामान्य निरीक्षण तथा अन्य निरीक्षण का कार्य सौपा गया। पैनल में रखी गई निरीक्षण एजंसियों के पास पर्याप्त संख्या में निरीक्षण अधिकारी हैं जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करते हैं। निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण तथा निरीक्षण अधिकारी आबंटित करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। निरीक्षण रिर्पोट भी विभिन्न प्रकार के निरीक्षण जैसे पारम्परिक भांडागार, साइलो तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए ऑनलाइन फाइल की जा सकती है तथा निरीक्षण स्थल से ही प्रस्तुत की जा सकती है। इससे ऐसे भांडागार, जिन्होंने निरीक्षण के लिए पंजीकरण हेतु डब्लू.डी.आर.ए. में आवेदन किया है, के निरीक्षण में लगने वाला समय काफी घट गया है।

पैनल में रखी गई एजेंसियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

पैनल में रखी गई एजेंसियों की सूची।

1. ट्रु क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड 210, साँई राम प्लाजा 63, मंगल नगर, भंवरकुआँ ए.बी. रोड, इन्दौर–452001
2. एस.एस.आर.ए. एंड कम्पनी, एम–13 एल जी एफ, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2 नई दिल्ली–110049
3. वन सर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लि., एच–08, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर–302020, राजस्थान
4. नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 24, राजेन्द्र प्लेस, नाबार्ड टावर, नई दिल्ली–110025
5. टी क्यू सर्विसेस लिमिटेड, एस.बी.यू. क्वालिटी सर्विसिज स्पलेंडिड टावर, छठी मंजिल, एच नं 1–8–364, 437, 438 एवं 455, बेगमपेट, हैदराबाद–500016
6. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उत्पादकता भवन, 5–6 इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
7. सनर्जी टेक्नोफिन प्राइवेट लिमिटेड बी–231, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1 नई दिल्ली–110048
8. ब्यूरो वेरिटस, बिजनेस पार्क ग्राउंड मरोल इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस रोड सी, एमआईडीसी अंधेरी पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र–400093
9. एसजी एनजी एसोसिएट्स ए–15 / 32 एलजीएफ, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

भांडागारों के निरीक्षणों की बढ़ती संख्या को देखतें हुए प्राधिकरण ने और निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में रखने के लिए प्रक्रिया आारम्भ की है।

3.12 निरीक्षण एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान

भंडारण एजेंसियों का शुल्क का भुगतान प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करने के लिए निम्न प्रकार से शुल्क का भुगतान करता है।

तालिका 3.10

निरीक्षण का प्रकार	विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रति निरीक्षण शुल्क (सभी शामिल)		
	10,000 टन तक (रू. में)	10,000 Ton से 25,000 टन तक (रू. में)	25,000 टन से अधिक (रू. में)
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

टिप्पणी

1. प्राधिकरण उत्तरी पूर्वी राज्यों में भांडागारों के लिए 2500 / –रू अतिरिक्त उपलब्ध कराएगा।
2. यदि सामान्य अथवा औचक निरीक्षण निम्नलिखित में से अर्थात् (क) भौतिक निरीक्षण अथवा (ख) स्टॉक निरीक्षण होगा तो, उस स्थिति में भौतिक निरीक्षण की दरों के अनुसार निरीक्षण एजेंसी को भुगतान किया जायेगा

3.13 वर्ष 2021–22 में निरीक्षण अधिकारियों एवं जोड़े गए नए निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण

पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारियों का समय–समय पर निरीक्षण आवश्यक है जिससे वे निरीक्षण प्रणाली / स्पेसिफिकेशन / वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अवगत हो सके और उनका न्यूनतम कुशलता स्तर / कार्यनिष्पादन के मानक सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारिये द्वारा निरंतर फीड बैक मिल सके और तथा पैनल में रखी गई सभी एजेंसियों निरीक्षणों में एक समानता समान निरीक्षण विधि बनी रहे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 9 पैनलबद्ध निरीक्षण एजेंसियो के निरीक्षण अधिकारियो के लिए 2 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए जिनमें कुल 166 निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त नये भांडागारों के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनो की बढ़ती संख्या को देखते हुए, पंजीकृत भांडागारों के कार्यनिष्पादन की बढ़ती आवश्यकता, छोटे कस्बों तथा दूरस्थ क्षेत्रों आदि में भांडागारों की भौगोलिक स्थिति आदि को देखते हुए 74 निरिक्षण अधिकारी तथा 9 निरीक्षण एजेंसियां का पैनल बनाया गया।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 9 पैनलबद्ध एजेंसियों में से दो अर्थात् ब्यूरो वेरिटास तथा एसजीएनजी एण्ड एसोसिएट को वित्तीय वर्ष 2021–22 में पैनल में रखा गया है। सक्रिय निरीक्षण अधिकारियों की संख्या भी वित्तीय वर्ष 2021–22 में 96 से बढ़ कर 176 हो गई। इस वृद्धि के फलस्वरूप औसत निरीक्षण समय वर्ष 2020–21 के 9.8 दिन से वर्ष 2021–22 में घट कर 7.2 दिन हो गया।

मैटल भांडागारों का दौरा भी किया गया ताकि उनकी भंडारण प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त हो सके। गैर कृषि वस्तुओं को भंडारित कर रहे भांडागारों के निरीक्षण के लिए डब्लूडीआरए द्वारा मानक स्थापित किए जा रहे है।

25 अक्टूबर, 2021 को इस्पात भांडागार का दौरा

06 अक्टूबर, 2021 को अलौह धातु भांडागार का दौरा

3.14 भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण

भांडागारों के पूर्व निरीक्षण से पहले प्राधिकरण ऐसे भांडागारों का स्टॉक निरीक्षण भी करता है जो काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करते हैं। संबंधित एजेंसियों से प्राप्त विवरण के अनुसार भांडागारों में कृषि वस्तुओं के मात्रात्मक तथा गुणात्मक ऑडिट / निरीक्षण की योग्यता तथा अनुभव रखने वाले निरीक्षण अधिकारियों की स्टॉक निरीक्षण के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिकारी भी ऐसे भांडागारों की स्टॉक निरीक्षण के लिये तैनात किए जाते हैं जहाँ अचानक स्टॉक निरीक्षण अल्प सूचना पर किया जाना होता है।

वर्ष 2021–22 में भांडागारों के 515 स्टॉक निरीक्षण किए गए।

तेम्बहुर्ना ताल्लुका, खामगांव, जिला बुलडाना, महाराष्ट्र में मैसर्स सागर कार्गो गट नं. 163 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर स्थित भांडागार का दिनांक 25.11.2021 को स्टॉक निरीक्षण

3.15 डब्लू.डी.आर.ए. के साथ रेपोजिटरीज का पंजीकरण।

प्राधिकरण ने इलक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदें (इ–एन.डब्लू.आर.) के सृजन तथा प्रबंधन के लिए दो रिपोजिटरी अर्थात मैसर्स सेण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड द्वारा प्रायोजित (सी.सी.आर.एल) तथा नेशनल कोमोडिटी एण्ड डेरिवेटिवज एक्सचेंज द्वारा प्रायोजित नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड को लगाया है। इन रिपोजिटरी द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :–

- खाताधारक के वैध प्राधिकार के आधार पर इ–एन.डब्लू.आर./इ–एन.एन.डब्लू.आर. के सुरक्षित एवं सही सृजन, रख–रखाव तथा रद्दकरण करना।
- इ–एन.डब्लू.आर. की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा तथा इससे संबंधित सभी सूचनाएँ सुनिश्चित करना।
- इ–एन.डब्लू.आर. के हस्तांतरण, गिरवी अथवा गिरवी से हटाना एवं इ–नीलामी करना।
- इ–एन.डब्लू.आर. अथवा भांडागार के माध्यम से ई एन.डब्लू.आर में दिए अनुसार, भाग में अथवा पूरी डिलीवरी देना

रिपोजिटरी प्रणाली 26 सितम्बर, 2017 से लागू हो गई थी। प्राधिकरण ने 23 अप्रैल, 2019 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन एवं प्रबन्धन हेतु पंजीकृत रेपोजिटरीज के लिए कॉर्पोरेट दिशा निर्देश भी जारी किए थे।

वर्ष 2020–21 के दौरान 94737 ई–एन. डब्लू.आर. जारी की गई है। विवरण इस प्रकार है:–

तालिका 3.11

रेपोजिटरी	एक्सचेंज	नॉन एक्सचेंज	कुल
एन.इ.आर.एल	75252	7765	83017
सी.सी.आर.एल	11439	281	11720
कुल	86691	8046	94737

3.12 वर्ष 2021–22 के दौरान रेपोजिटरी का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	विवरण	रेपोजिटरी का नाम		कुल
		एन.ई.आर.एल	सी.सी.आर.एल	
1	जारी की गई इ–एन.डब्लू.आर.	83,017	11,720	94,737
2	इ–एन.डब्लू.आर. जारी कर रहे भांडागारों की सं.	352	73	425
3	रेपोजिटरी के पास ऑनबोर्ड भांडागारों की सं.	96	35	131
4	जामाकर्ता/ग्राहकों की संख्या जिन्होंने खाते खोले	1,842	286	2,128
5	जोड़े गए आर.पी. की सं.	2	3	5
6	रेपोजिटरी के पास ऑनबोर्ड प्लेज (बैंक/वित्तीय संस्थाएं)	31	22	53
7	ई–एन.डब्लू.ओर के विरूद्ध जमा किए गए स्टोक की मात्रा (लाख मी. टन)	7.85	0.77	8.62
8	इ–एन.डब्लू.आर. के विरूद्ध जमा स्टॉक का मूल्य (करोड़ रू में)	4,333.94	49.83	4,383.77
9	इ–एन.डब्लू.आर. के विरूद्ध प्लेज/ऋृण (करोड़ रू में)	1444.53	47.08	1491.61

3.16 इलेक्ट्रोनिक भांडागार रसीदों का ई–नैम प्लेटफार्म के साथ एकीकरण

ई–नैम ऑनलाइन ट्रेडिंग, मंड़ियों के संपूर्ण कामकाज के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए विनियमित ए.पी.एम.सी. मंड़ियों में एक वैबआधारित प्लेटफार्म है, जहाँ पर ई–नैम सदस्य के उत्पाद को उस द्वारा मंड़ी में व्यापार के लिए अंतिम रूप देने के बाद भुगतान के लिए रखा जाता है। इसमें गेट एंट्री, लॉट मैनेजमेंट, बीडिंग, ई–सेल एग्रीमेंट और ई पेमेंट आदि की गतिविधियाँ भी शामिल है। ई–नैम पर ट्रेडिग के लिए कमोडिटीज की परख हेतु 150 कृषि कमोडिटिज के लिए कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर विकसित किए गए है।

प्राधिकरण ने कृषि, सहकारिता ओर किसान कल्याण विभाग के साथ इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली को ई–नैम के साथ एकीकरण के लिए मिलकर काम किया है ताकि पंजीकृत भांडागार द्वारा जारी की गई इ–एन.डब्लू.आर. रखने वाले किसान/धारक अपना स्टॉक बेच सके और बेहतर मूल्य खोज सकें। पंजीकृत भांडागार को ई–नैम ए.पी.एम.सी मंडी में राज्य प्राधिकारियों द्वारा व्यापार के लिए उप–यार्ड के रूप में घोशित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रयोजन के लिए एक विशेष दिन पर ई–नैम प्लेटफार्म पर बोली लगाने के लिए इ–एन.डब्लू.आर. धारक के

अनुरोध को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए, रिपॉजिटरी (सी.सी.आर.एल और एन.ई.आर.एल) और ई–नैम के बीच एक आई टी इंटरफेस बनाया गया है। अनुरोध में सभी आवश्यक जानकारी जैसे वस्तु की मात्रा/गुणवत्ता , इ–एन.डब्लू.आर. विवरण, ई–इन.डब्लू.आर धारक का विवरण, प्रत्याशित मूल्य विक्रेता का बैंक खाता विवरण दिए जाते है। बोली को अंतिम रूप देने तथा इसे विक्रेता / इ–एन.डब्लू.आर. धारक द्वारा स्वीकार करने के बाद, खरीदार जो ई–नैम का सदस्य है, वह ई–नैम को विनिर्दिश्ट दो दिन के अंदर ई–भुगतान करेगा। ई–नैम प्रणाली अपना शुल्क काटने के बाद राशि को विक्रेता /इ–एन.डब्लू.आर. के खाते में भेज देगी। ई–नैम खरीदार को इ–एन.डब्लू.आर. हस्तांतरित करने के लिए भांडागार को संदेश भी भेजेगी (खरीदार के पास रिपोजिटरी के साथ ग्रांहक के खाता होना चाहिए अथवा उसके खाते में इ–एन.डब्लू.आर. के हस्तांतरण के लिए रिपोजिटरी में से किसी के साथ खाता खोलना होगो)

इस व्यवस्था में, किसी किसान/इ–एन.डब्लू.आर. धारक को ए.पी.एम.सी मंड़ी में अपना उत्पाद स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल इ–एन.डब्लू.आर. का उपयोग करके अपनी उपज बेच सकता है। यह उसे बेहतर कीमत के लिए इंतजार करने की अनुमति देगा और उसे अपनी उपज तुरंत बेचने की आवश्यकता नहीं होगी।

आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में लगभग 60 भांडागारों को संबंधित ए.पी.एम मंड़ी के ई–नैम प्लेटफार्म पर व्यापार करने के लिए उन भांडागारों के इ–एन.डब्लू.आर. धारक की सुविधा के लिए बाजार उप–यार्ड घोशित किया गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि उत्पाद मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 अन्तर्गत अधिसूचित किया है कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यरत डब्ल्यू.डी.आर.ए. के पास पंजीकृत भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज को मार्केट सब यार्ड माना जाएगा तथा ऐसे भांडागार/साइलो/कोल्ड स्टोरेज के प्रचालक को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी माना जाएगा।

3.17 भांडागारण क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम।

भांडागारण क्षेत्र का कौशल तथा क्षमता बढ़ाने के लिए के लिए डब्लू.डी.आर.ए. द्वारा पंजीकृत भांडागारों के भंडागारपालों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण भागीदार संस्थानों के माध्यम से नियमित रूप से निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के संबंध में लाभों की जानकारी देने हेतु किसानों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2021–22 में आयोजित किए गए कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैः–

3.17.1 भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 के संबंध में किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा एनडब्लूआर/इ–एनडब्लूआर प्रणाली के लाभ।

वर्ष 2021–22 में प्राधिकारण ने 12 राज्यों में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली के लाभों के संबंध में जानकारी देने के लिए किसानों, व्यापारियों, मिल मालिकों के लिए 177 एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनमें 8874 भागीदार शामिल हुए जबकि वर्ष 2020–21 में 10 राज्यों में 151 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें 7750 प्रशिणार्थी शामिल हुए थे। ये जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे केन्द्रीय भंडारण निगम, सी.सी.एस.एन.आइ.ए. एम. जयपुर, आइ.सी.एम, भोपाल, यू.आर.आई.आई.सी.एम. गाँधीनगर, आई.सी.एम., मदुरई, आई.सी.एम., हैदराबाद, आर. आई.सी.एम, चंडीगढ़, मधुसुदन आई.सी.एम. भुवनेश्वर, आई.जी.आई.सी.

एम लखनऊ, एनएलसीएफ दिल्ली तथा एन. आई.सी.एम. चेन्नई, के माध्यम से आयेजित किए । विवरण इस प्रकार हैः–

तालिका 3.13

क्र.सं.	संगठन	आयोजित किए कार्यक्रम की संख्या	भाग लेने वाले किसानों / व्यापारियों / मिल मालिकों की संख्या
1.	चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (सीसीएसएनआईएएम), जयपुर	20	998
2.	केन्द्रीय भंडारण निगम, दिल्ली	20	1002
3.	आई.सी.एम., भोपाल	7	350
4.	आई.सी.एम., हैदराबाद	20	999
5.	आई.सी.एम., मदुरई	19	950
6.	आई.जी.आई.सी.एम., लखनऊ	30	1500
7.	एम.आई.सी.एम., ओडिसा	9	450
8.	एनसीयूआई, नई दिल्ली	9	474
9.	एन.आई.सी.एम., चेन्नई	5	232
10.	एन.एल.सी.एफ, दिल्ली	5	250
11.	आर.आई.सी.एम., चंडीगढ़	21	1069
12.	यू.आर.आई.सी.एम., गांधीनगर	12	600
	कुल	**177**	**8874**

प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अधीन हुई प्रगामी प्रगति का विवरण इस प्रकार है। कुल मिलाकर 1170 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 58524 किसानों ने भाग लिया

तालिका 3.14

क्र.सं.	वर्ष	आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वाले किसानों की संख्या
1	2011-12	04	200
2	2012-13	96	4800
3	2013-14	138	6900
4	2014-15	85	4250
5	2015-16	95	4750
6	2016-17	98	4900
7	2017-18	97	4850
8	2018-19	114	5700
9.	2019-20	115	5750
10.	2020-21	151	7550
11.	2021-22	177	8874
	Total	**1170**	**58524**

आईसीएम के सहयोग से 04.03.2022 को मदुरई में आयोजित डब्लूडीआरए किसान जागरूकता कार्यक्रम

सीसीएस एनआईएएम के सहयोग से 20–25 फरवरी 2022 तक भांडागारपालों के लिए आयोजित ऑनलाइन मोड में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.17.2 भांडागारपालों / भांडागार प्रबंधको का प्रशिक्षण।

भांडागारों को प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक चलाने एवं भांडागारपालों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम पंजीकृत भांडागारों के भांडागारपालों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भांडागारपालों को भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 का लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्रमुख विशिष्टताएँ, भांडागारों की मान्यता का उद्देश्य तथा, भांडागारों का पंजीकरण, कृषि वस्तुओं का वैज्ञानिक भंडारण, कीट नियंत्रण पीड़क जन्तु नियंत्रण, भांडागारण प्रबंधन, परक्राम्य भांडागारण रसीदों के माध्यम से वित्त पोषण, भांडागारो एवं वस्तुओं का बीमा आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कार्मिकों के लिए भांडागारों में भंडारित कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण, नमूनाकरण परिरक्षण की तकनीकों को वास्तविक रूप में जानने हेतु निकट के पंजीकृत भांडागारों का दौरा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को भाग लेने के संबंध में प्रमाण पत्र दिए गए

2021–212 में सी.डब्लू.सी (नई दिल्ली) तथा सी.सी.एस.एन.आई.एम, जयपुर तथा एन सी सी टी नई दिल्ली, एलआईएनएसी गुरूग्राम के माध्यम से 13 (तेरह) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पंजीकृत भांडागारों के 485 भांडागारपालों को प्रशिक्षित किया गया है। कोविड–19 महामारी के कारण ये पांच दिवसीय कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए।

तालिका 3.15

क्र.सं.	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए भांडागार प्रबंधकों की संख्या
1	सी.सी.एस.एन .आई.ए.एम जयपुर	3	121
2	सी.डब्लू.सी. नई दिल्ली	2	66
3	एन.सी.सी.टी नई दिल्ली	5	178
4	एन.सी.डी.सी, एल.आई.एन.ए.सी, गुरूग्राम	3	120
	कुल	**13**	**485**

प्राधिकरण की स्थापना से इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 तक 94 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3129 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया है

तलिका: 3.16

क्र.सं.	वर्ष	संस्था का नाम	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
1.	2011-12	एन.आइ.एम. जयपुर	02	65
2.	2012-13	डॉ एम.सी.आर. इंस्टिट्यूट हैदराबाद एवम एन.आइ.ए.एम. जयपुर	04	131
3.	2013-14	डॉ एम.सी.आर. इंनस्टिट्यूट हैदराबाद, एन.आइ.ए.एम. जयपुर, सी.डब्लू.सी. हापुड़	11	414
4.	2014-15	आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़	10	354
5.	2015-16	सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (03) सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर .आई. हापुड़ (01)	04	96
6.	2016-17	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. जयपुर (04)	08	211
7.	2017-18	सी.डब्लू.सी, आइ.जी.एम.आर.आई. हापुड़ (03), सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम. जयपुर (02)	05	127
8.	2018-19	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (05)	09	265
9.	2019-20	सी.डब्लू.सी (04), सी.सी.एस.एन.आइ.ए.एम. (08), एन.सी.सी.टी. (02),	14	455
10.	2020-21	सी.डब्लू.सी (01), सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम. जयपुर (02), एन.सी.सी .टी. (08) और एन.सी.डी.सी ,एल.आई.एन.ए.सी, (03)	14	526
11.	2021-22	सीडब्लूसी (02), सी.सी.एस.एन.आई.ए.एम. (03) एनसीसीटी (05) तथा एनसीडीसी–एलआईएनएसी (03)	13	485
	कुल		**94**	**3129**

3.18 प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रक्रियाओं तथा भांडागारों के विनियमन एवं इ–एनडब्लूआर इकोसिस्टम पर आउटरीच कार्यक्रम

"भांडागारण (विकास एवं विनियमन) प्रस्तावित संशोधन बिल, 2021" पर कार्यशाला (3 दिसम्बर, 2021 दिल्ली)

हितधारक संवादात्मक कार्यक्रम (कोच्चि, 21 मार्च, 2021)

कोविड–19 के कारण आउटरीच कार्यक्रम अधिकतर वैब इंटरएक्सन मोड में आयोजित किए गए। रिपोर्ट वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैः–

(01) दिनांक 06–07 अक्तूबर, 2021 को भिवंडी में गैर कृषि भांडागारो के साथ इंटरएक्सन बैठकें आयोजित की गई

(02) दिनांक 29 अक्तूबर, 2022 को गैर कृषि वस्तुओं के संबंध में डिस्कसन पेपर के प्रावधानों पर चर्चा के लिए हितधारको के साथ विडियो कांफ्रेस आयोजित की गई। इस कांफ्रेंस में सेवी, एक्सचेजिज, भांडागारों तथा रिपोजिटरी के अधिकारियों ने भाग लिया।

(03) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा डब्लूडीआरए ने संयुक्त रूप में 3 अक्तूबर, 2021 को आईआईसी, नई दिल्ली में भांडागारण (विकास एवं विनियम) संशोधन बिल, 2021 कार्यशाला आयोजित की।

(04) डब्लूडीआरए ने 7 दिसम्बर, 2021 को, एमडीएसएफएसी, सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, अध्यक्ष डब्लूडीआरए के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। एमडी, एसएफएसी ने बैठक की शोभा बढ़ाई।

(05) महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम के साथ 04 फरवरी, 2022 को एक पूरे दिन का दिन विचार–विमर्श सत्र आयोजित किया गया।

(06) डब्लूडीआरए के पास पंजीकृत भांडागारो बीमा कवर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 23 फरवरी, 2022 को चार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

(07) डब्लूडीआरए की पैनलबद्ध एजेंसियों के निरीक्षण अधिकारियों के साथ 16 नवम्बर, 2021 तथा 24 फरवरी, 2022 को नई ऑनलाइन प्रणाली गैर कृषि भांडागारों के निरीक्षण के लिए नए प्रावधानों के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(08) दिनांक 4–5 मार्च, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य भंडारण एवं लॉजिस्टिक निगम के साथ भोपाल में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(09) दिनांक 07 एवं 08 मार्च, 2022 को पंजाब राज्य भंडारण निगम के साथ चंडीगढ में बैठक आयोजित की गई।

(10) 11 मार्च, 2022 को जयपुर में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के साथ बैठक आयोजित की गई।

(11) दिनांक 10–11 मार्च, 2022 को पटना में बिहार राज्य भंडारण निगम के साथ इंटरएक्टिव बैठक आयोजित की गई।

(12) 21 मार्च, 2022 को कोच्चि में हितधारकों के साथ एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गिरवी वित्तपोषण में आउटरीच का प्रभाव गत वर्षों की तुलना काफी वृद्धि हुई है। विवरण नीचे आकृति में देखा जा सकता है।

आकृति 3.2

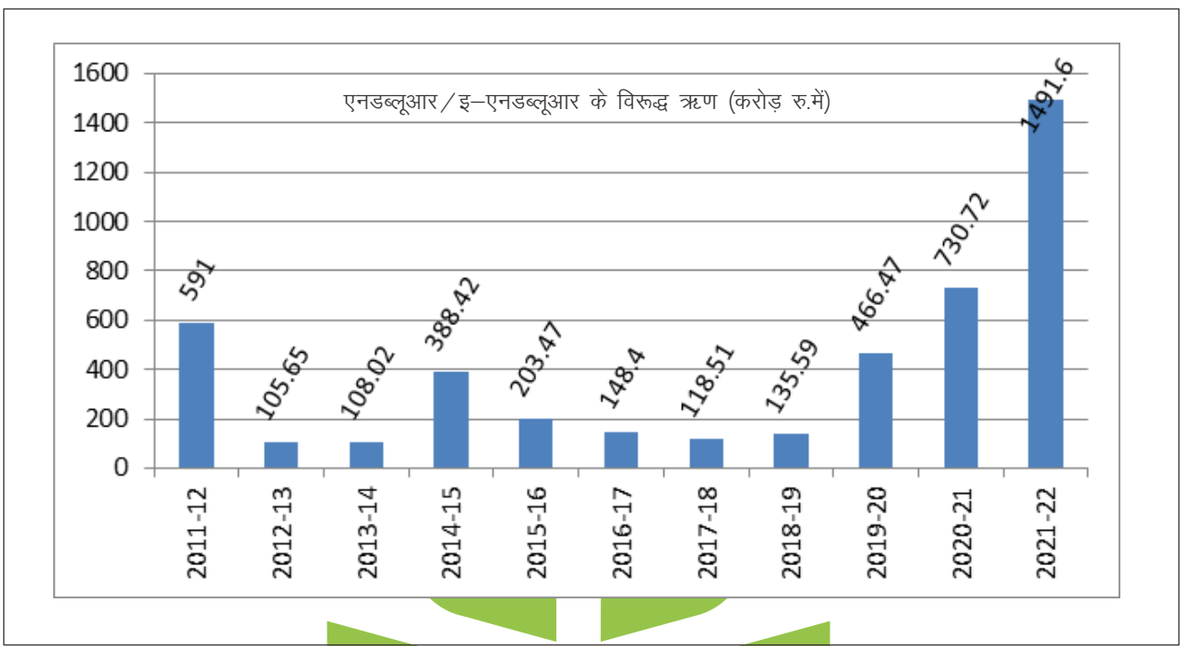

यह उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ई–एन डब्लू आर जारी करना अनिवार्य कर दिया गया था। वर्ष 2021–22 में ई–एन डब्लू आर के विरूद्ध ऋण राशि 1491.6 करोड रुपए है जो वर्ष 2019–20 में 466.77 करोड़ थी। इस प्रकार गत दो वर्षों में ई एन डब्लू आर के विरूद्ध लिए गए ऋण में 219.75% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 से अब तक ई–एनडब्लूआर के विरूद्ध संचित ऋण 5343.8 करोड़ रु. है।

अध्याय - IV

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की रूपान्तरण योजना

4.1 परिचय

परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली में निम्नलिखित चुनौतियों के कारण एन.डब्लू.आर परितंत्र के दायरे का विस्तार सीमित है:–

(i) भांडागारण क्षेत्र अधिकतर असंगठित तथा छितरा हुआ रहा है।

(ii) भांडागारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है। अतः पंजीकृत भांडागारों की संख्या में वृद्धि सीमित है।

(iii) अधिनियम के अन्तर्गत विनियमन की रूपरेखा अपर्याप्त है।

(iv) पंजीकरण प्रणाली तथा परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की प्रक्रिया कागज आधारित थी।

(v) पंजीकृत भांडागारों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण प्रणाली अपर्याप्त थी।

उपर्युक्त का सामना करने के लिए प्राधिकरण ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लोक वित एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी) के सहयोग से सार्वजनिक भांडागारण के परितंत्र को सशक्त बनाने तथा परक्राम्य भांडागार रसीद के विरूद्ध किसानों/जमाकर्ताओं को फसल कटाई बाद ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा और अधिक बेहतर बनाने के लिए रुपान्तरण योजना शुरू की थी।

रुपान्तरण योजना का प्रमुख केन्द्र बिन्दु परक्राम्य भांडागार रसीदों के उपयोगकर्ताओं एवं पंजीकृत भांडागारों को निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर सेवाएँ प्रदान करना रहा है:–

(क) भांडागारण क्षेत्र के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन

(ख) परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने वाले भांडागारों के संबंध में नियमों तथा विनियमनों का पुनर्लेखन

(ग) भांडागार निरीक्षण प्रणाली तथा पर्यवेक्षण रूपरेखा को सशक्त बनाना।

(घ) भांडागारों के पंजीकरण तथा निगरानी सहित प्राधिकरण के आंतरिक कार्यालय स्वचालन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

4.2 रूपान्तरण योजना के अधीन शुरू की गई गतिविधियाँ

रूपानन्तरण योजना के अधीन मुख्यतः निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की गईः–

i) भारत में भांडागारण क्षेत्र के संबंध में एक गुणात्मक सर्वेक्षण तथा तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण करना।

ii) भांडागारों के पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, भांडागारों के निरीक्षण की सशक्त प्रणाली एवं शिकायत एवं विवाद निवारण प्रणाली तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली स्थापित करना।

iii) जमा किए गए स्टॉक के लिए पंजीकृत भांडागारों द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों (इ–एन. डब्लू.आर.) के सृजन एवं प्रबंधन के लिए आई.टी. आधारित परितंत्र स्थापित करने हेतु रिपोजिटरीज को लाइसेंस देना।

iv) सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा डब्लू.डी.आर.ए के पोर्टल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इको सिस्टम, ऑनलाइन व्यवसाय प्रक्रियाएँ पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रणाली, आंतरिक स्वचालन आदि।

4.3 रूपान्तरण योजना के अधीन पूरी की गई गतिविधियाँ

4.3.1 गुणात्मक एवं मात्रात्मक सर्वेक्षण

(क) गुणात्मक सर्वेक्षण

प्राधिकरण ने अप्रैल–जून 2015 में भारत में एन.आई.पी.एफ.पी के माध्यम से 9 राज्यों के 11 जिलों में गुणात्मक सर्वेक्षण कराया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में भांडागारण व्यवसाय में भांडागार परितंत्र के संबंध में हितधारकों के अनुभवों को जानना तथा भांडागार रसीद का वित्त बाजार की गहराई में जाना तथा तत्संबंधी जोखिम को समझना था।

(ख) प्राधिकरण ने मैसर्स टी.एन.एस. प्रा.लि. नामक एक सर्वेक्षण एजेंसी से 2015–18 की अवधि में तीन वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण कराए। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य उद्योग के अंदर (i) आधारभूत सुविधाओं (ii) मालिकाना हक (iii) प्रयोग पैटर्न (iv) कमोडिटी वित्त पोषण (v) भांडागारपालों, जमाकर्ताओं तथा उधारदाताओं की चिंताओं तथा हितों को जानना था।

पहला मात्रात्मक सर्वेक्षण 2015–16

- पहला वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 में अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक आयोजित किया गया।

दूसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण 2016–17

- दूसरा वार्षिक मात्रात्मक सर्वेक्षण 2016–17, जून, 2016 से अक्तूबर, 2016 के दौरान आयोजित किया गया।

तीसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण 2017–18

- तीसरा वार्षिक मात्रात्मक 2017–18 जनवरी 2017 से जून, 2017 के दौरान किया गया।

4.3.2 भांडागारों के पंजीकरण के लिए नियम बनाना।

रूपान्तरण योजना के अधीन पंजीकृत भांडागारों के लिए सरल तथा प्रभावी विनियमों तथा इ–एन.डब्लू.आर. प्रणाली हेतु निम्नलिखित नियम/विनियम/दिशा निर्देश अधिसूचित/जारी किए गए:–

i) रिपोजिटरीज तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन तथा प्रबंधन दिशानिर्देश 20.10.2016 को जारी किए गए।

ii) भांडागारण (विकास एवं विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 भारत सरकार द्वारा 23.02.2017 को अधिसूचित किए गए।

iii) निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने तथा भांडागारों के निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश 03.03.2017/26.12.2018 को जारी किए गए।

iv) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद) विनियम 29.06.2017 को जारी किए गए।

v) भांडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति जमा अपेक्षा पर 6 जुलाई, 2017 को परिपत्र जारी किया गया जिसे बाद में प्रतिभूति जमा की अपेक्षा में संशोधन के लिए 2 जनवरी, 2019 का अधिसूचित किए गए।

vi) शिकायतों एवं विवादों के निवारण संबंधी दिशानिर्देश 06.12.2017 का जारी किए गए।

vii) इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन एवं प्रबंधन के लिए पंजीकृत रिपोजिटरीज हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 23.04.2019 को जारी किए गए।

4.3.3 रिपोजिटरिज को लाइसेंस देना तथा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करने की शुरूआत।

प्राधिकरण ने पंजीकृत भांडागारों द्वारा जारी इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद के सृजन तथा प्रबंधन सहित इ–इन.डब्लू.आर से संबंधित सूचना की गोपनीयता, विश्वसनीयता तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दो रिपॉजिटरी स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिया था ताकि इ–एन.डब्लू.आर. का हस्तातरण, गिरवी रखा जाना तथा निकासी इ–एन.डब्लू.आर. धारक के अनुरोध के अनुसार किया जा सकेः–

- मैसर्स सैण्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसिज लि. (सी.डी.एस.एल) द्वारा प्रायोजित मैसर्स सी.डी.एस.एल कमोडिटी रिपोजिटरी लि. (सी.सी.आर.एल)।
- नेशनल कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज (एन.सी.डी.एक्स) द्वारा प्रायोजित मैसर्स नेशनल ई–रिपोजिटरी लि. (एन.ई.आर.एल) ।

प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को पंजीकृत भांडागारों द्वारा रिपोजिटरी प्रणाली पर इलेक्ट्रानिक भांडागार रसीद जारी करना आरम्भ किया था। प्राधिकरण ने 26 सितम्बर, 2017 को उपर्युक्त दोनों रिपोजिटरी को परिचालन शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए। रिपोजिटरीज ने 26 सितम्बर, 2017 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। रिपोजिटरीज ने पंजीकृत भांडागारों को ऑनबोर्ड किया तथा रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को रिपोजिटरी सेवाएँ प्रदान करने के लिए रिपोजिटरी भागीदार (आर.पी.) लगाए हैंः–

रिपोजिटरी प्रणाली के उपयोगकर्ता निम्नलिखित हैंः–

- डब्लू.डी.आर.ए के साथ पंजीकृत भांडागार (सीधे ऑनबोर्ड),
- जमाकर्ता / क्रेता–ग्राहक,
- क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज,
- बैक / वित्तीय संस्थाएँ,
- रिपोजिटरी भागीदार,
- नीलामी प्लेटफार्म लिंकेज,

रिपोजिटरी प्रणाली के प्रारम्भ से कुल 3,95,706 इ–एन,डब्लू, जारी की गई हैं। वर्ष 2021–22 में 94,737 इ–एन,डब्लू.आर जारी की गईं।

कमोडिटी डेरीवेटिव एक्सचेंज से सहसंबद्धता

प्राधिकरण द्वारा विनियमित रिपोजिटरी अर्थात् मैसर्स सी.सी.आर.एल तथा मैसर्स एन.ई.आर.एल ने क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज जैसे एन.सी.डी.एक्स, एम.सी.एक्स, आई.जी.एक्स, बी.एस.ई आदि के साथ इंटरफेस विकसित किया है। इ–एन.डब्लू.आर. डेरीवेटिव कांट्रेक्ट सेटलमेंट के लिए प्रयोग की जाती है।

इ–एन.डब्लू.आर. का ई–नैम के साथ एकीकरण

ई–एन.डब्ल.आर का भारत सरकार की ई–नैम (इलेक्ट्रोनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी) के साथ एकीकरण हेतु इंटरफेस विकसित किया गया है ताकि इ–एन.डब्लू.आर. की ट्रेडिंग की सुविधा इ–नैम पर उपलब्ध हो सके। इ–नैम पलेटफार्म अप्रैल, 2020 से परिचालन में है।

4.3.4 प्राधिकरण का आई टी इकोसिस्टम

प्राधिकरण ने अपने आई टी अनुप्रयोगों के विकास के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में मैसर्स सी.एम.एस कंप्यूटर्स को लगाया है।

निम्नलिखित आई टी मॉड्यूल विकसित किए गए हैं तथा परिचालित हैं :–

क) डब्लू.डी.आर.ए ई पोर्टल– प्राधिकरण की वेबसाइट www.wdra.gov.in

ख) ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा–निरीक्षण मॉडयूल

- भांडागारों का पंजीकरण
- भांडागार का निरीक्षण आबंटन तथा रिपोर्टिंग
- भांडागार के पंजीकरण का नवीकरण
- भांडागार के पंजीकरण का अभ्यर्पण
- भांडागारों के पंजीकरण का रददीकरण
- प्रतिभूति जमा (एस.डी) की समाप्ति के लिए एस.एम.एस / ई–मेल अलर्ट का एकीकरण
- बीमा समाप्ति के लिए एस एम एस / ईमेल अलर्ट का एकीकरण
- प्रभावी नियंत्रण समाप्ति के लिए एस.एम.एस / ईमेल अलर्ट का एकीकरण
- पंजीकरण / नवीकरण के लिए लचीली अवधि की सुविधा
- ए.आर. द्वारा ए.ए.आर जोड़ना / परिवर्तन
- ईमेल आधारित सपोर्ट टिकट प्रबंधन का क्रियान्वयन

ग) पर्यवेक्षण तथा निगरानी प्रणाली

- भांडागार पंजीकरण रिपोर्ट
- इ–एन.डब्लू.आर. रिपोर्ट
- एम.आई.एस.एम.एस रिपोर्ट जिसमें सारांश रिर्पोट, विस्तृत रिपोर्ट, अपवाद रिपोर्ट तथा, अलर्ट शामिल है।

घ)ई.आर.पी लेखाकरण सिस्टम (ओडीओओ)

- लेखाकरण
- पे रोल
- सम्पत्ति वस्तु सूची प्रबंधन

ङ) डब्लू.डी.आर.ए शिकायत निवारण प्रणली

च) ई–लर्निंग, प्लेटफार्म

छ) आई.टी.हेल्पडेस्क की स्थापना

ज) रिपोजिटरी के साथ डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल का एकीकरण

झ) ई–कार्यालय की शुरूआत

- ई–फाइल
- ई–अवकाश
- ई–प्राप्तियाँ

ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण सहित डब्लू.डी.आर.ए पोर्टल की शुरूआत 26 सितम्बर, 2017 की गई थी। ऑनलाइन भांडागार पंजीकरण तथा निरीक्षण माड्यूल ने 1 नवम्बर, 2017 से पूरी तरह कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

4.3.5 2021–22 के दौरान आईटी प्लेटफॉर्म का विकास

आई.टी प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट वर्ष के दौरान आई टी प्लेटफार्म पर निम्नलिखित कार्य किए गए:–

(क) भारतीय खाद्य निगम के डिपो के प्रमाणीकरण के लिए अलग आवेदन (https://services.wdra.gov.in) विकसित किया गया

(ख) अपेक्षित बीमा तथा प्रतिभूति जमा की प्रभावी निगरानी के लिए भांडागारवार बीमा तथा प्रतिभूति जमा/आई बी लिकिंग का नया प्रावधान विकसित किया गया

(ग) आंतरिक तथा बाहरी उपयोगकर्ता स्तर पर प्रयोग के लिए ई–एनडब्लूआर, भांडागारों तथा रिपोजिटरी मास्टर से संबंधित विविध रिपोर्टो को डिजाइन कर उपलब्ध कराया गया।

(घ) दैनिक आधार पर वस्तुओं के मूल्य प्राप्त करने के लिए एगमार्क नैट के साथ इंटीग्रेशन

(ङ) एसएफएसी (पीओपी) के साथ डब्लूडीआरए एप्लीकेशन का एकीकरण

(च) राजस्थान राज्य में उप मंडी यार्ड के रुप में घोषित 23 सीडब्लूसी भांडागारों का ई–नैम पोर्टल पर फैसिलीटेशन ऑनबोर्डिंग।

(छ) डब्लूडीआरए के सरल परिचालन विभिन्न आई टी टूल्स का विकास

डैशबोर्ड अधिसूचनाएँ – 43

रिपोजिटरी रिपोर्ट–23

वेअरहाउसिंग रिपोर्ट–26

विविध–27

4.3.6 डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी,सी,पी / डी.आर

डब्लू.डी.आर.ए मे जोखिम प्रबंधन तथा बी,सी,पी / डी.आर प्रबंधन सलाहकार की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में डब्लू.डी.आर.ए डेटा तथा अन्य आई.टी सम्पदा के लिए प्राधिकरण ने जोखिम प्रबंधन अपनाया है।

डब्लू.डी.आर.ए अपने सम्पूर्ण आई.टी सोल्यूशन के लिए सी–डैक से क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त डब्लू.डी.आर.ए ने डिजास्टर रिकवरी (डी–आर) क्लाउड सेवाएँ उसी संगठन (सीडीएसी) से किराए पर ली हैं ताकि सेवाओं की अनुपलब्धता की जोखिम समाप्त हो सके।

डब्लू.डी.आर.ए में स्टोरेज मीडिया के लिए नियत्रित बैकअप हेतु सी–डैक बैकअप सेवाएँ ली हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में आवश्यक होने पर बैकअप डैटा को उपयोग में लाया जा सके।

कार्यालय परिसर में किसी घटना की स्थिति में डब्लूडीआरए ने अपने कार्मिको हेतु ई–ऑफिस के लिए वीपीएन आधारित एक्सेस तथा पोर्टल के लिए वैब–आधारित सिक्योर क्रेडेशियल आधारित एक्सेस उपलब्ध कराई ताकि वे घर अथवा अन्य स्थान पर कम्प्यूटर / लैपटाप / स्मार्टफोन का प्रयोग कर कार्यालय का काम कर सकें।

डब्लू.डी.आर.ए ने भांडागारपालों अथवा अन्य विक्रेताओं से प्रतिभूति जमा, करारों के रूप में प्राप्त बैंक गारंटियों / एफ.डी.आर के लिए अग्निरोधी शेल्फ की व्यवस्था की है।

डब्लू.डी.आर.ए ने अपने परिसर के अन्दर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए हैं।

डब्लू.डी.आर.ए ने व्यवसाय निरंतरता योजना / डिजास्टर रिकवरी (बी.सी.पी / डी.आर) क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठित की हैः–

- बी.सी.एम / बी.सी.पी समिति संबंधित हितधारकों के साथ सम्पर्क स्थापित कर संसाधनों के आबंटन, प्राथमिकताएँ स्थापित करना तथा विवादों के निवारण तथा रणनीतिक मागदर्शन करेगी तथा समीक्षा उपलब्ध कराएगी।
- बी.सी.पी / डी.आर. आपातकाल रिस्पोंस टीम (ई.आर.टी) आई.टी रिकवरी योजना क्रियान्वित करने सहित क्षति मूल्यांकन, बचाव तथा मरम्मत परिचालन, बी.सी.पी. प्रक्रिया के अनुसार डी.सी.डी.आर को देखेगी। इसके अलावा यह समिति प्राथमिक तथा माध्यमिक स्थानों, का सिस्टम निराकरण नेटवर्क एवं अनुप्रयोग के मुद्दे देखेगी तथा मॉक ड्रिल आयोजित करेगी।
- क्षतिपूर्ति आकलन दल (डी.ए.टी), आपातकाल प्रबन्धन एवं रिकवरी का प्रबंधन एवं समन्वय का कार्य देखेगी तथा उपयुक्त हितधारकों के साथ सूचना साझा करेगी संभावित आपदा प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा क्षतिपूर्ति आकलन रिपोर्ट स्वीकार कर व्यापार निरंतरता योजना का निर्णय करेगी तथा संबंधित कर्मचारियों को शामिल करेगी।

अध्याय - V

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय कार्य–निष्पादन सहित संगठनात्मक मामले

5.1 भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले :

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण में स्वीकृत तथा भरे गए पद निम्नानुसार है:

तालिका: 5.1

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भरे हुए पदों की संख्या
1	संयुक्त सचिव	1	-
2	निदेशक	3	-*
3	अवर सचिव	2	2
4	उप निदेशक	9	5
5	प्रधान निजी सचिव	1	-
6	सहायक निदेशक	8	8
7	अनुभाग अधिकारी	2	1
8	सहायक स्तर 7	11	1
9	सहायक स्तर 6	1	1
10	लेखाकार	1	-
11	निजी सचिव	2	1
12	स्टाफ फील्ड अधिकारी	1	-
13	निजी सहायक/आशुलिपिक ग्रेड डी	2	02
14	ड्राइवर	1	1
	कुल	**45**	**22**

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) 03.03.2022 से अवधि समाप्ति अवकाश पर थे।

5.2 प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कार्य।

निदेशक (प्रशासन और वित्त), भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) के अवधि समाप्ति अवकाश पर जाने के बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी का प्रभार उप निदेशक (मा.सं) द्वारा संभाला गया। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान प्राधिकरण में सतर्कता संबंधी कोई मामला विचाराधीन अथवा लंबित नहीं था।

5.3 प्राधिकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

श्री गणेश ए. बाकड़े, निदेशक, (प्रशासन एवं वित्त) ने वर्ष 2021–22 में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखा। श्री बाकड़े के 03.03.2022 से अवधि समाप्ति अवकाश पर जाने के पश्चात केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का प्रभार सुश्री प्रीति कुमार, अवर सचिव (प्रशा. एवं वित्त) द्वारा संभाला गया। श्री दीपक आर्य उप निदेशक (विधि) तथा सुश्री नवनीत संधू, उप निदेशक (प्रशा. वित्त एवं संविदा) को केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया। श्री टी.के. मनोज कुमार, विशेष सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. तथा श्री हरप्रीत सिंह अध्यक्ष (प्रभारी) एवं सदस्य ने वर्ष 2021–22 के दौरान अपीली अधिकारी के रूप में कार्य किया। यह सूचना आम जनता की जानकारी के लिए प्राधिकरण की वैबसाइट पर दर्शायी गई है। वर्ष 2021–22 में आर.टी.आई अधिनियम के अन्तर्गत 10 संदर्भ प्राप्त हुए, जिनके लिए समय पर सूचना प्रदान की गई।

5.4 राजभाषा क्रियान्वयन।

प्राधिकरण में राजभाषा के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए विशेष सचिव, डब्लू.डी.आर.ए. की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 22 जून, 2021, 27 सितम्बर, 2021, 27 दिसम्बर 2021 तथा 31 मार्च 2022 को आयोजित की गई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दक्षिण दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए दक्षिण दिल्ली–03 नराकास समूह का गठन किया गया। महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान की अध्यक्षता में छमाही रिपोर्ट की समीक्षा के लिए नराकास की बैठकें 21 जून, 2021 तथा 23 नवम्बर, 2021 को आयोजित की गईं

प्राधिकरण में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2021 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियो के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। पखवाड़े का शुभारम्भ एन.सी.यू.आई परिसर में, जहाँ प्राधिकरण का कार्यालय स्थित है, पौधारोपण तथा प्रतिज्ञा ग्रहण कार्यक्रम द्वारा हुआ। प्राधिकरण के कार्मिको को प्रोत्साहित करने के लिए स्थल पर स्वरचित कवितापाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

स्थल पर आयोजित काव्य प्रतियोगिता

पुरस्कार वितरण

5.5 स्वचछता पखवाड़े का आयोजन।

वर्ष 2021–22 में 16–28 फरवरी, 2022 के मध्य प्राधिकरण में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवधि में निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई गईः–

- पखवाड़े के प्रारम्भ में स्वच्छता प्रतीज्ञा ली गई तथा अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के परिसर में पौधारोपण किया गया।
- कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- सभी भांडागारों को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि भांडागारों के दैनिक कार्यो में स्वच्छता कार्यक्रम को शामिल किया जाए तथा स्वच्छता पखवाड़े (16–28 फरवरी, 2022) के दौरान स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
- डब्ल्यू.डी.आर.ए कार्यालय में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका विषय 'कोविड–19 के संदर्भ में स्वच्छता की प्रासंगिकता' था। इस प्रतियोगिता में प्राधिकरण के काफी सदस्यों ने भाग लिया। कर्मचारियों के उत्साहवर्द्धन के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यालय परिसर में स्वच्छता संबंधी पोस्टर लगाए गए।
- सर्वोदय विद्यालय, नई दिल्ली में छात्र/छात्राओं को कोविड–19 के दौरान स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया तथा इसके अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डाला गया
- डे टाइम हायर सैकेण्डरी स्कूल, किदवई नगर, नई दिल्ली के छात्र/छात्राओं के मध्य कोविड–19 के दौरान स्वच्छता के महत्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न की गई तथा इसे दैनिक जीवन में अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- पखवाड़े के दौरान, कार्यालय परिसर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर कार्मिकों द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना था। इस नीति–विषयक कार्यक्रम में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।
- कार्यालय परिसर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन स्थापित किए गए तथा सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए जन समान्य को जागरूक किया गया।
- कर्मचारियों के लिए स्वच्छता के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई जिसका विषय 'दैनिक जीवन में स्वच्छता का महत्व, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं तथा प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग की हानियों तथा पुनर्चक्रण था। कार्यशाला का प्रमुख बिन्दु प्रत्येक नागरिक द्वारा मन,शरीर तथा आसपास के स्थानों की स्वच्छता था।
- समापन समारोह में सभी स्वच्छता कर्मियों को दैनिक जीवन में स्वच्छता रखने तथा इस दिशा में उत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

प्राधिकरण ने एम.टी.एस, स्वच्छता कर्मियों को कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया।

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान डब्लूडीआरए में प्रतिज्ञा ग्रहण करते हए अधिकारी एवं कर्मचारी

कार्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन

डब्लूडीआरए के कार्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

5.6 प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण

भांडागारों के पंजीकरण के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल के प्रयोग के लिए अधिकारियो तथा कर्मचारियों पोर्टल में नए सुधारों के अनुरूप प्रशिक्षित किया गया।

प्राधिकरण में नए शामिल हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्राधिकरण के कार्यो के विभिन्न पहलुओं के बारे में नियमित इन–हाउस प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता रहा है। ये सत्र डब्लूडीआरए के उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे (i) डब्लूडीआरए की कार्यप्रणाली, भांडागारण अवधारणा तथा भांडागारों पर विस्तृत प्रशिक्षण (ii) कमोडिटी एक्सचेंज प्रक्रिया की मूलभूत बातें (iii) जोखिम प्रबंधन (iv) प्रशासनिक तथा वित्तीय नियम (v) निविदा तथा अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं (vi) साईबर सुरक्षा जागरूकता (vii) डब्लूडीआर के कार्य, डब्लूडीआर पोर्टल तथा (viii) तनाव प्रबंध पर आयोजित किए गए।

बाहरी विशेषज्ञों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्र

(i) एनआईएसएम ने 23 मार्च, 2022 को डेरीवेटिव मार्केट के लिए भांडागारण में विनियामक कनवरजेंस का दायरा बढ़ाने तथा 8 फरवरी, 2022 को कोमोडिटी डेरीवेटिव मार्केट में संस्थागत भागीदारी तथा वेयरहाउसिंग संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

(ii) एनसीसीएल ने 4 जनवरी, 2022 को कमोडिटी एक्सचेंज प्रक्रिया की मुख्य विशिष्टताओं पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया।

5.7 वर्ष 2021–22 के लिए प्राधिकरण के लेखा परीक्षित लेखे।

वर्ष 2021–22 के लिए स्वीकृत बजट के विरूद्ध 1206.24 लाख रू की अनुदान सहायता प्राप्त हुई। अन्य

प्राप्तियाँ 5.35 लाख रू थीं (जिसमें पंजाब नेशनल बैक से प्राप्त 4.55 लाख रू की ब्याज राशि शामिल है) तथा गत वर्ष 2020–21 से आगे लाई गई खर्च न हुई 101.36 लाख रू राशि थी। इस प्रकार कुल प्राप्ति 1312.95 लाख रू थी। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय 1164.28 लाख रू था। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अनुपयोग न हुई राशि 148.67 लाख रू थी, जिसे आगामी वित्त वर्ष 2022–23 में अग्रेनीत किया गया है।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राधिकरण के लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक (कृषि, खाद्य, जल स्रोत) नई दिल्ली के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्ष द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट क्रमशः अनुलग्नक–I एवं II पर संलग्न है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष को लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रमुख टिप्पणी नहीं की गई है। तथापि सी.ए.जी की अलग आडिट रिपोर्ट पर प्राधिकरण के उत्तर/टिप्पणियाँ अनुलग्नक–III पर दी गई हैं।

5.8 डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग

डब्लू.डी.आर.ए एक पूरी तरह डिजिटल सगठन है तथा पेपरलैस कार्यालय चलाता है। भांडागारों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन है। ई–फाइल प्रक्रिया के लिए 01.01.2018 से ई–ऑफिस आरम्भ किया गया। जून, 2018 से ऑनलाइन शिकायत बुकिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। वेबसाइट तथा वेबपोर्टल उपयोगकर्ता के प्रयोग के लिए और सरल तथा यूजर फ्रैंडली हो गया है। डब्लूडीआरए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को डीपीआईटी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्लूएस) के साथ एकीकृत किया गया है। डब्लूडीआरए के कार्यालय में विभिन्न हितधारकों के साथ विडिया कांफ्रेसिंग सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण एजेंसियों को आटोमेटिड निरीक्षण आबंटन के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित की गई है।

डब्लू.डी.आर.ए

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

लेखों का वार्षिक विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

एन.सीयू.आई भवन,
चौथी मंजिल, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली–110016

FORM A

(See Rule 3)

BALANCE SHEET AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES		**306,921,408**	**281,824,717**
Corpus/Capital Fund	1	**170,162,135**	**168,871,084**
Corpus/Capital Fund(Opening)		168,871,084	174,558,567
EXCESS/DEFICIT OF INCOME & EXPENDITURE		1,291,051	-5,687,483
Reserve and Surplus	2	**0**	**0**
Earmarked /Endowment Funds	3	**0**	**0**
Secured Loans and Borrowings	4	**0**	**0**
Unsecured Loans and Borrowings	5	**0**	**0**
Deferred Credit Liabilities	6	**0**	**0**
Current Liabilities and Provisions	7	**136,759,273**	**112,953,633**
ASSETS		**306,921,408**	**281,824,717**
Fixed Asset	8	**160,735,636**	**167,237,219**
Fixed Asset		160,735,636	167,237,219
Capital Work in Progress		0	0
Investment- From earmarked/endowment funds	9	**0**	**0**
Investment-Others	10	**0**	**0**
Current Assets, Loans & Advances etc.	11	**146,185,772**	**114,587,498**
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		**0**	**0**
Significant Accounting Policies	24	0	0
Contingent Liabilities & Notes on Accounts	25	0	0

For MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 009195C

CA Manoj Kr. Agrawal
Partner
M. No. 076980

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

FORM B
(See Rule 3)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Schedule	Current Year	Previous Year
(A) INCOME		122,567,960	94,098,874
Income from sales/services	12	0	0
Grants/Subsidies	13	120,624,000	92,500,000
Fees/Subscriptions	14	0	0
Income from Investment (Income on Investment from Earmarked/Endowment fund transferred to funds)	15	0	0
Income from Royalty,Publications etc.	16	0	0
Interest Earned	17	443,786	391,261
Other Income	18	1,500,174	1,207,613
Increase/(Decrease) in stock of finished goods and work in progress	19	0	0
(B) EXPENDITURE		121,276,909	99,786,357
Establishment Expenses	20	46,807,678	34,038,944
Other Administrative Expenses etc.	21	66,651,377	54,698,966
Expenditure on Grants Subsidies etc.	22	0	0
Interest	23	0	0
Depreciation (Net total at the year end corresponding to schedule 8)	8	7,817,854	11,048,447
Balance being excess/(deficit) of income over expenditure (A-B)		1,291,051	-5,687,483
Transfer to Special Reserve		0	0
Transfer to/from General Reserve		0	0
Balance being surplus/(deficit) carried to Corpus/Capital Fund		1,291,051	-5,687,483
Significant accounting policies	24	0	0
Contingent liabilities and Notes to Accounts	25	0	0

For MANOJ MOHAN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN. 009195C
CA Manoj Kr. Agrawal
Partner
M. No. 076980

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (वि. एवं बि और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	0	0
20000.01 Corpus/Capital Fund (Opening Balance)	168,871,084	174,558,567
Add. Contribution towards Corpus/Capital Fund	0	0
Add/Deduct. Bal of net income/expenditure transfer from income and expenditure account	1,291,051	-5,687,483
Balance at the Year End	170,162,135	168,871,084

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-2 RESERVE AND SURPLUS AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
21000.01 Capital Reserve	**0**	**0**
As Per Last Account	0	0
Addition during the Year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.02 Revenue Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.03 Special Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition during the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
21000.04 General Reserve	**0**	**0**
As per Last Account	0	0
Addition During the year	0	0
Less: Deductions during the year	0	0
TOTAL	**0**	**0**

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार / T.K MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-3 EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Opening Balance of the Funds	**0**	**0**
(b) Addition to the Fund	**0**	**0**
i. Donations/Grants	0	0
ii. Income from Investment made on account of funds	0	0
iii. Other Addition	0	0
Total c (a+b)	**0**	**0**
(d) Utilization/Expenditure towards objective of funds	**0**	**0**
(i) Capital Expenditure	**0**	**0**
Fixed	0	0
Others	0	0
(ii) Revenue Expenditure	**0**	**0**
Salaries, Wages and Allowances etc	0	0
Rent	0	0
Other Administrative expenses	0	0
Utilization/Expenditure Total (d)	**0**	**0**
22000.01 Balance at the Year End (c-d)	**0**	**0**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-4 SECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
23000.01 Central Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.02 State Government (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03 Financial Institution (Secured Loan)	**0**	**0**
23000.03A Term Loans	0	0
23000.03B Interest accrued and due on term loan	0	0
23000.04 Secured Loan from Banks	**0**	**0**
23000.04A Secured Term Loans (Bank)	0	0
23000.04B Interest accrued and due on term loan (Bank)	0	0
23000.04C Other Loans (Bank)	0	0
23000.04D Interest accrued and Due (Others)	0	0
23000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
23000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
23000.07 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

नवनीत संधु / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-5 UNSECURED LOANS AND BORROWINGS AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
24000.01 Central Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.02 State Government (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.03 Financial Institution (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04 Banks (Unsecured Loan)	**0**	**0**
24000.04A Term Loans (Unsecured)	0	0
24000.04B Other Loans (Unsecured)	0	0
24000.05 Other Institutions and Agencies	**0**	**0**
24000.06 Debentures and Bonds	**0**	**0**
24000.07 Fixed Deposits	**0**	**0**
24000.08 Others	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-6 DEFERRED CREDIT LIABILITIES AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
25000.01 Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Assets	0	0
25000.02 Others	0	0
TOTAL	0	0
Note: Amount due within one year	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K.MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
26000.01 Current Liabilities	**130,837,714**	**110,306,968**
26000.01A Acceptance	**0**	**0**
26000.01B Sundry Creditors	**112,169,339**	**93,083,457**
26000.01BA Sundry Creditors for Goods	0	0
26000.01BB Sundry Creditors Others	112,169,339	93,083,457
26000.01BB1 Sundry Creditors Others (BECIL)	0	1,436,064
26000.01BB2 Sundry Creditors Others (Post Master)	0	0
26000.01BB3 Sundry Creditors Others (Others)	2,324,682	1,798,411
26000.01BB4 Sundry Payble	109,844,657	89,848,982
26000.01C Advances Received	**0**	**0**
26000.01D Interest Accrued but not due on	**0**	**0**
26000.01DA Secured Loans/Borrowings	0	0
26000.01DB Unsecured Loans/Borrowings	0	0
26000.01E Statutory Liabilities	**536,610**	**614,694**
26000.01EA Statutory Liability-Overdue	0	0
26000.01EB TDS	536,610	614,694
26000.01EBA TDS-Salary	362,898	512,574
26000.01EBB TDS-Others	173,712	102,120
26000.01EBC GST-TDS	0	0
26000.01F Other Current Liabilities	**18,131,765**	**16,608,817**
26000.01FA Security Deposit	11,457,558	11,447,558
26000.01FB Earnest Money Deposit (EMD)	0	0
26000.01FC Stale Cheque Pending for Re-issue	3,000	3,000
26000.01FD Salary Payable	3,619,613	2,396,139
26000.01FE Withheld from Party's Bills	100,000	100,000
26000.01FF Leave Salary Contribution Payable	2,951,594	2,662,120
26000.01FG Other Liabilities	0	0
26000.01FGA PM/CM Relief Fund	0	0
26000.01FH NPS/Pension Contribution Payable	0	0
26000.02 Provision for Expenses	**5,921,559**	**2,646,665**
26000.02A Provision for Taxation	**0**	**0**
26000.02B Provision for Gratuity	**516,246**	**370,927**
26000.02C Provision for Superannuation/Pension	**0**	**0**
26000.02D Provision for Accumulated Leave Encashment	**613,135**	**375,919**
26000.02E Provision for Trade Warranties/Claims	**0**	**0**

Name	Current Year	Previous Year
26000.02F Provisions for Unpaid Expenses	**4,792,178**	**1,899,819**
26000.02FA Provisions for Telephone Expenses	12,846	26,300
26000.02FB Provisions for Audit Fee	529,320	263,720
26000.02FC Provisions for Rent, Rates and Taxes	0	0
26000.02FD Provisions for Inspection system in Warehouses	1,162,250	355,000
26000.02FE Provisions for Newspapers & Periodicals	33,684	15,600
26000.02FF Provisions for Training of Warehouseman	0	0
26000.02FG Provisions for Miscellaneous Expenses	1,540,976	1,086,131
26000.02FH Provision for Professional Charges	31,235	10,000
26000.02FI Provision for Outsourced Manpower (DEO)	0	0
26000.02FJ Provision for Repair & Maintenance Exp.	136,993	84,068
26000.02FK Provisions for Farmers Awareness	1,344,874	59,000
TOTAL	**136,759,273**	**112,953,633**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

Warehousing Development & Regulatory Authority

FIXED ASSETS As on 31.03.2022

Schedule - 8

S. No.	Description	Factor	Cost/ valuation as at beginning of the year	Addition (more than 180 days)	Addition (less than 180 days)	Deduction during the year	Cost/ valuation at the year end	Depreciation as at beginning of the year	Depreciation during the year	Depreciation on deduction during the year	Total depreciation upto the year end	NET as at the current year end (WDV)	NET as at the previous year end (WDV)
1	A. Fixed Asset:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1. LAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2. Buildings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	a). Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	b) Leasehold Land	56 Years	174200000	-	-	-	174200000	15553572	3110714	-	18664286	155535714	158646428
8	c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	d) Superstructures on land not belonging to the entity	40%	19357676	-	-	-	19357676	19357675	-	-	19357675	1	1
10	3. Plant, Machinery & Equipments	15%	5133853	6430	-	-	5140283	3550682	657251	-	4207933	932350	1583171
11	4. Vehicles	15%	703433	-	-	-	703433	703432	-	-	703432	1	1
12	5. Furniture & Fixtures	10%	5155768	214760	108290	-	5478818	2404279	535344	-	2939623	2539195	2751489
13	6. Office Equipment	15%	1112643	14160	10000	-	1136803	443569	172278	-	615847	520956	669074
14	7. Computer & Peripheral	40%	3745825	170505	790683	146400	4560613	3093846	552289	146398	3499737	1060876	651979
15	8. Electric Installation	15%	122321	-	-	-	122321	113880	2935	-	116815	5506	8441
16	9. Library Books	40%	119318	1445	-	-	120763	119058	1443	-	120501	262	260
17	10. Tubewells & W.Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	11. Software	40%	27415307	-	-	-	27415307	24488932	2785600	-	27274532	140775	2926375
19	Total of A	-	237066144	407300	908973	146400	238236017	69828925	7817854	146398	77500381	160735636	167237219
20	B. Capital Work in Progress	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Total (A + B)	-	237066144	407300	908973	146400	238236017	69828925	7817854	146398	77500381	160735636	167237219

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K.MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-9 INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
11000.01 In Government Securities	0	0
11000.02 Other Approved Securities	0	0
11000.03 Share	0	0
11000.04 Debentures and Bonds	0	0
11000.05 Subsidiaries and Joint Venture	0	0
11000.06 Other (Fixed Deposit)	0	0
TOTAL	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (व. एवं वित और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-10 INVESTMENT - OTHERS AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
12000.01 In Government Securities	0	0
12000.02 Other Approved Securities	0	0
12000.03 Shares	0	0
12000.04 Debentures and Bonds	0	0
12000.05 Subsidiaries and Joint Ventures	0	0
12000.06 Others	0	0
TOTAL	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A&F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-11 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. AS ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(A) 13000.01 Current Assets	**132,966,076**	**108,279,351**
13000.01A Inventories	**0**	**0**
13000.01AA Stores and Spares	0	0
13000.01AB Loose Tools	0	0
13000.01AC Stock in Trade	0	0
13000.01AD Finished Goods	0	0
13000.01AE Work in Progress	0	0
13000.01AF Raw Materials	0	0
13000.01B Sundry Debtors	**0**	**0**
13000.01C Cash Balance in Hand (Including Cheque/Draft and Imprest)	**0**	**0**
13000.01CA Imprest Cash	0	0
13000.01CB Temporary Advance	0	0
13000.01CC Cheque/Draft in Hand	0	0
13000.01D Bank Balance	**132,966,076**	**108,279,351**
13000.01DA With Schedule Banks	132,966,076	108,279,351
13000.01DAA On Current Account (PNB)	14,866,415	10,136,491
13000.01DAB On Deposit Account (Includes Margin Money)	746,846	561,987
13000.01DAC On Saving Account (Canara Bank)	113,874,904	97,580,873
13000.01DAD On Saving Account (SBI)	3,477,911	0
13000.01DB With Non- Schedule Banks	0	0
13000.01DBA On Current Account	0	0
13000.01DBB On Deposit Account	0	0
13000.01DBC On Saving Account	0	0
13000.01E Post Office Saving Account	**0**	**0**
(B) 13000.02 Loan,Advances and Other Assets	**13,219,696**	**6,308,147**
13000.02A Loans	**0**	**42,000**
13000.02AA Loan to staff	0	42,000
13000.02AA3E Other Advance	0	42,000
13000.02AB Other Entities Engaged in Activities/Objective Similar to That Entity	0	0
13000.02AC Other	0	0
13000.02B Adv & Other Recoverable in Cash/ Kind or for Value to be Received	**9,250,989**	**2,620,948**
13000.02BA On Capital Account	0	0
13000.02BB Prepayments (Prepaid Expenses)	271,504	368,963
13000.02BC Security Deposit Made by WDRA	0	0
13000.02BD EMD made by WDRA	0	0

Name	Current Year	Previous Year
13000.02BE Advance to Others (Suppliers)	2,251,985	2,251,985
13000.02BF Sundry recoverable	6,727,500	0
13000.02BFA Sundry Recoverable - FCI	6,727,500	0
13000.02BFB Sundry Recoverable - FCI PVT. GDNS	0	0
13000.02BFC Sundry Recoverable-Others	0	0
13000.02C Income Accrued	**3,968,707**	**3,645,199**
13000.02CA On Investment from Earmarked/Endowment Fund	0	0
13000.02CB Accrued on Investment - Others	0	0
13000.02CC Accrued on Loan and Advances	0	0
13000.02CD Others (Includes Income due unrealized)	0	0
13000.02CE Accrued Interest	3,968,707	3,645,199
13000.02D Claim Receivable	**0**	**0**
TOTAL (A+B)	**146,185,772**	**114,587,498**

नवनीत संधु / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-12 INCOME FROM SALES/SERVICES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
30000.01 Income from Sales	**0**	**0**
30000.01A Sales of Finished Goods	0	0
30000.01B Sale of Raw Material	0	0
30000.01C Sale of Scraps	0	0
30000.02 Income from Services	**0**	**0**
30000.02A Labour and Processing Charges	0	0
30000.02B Professional/Consultancy Charges	0	0
30000.02C Agency Commission and Brokerage	0	0
30000.02D Maintenance Services (Equipment/Property)	0	0
30000.02E Others	0	0
TOTAL	**0**	**0**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार / T.K MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-13 GRANT/SUBSIDIES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
31000.01 Central Government (Min. of CAF & PD)	120,624,000	92,500,000
31000.01A Grant In Aid for Salary Head	50,500,000	32,500,000
31000.01B Grant In Aid for General Head	70,124,000	60,000,000
31000.02 State Government	0	0
31000.03 Government Agencies	0	0
31000.04 Institutions/Welfare Bodies	0	0
31000.05 International Organisation	0	0
TOTAL	**120,624,000**	**92,500,000**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार / T.K.MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) / IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-14 FEES/SUBSCRIPTIONS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
32000.01 Entrance Fee	0	0
32000.02 Fees/Subscriptions	0	0
32000.03 Seminar/program Fees	0	0
32000.04 Consultancy Fees	0	0
32000.05 Inspection Agency Empanelment Fees	0	0
32000.06 Other Fees	0	0
TOTAL	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-15 INCOME FROM INVESTMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
33000.01 INTEREST FROM INVESTMENT (Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33000.01A On Government Securities	0	0
33000.01B Other Bonds/Debentures	0	0
33000.02 Dividends	**0**	**0**
33000.02A On Shares	0	0
33000.02B On Mutual Fund and Securities	0	0
33000.03 Rents	**0**	**0**
33000.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL (Transferred to Earmarked/Endowment Fund)	**0**	**0**
33001.01 INTEREST FROM OTHER INVESTMENT	**0**	**0**
33001.01A Interest on Government Securities	0	0
33001.01B Interest on other Bonds/Debentures	0	0
33001.02 Dividends from Investment	**0**	**0**
33001.02A Dividend on Shares	0	0
33001.02B Dividend on Mutual Fund and Securities	0	0
33001.03 Rent Received	**0**	**0**
33001.04 Others (FD etc.)	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**
GRAND TOTAL	**0**	**0**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
34000.01 Income from Royalty	0	0
34000.02 Income from Publications	0	0
34000.03 Others	0	0
TOTAL	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-17 INTEREST EARNED FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
35000.01 Interest on Term Deposits	**21,526**	**32,937**
35000.01A From Schedule Bank	21,526	32,937
35000.01B From Non- Schedule Bank	0	0
35000.01C From Institutions	0	0
35000.01D From Others	0	0
35000.02 Interest on Saving Accounts	**422,260**	**358,324**
35000.02A From Schedule Bank	422,260	358,324
35000.02A1 Interest from PNB (Current)	422,260	358,324
35000.02A3 Interest from SBI (Savings)	0	0
35000.02A2 Interest from Canara Bank (Savings)	0	0
35000.02B From Non-Schedule Bank	0	0
35000.02C Interest from Post Office Saving Accounts	0	0
35000.02D Interest Others	0	0
35000.03 Interest from Loans	**0**	**0**
35000.03A Int. on loan from Employee/Staff	0	0
35000.03B Int. on loan (Others)	0	0
35000.04 Interest on Others	**0**	**0**
TOTAL	**443,786**	**391,261**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K.MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-18 OTHER INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
36000.01 Profit on Sale/Disposal of Assets	**0**	**5,097**
36000.01A Profit on Sale/Disposal of Owned Assets	0	5,097
36000.01B Profit on Sale/Disposal of assets acquired out of Grants or received free of cost	0	0
36000.02 Income from Export Incentives Realized	**0**	**0**
36000.03 Fee for Miscellaneous Services	**0**	**0**
36000.04 Prior Period Income	**0**	**0**
36000.05 Excess Provision/Liabilities Written Back	**1,500,174**	**1,192,516**
36000.06 Miscellaneous Income	**0**	**10,000**
36000.07 Receipts against Penalty	**0**	**0**
36000.07A Penalty - Repository	0	0
36000.07B Penalty - Warehousemen	0	0
36000.07C Penalty - Others	0	0
TOTAL	**1,500,174**	**1,207,613**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-19 INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) Closing Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
(b) Less Opening Stock	0	0
37000.01 Finished Goods	0	0
37000.02 Work in Progress	0	0
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-20 ESTABLISHMENT EXPENSES FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
40000.01 Salary and Wages	36,182,625	28,941,492
40000.01A Basic Pay	24,462,803	22,606,484
40000.01B Dearness Allowance (DA)	5,089,409	2,226,457
40000.01C Transport Allowance	1,713,441	914,955
40000.01D HRA	4,736,918	3,143,234
40000.01E Deputation Expenses	180,054	50,362
40000.02 Allowances and Bonus	742,420	267,679
40000.03 Employer Contribution to Provide Fund	1,179,810	281,959
40000.04 Contribution to Other Fund	0	0
40000.05 Medical Facility	1,068,467	355,797
40000.06 Expenses on Employment Retirement and Terminal Benefits	382,535	184,859
40000.06A Retirement Benefit-Gratuity (WDRA)	145,319	94,636
40000.06B Retirement Benefit-Leave Encasement (WDRA)	237,216	90,223
40000.07 Other Employee Expenses	4,755,448	2,957,554
40000.07A Leave Encashment	1,110,985	140,790
40000.07B Leave Salary Contribution	3,481,994	2,664,221
40000.07C Leave Travel Concession	162,469	152,543
40000.08 Other Expenses	117,292	31,000
40000.09 Employer Contribution to NPS/Pension	1,998,886	941,991
40000.10 Gratuity Contribution (On Deputation)	380,195	76,613
TOTAL	**46,807,678**	**34,038,944**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-21 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
41000.01 Purchase	0	0
41000.02 Labour and Processing Expenses	0	0
41000.03 Cartage and Carriage Inward	0	0
41000.04 Electricity and Water Charges	1,461,131	1,161,851
41000.05 Insurance	11,106	11,992
41000.06 Repairs and Maintenance	629,978	852,188
41000.07 Office Expenses	1,078,048	343,518
41000.08 Rent, Rates, Taxes	25,000	25,000
41000.09 Vehicles, Running and Maintenance	124,299	79,008
41000.10 Postage, Telephone and Communication Charges	777,771	718,644
41000.11 Printing and Stationery	532,727	445,050
41000.12 Travelling and Conveyance Expenses	1,416,308	967,661
41000.12A TA/DA Expenses	667,867	207,379
41000.12B Local Conveyance Expenses	51,090	55,777
41000.12D Taxi Hiring Charges	697,351	704,505
41000.13 Expenses on Training and Awareness Programme / Seminar	13,094,038	11,902,437
41000.13A Training of Warehousemen	2,808,190	3,318,461
41000.13B Awareness Programme of Farmers	10,131,266	8,507,451
41000.13C Seminar Conference and Workshop	154,582	76,525
41000.14 Subscription Expenses	0	0
41000.15 Sponsorship Fees	0	0
41000.16 Auditors Remuneration	265,600	253,100
41000.17 Expenses on System Inspection of Warehouse	16,634,243	7,230,145
41000.18 Professional Charges	7,439,516	6,398,009
41000.19 Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	0	0
41000.20 Irrevocable Balance Written-Off	0	0
41000.21 Studies	0	0
41000.22 Foundation Day Celebration Expenses	0	2,576
41000.23 Outsource Manpower (DEO) Expenses	5,767,212	5,032,696
41000.24 Advertisement and Publicity	840,218	375,413
41000.25 Legal Expenses	0	0
41000.26 Bank Charges	118	2,221
41000.27 Other Expenses	1,105,523	680,925
41000.27A Misc Exp	1,105,523	680,925
41000.28 Newspaper & Periodicals	155,770	93,367

Name	Current Year	Previous Year
41000.29 Paise Rounded off	1	0
41000.30 Prior Period Expenses	375,528	1,392,576
41000.31 Software O & M expenses	9,316,255	9,342,609
41000.32 CLOUD SERVICE EXPENSES	5,600,987	7,387,980
TOTAL	**66,651,377**	**54,698,966**

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/TK MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-22 EXPENDITURE ON GRANTS SUBSIDIES ETC. FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 42000.01 Grant given to Institution/Organisations	0	0
(b) 42000.02 Subsidies given to Institution/Organisation	0	0
TOTAL	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (व. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार / T.K.MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) / IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE-23 INTEREST PAID FOR THE PERIOD ENDED ON 31/03/2022

Amount (in Rs.)

Name	Current Year	Previous Year
(a) 43000.01 Interest Paid on Fixed Loans	0	0
(b) 43000.02 Interest Paid On other Loans	0	0
(c) 43000.03 Interest Paid - Others	0	0
TOTAL	0	0

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

i. The financial statements have been prepared in the prescribed form of Accounts as per the Warehousing (Development and Regulatory) Authority Annual Statement of Accounts and Records Rules, 2010).

ii. Accounts have been prepared on accrual basis for the current year i.e. 2021-22.

2. INVENTORY VALUATION

Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

3. FIXED ASSETS

Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

4. DEPRECIATION

i. Depreciation is provided on straight line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

ii. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Government grants/subsidies are accounted on realization basis

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

MANOJ MOHAN AND ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार / T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) / IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

SCHEDULE 25 - NOTES TO ACCOUNTS

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH 2022.

1. As per Section 49 of Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007,the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) is not liable to pay wealth-tax, income tax or any other tax in respect of their wealth, income, profits or gains derived

2. Section 37 of the Warehousing (Regulatory and Development) Act, 2007 provides that there shall be constituted a fund to be called the Warehousing Development and Regulatory Authority Fund and all Central Government grants, fees, charges received by the Authority, all sums received by the Authority from such other sources as may be decided by the Central Government, and all sums realized by way of penalties under this Act shall be credited thereto. However as per accounting procedure advised by Office of Controller General of Accounts (CGA) and concurred by the Office of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), all receipts of Authority will be credited to Consolidated Fund of India (CFI) under the minor head "105-Warehousing Development and Regulation receipts" below the Major Head "0408-Food Storage and Warehousing". The above accounting procedure is not in tune with the provisions of the Act. The amount received by the Authority against all receipts including Fee and Security Deposit from the warehouses and inspection agencies and interest earned thereon from Canara Bank/SBI etc. are being deposited in Canara Bank/SBI account and has been recorded under the Head 'Current Liabilities'. No expenditure is being done from this amount deposited in Canara Bank/SBI.

   The amount received on account of warehouse registration fee, security deposit, accreditation/inspection agency registration money/security deposit, interest thereon from Canara Bank/SBI, renewal fee etc. have been shown under the headings "Interest received", "Fees & Subscription" and "Other Income" in the Receipts and Payments Account.

   The Authority had written to the Department of Food and Public Distribution (DF&PD) to enquire from the Ministry of Finance and the Ministry of Corporate Affairs about the deposit of receipts similar to that of the SEBI, IRDA, PFRDA and CCI in the funds created at the Authority level. It was also requested that rather than insisting WDRA to deposit all the receipts in the Government Accounts (Consolidated Fund of India), the DF&PD may take up with CGA/CAG for creation of WDRA Fund and deposit of all receipts in it as per the provision of the Act. The DF&PD had not concurred to it comparing WDRA with constitutional bodies such as Office of CAG, Supreme Court, and UPSC etc. WDRA again requested the DF&PD to reconsider the matter and take up with the Department of Economic Affairs since the constitutional bodies with which the WDRA has been compared enjoy the specific provisions under Article 112 and 315 of the Constitution of India having their expenditure charged to the Consolidated Fund of India. As such, their autonomy is different and protected under these articles of the Constitution of India.

   The DF&PD had taken up the issue with the Department of Economic Affairs (DoEA), GOI. The DoEA vide its letter dated 16.07.2018 informed the accounting procedure to adopt by WDRA in this regard which suggest that all other receipts in the form of fees, income, charges etc. would be deposited in the WDRA Fund in Public Account of India after meeting operational requirements on monthly basis. The grants from Government would also be deposited in this Fund. For meeting its requirements, WDRA shall withdraw from this Fund in Public Account after making requisition to CA/CCA of DF&PD.

   WDRA agreed to the proposed accounting procedure of DEA to constitute WDRA Fund in Public Account of India and proposed to deposit all its receipts in WDRA Fund Public Account of India till WDRA becomes self-sufficient. WDRA will utilise grants received from the Government for the expenditure on its activities and thereafter withdraw from WDRA Fund for any additional requirement by making request to CCA/CA of DFPD. On acquiring self sufficiency, WDRA will meet its expenses from the receipts and deposit (except refundable security deposit/EMD) the balance to WDRA Fund in Public Account every month. Further, WDRA has not agreed for deposit of Government Grants to Public Accounts but to deposit in separate bank account maintained by WDRA for deposit of Govt. Grants and for receipts. It is also agreed by WDRA to deposit all sum realised by way of penalties and fines to Consolidated Fund of India (CFI). However operationalisation of this requires the amendment to W(D&R) Act, 2007. In this regard, the proposal for amendment to W(D&R) Act, 2007 is already submitted to the DFPD. Till then the penalties and fines shall be deposited in separate bank account maintained by WDRA and transfer to CFI after notification of said amendment to W(D&R) Act.

   In brief, WDRA had agreed to the following:-

a. WDRA would deposit its receipts every month in Public Account under WDRA Fund and meet its operational requirements from Grants-in-Aid. The amount so deposited in the Public Account may be made available to WDRA expeditiously to meet its expenses as and when requested.

b. It was suggested by WDRA that in compliance to provisions of Section 37(I)(a) of the W(D&R) Act,2007, the Grants-in-Aid shall be deposited in the WDRA Fund in the Public Account and immediately transferred to WDRA's bank account for meeting expenses.

c. The sums realized as penalties & fines will be credited to CFI as suggested by MoF. However, this requires amendment

to W(D&R) Act,2007. The detailed proposal for Act Amendment has already been sent to DFPD. After amendment in Act, amount so collected if any, will be remitted to CFI.

WDRA has again taken up the issue with the DFPD vide letter dated 25.3.2021. The reply of the DF&PD is awaited.

3. The cost of stationary and printing being consumables have been charged to revenue expenditure.

4. Capital Expenditure on purchase of the fixed assets made in connection with the discharge of the functions of the Authority has been shown as utilization of fund in Utilization Certificate and it is accounted for as fixed assets in the Books of Account and depreciation thereon is charged to Income & Expenditure Account.

5. Amount received as Grants-in-Aid from Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Food & Public Distribution, Government of India, is accounted under the head Grant/Subsidies. Surplus/Deficit of Income over revenue expenditure is transferred to Corpus/Capital Fund.

6. The Accounts are maintained on accrual basis of Accounting whereas Receipts & Payments account is prepared on Cash Basis. The difference in Establishment & Administrative Expense of Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account is due to payment yet to be made.

Establishment Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2021-22	For the Year 2020-21
Establishment Expenses (As Per Schedule 20)	4,68,07,678	3,40,38,944
Less:- Closing Establishment Liabilities	69,35,445	58,56,763
Less:-Opening Establishment Assets	NIL	NIL
Net Payment	3,98,72,233	2,81,82,181

Administrative Expenses (Amount in Rs.)

Particular	For the Year 2021-22	For the Year 2020-21
Administrative Expenses (As Per Schedule 21)	6,67,83,877	5,46,98,966
Less:- Closing Administrative Liabilities	1,27,05,309	38,80,248
Less:-Opening Administrative Assets	3,61,553	3,12,227
Net Payment	5,37,17,015	5,05,06,491

7. The WDRA has entered into Memorandum of Understanding (MOU) on 30th March, 2016 with National Cooperative Union of India (NCUI) for taking office premises on lease of 56 years (from the date of occupation) on the 4th Floor of NCUI building at 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016. WDRA has paid a sum of Rs.17.42 Crore.

8. As per MOU dated 30th March, 2016, it has been agreed between the parties that if the period of tenancy is reduced/ shortened (from the agreed period of 56 years) on account of inability or refusal to obtain permission of Income Tax Authorities, Delhi Development Authority or failure/ refusal of Registration of the Lease Deed by NCUI or for any other

reason whatsoever, then in the said eventuality, the NCUI shall pay to the WDRA by way of refund of total amount paid, the sum equivalent to the unexpired lease period in the worksheet, as per the sheet attached with the MOU. Necessary lease deed between NCUI and WDRA has been registered on 1st February,2019.

9. Provisions for Gratuity and Leave Encashment in respect of regular employees have been made on the basis of actuarial valuation report. Assumptions considered in the valuation are as under:-

1.	**Membership Data**	
	Number of Members	2
	Total monthly salary	Rs. 1.83 Lakh
	Average Past Service (Years)	5.13
	Average age (Years)	53.01
2.	**Valuation Method**	Projected Unit Credit Method
3.	**Actuarial Assumption**	
	Mortality & Morbidity Rate	100% of IALM (2012-14)
	Discount Rate	6.70 % p.a.
	Salary Escalation	8%
	Benefit Value (Gratuity ceiling)	Rs. 20,00,000

10. The fully depreciated assets have been kept with written down value (WDV) of Rs. 1/- to recognise in the books of accounts.

11. All the Income earned by WDRA during the financial year has been shown as liability and transferred to Sundry Payable Account under schedule-7 in view of CAG observation being payable to Government of India. (Refer sl. No.2 above)

12. Interest earned as shown in Schedule 17 is interest received in the bank account maintained with the PNB.

13. Security Deposit received from the warehousemen in the form of FDRs/Bank Guarantees/I-Bonds as on 31.3.2022 is Rs. 92.72 crore.

14. Opening balances/ Corresponding Figures for previous year have been regrouped/ rearranged/re- casted wherever necessary.

नवनीत संधू / Navneet Sandhu
उप निदेशक (प्र. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY

4th Floor, NCUI Building, August kranti Mrg. Hauz Khas, New Delhi

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31.03.2022

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. OPENING BALANCES			**I. EXPENSES**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses *	39,872,233	29,182,187
b) Bank Balance			[Corresponding to Schedule 20]		
i) In Current Account (PNB)	10,136,491	13,063,891	b) Administrative Expenses**	53,584,515	50,506,491
ii) In Deposit Account	561,987	542,234	[Corresponding to Schedule 21]		
iii) Saving Account (Canara Bank)	97,580,873	81,778,001	II. Payments made against funds for various projects		
II. GRANT RECEIVED			III. Investments and deposits made		
a) From Govt. of India			a) Out of Earmarked/Endowment Funds		
i) In Salary Fund	50,500,000	32,500,000	b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
ii) In General Fund	70,124,000	60,000,000	IV. Expenditure on Fixed Assets and Capital Work-in-Progress		
b) From State Govts.	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	1,316,273	1,517,354
c) From Other Sources (details)			b) Expenditure on Capital Work-in-Progress	-	-
(Grants for capital and revenue exp. To be	-	-	V. Refunds of Surplus Money/Loans		
shown separate amt.)	-	-	a) To the Govt. Of India	-	-
III. INCOME FROM SALES & SERVICE			b) To the State Govt.	-	-
a) Income from Sales			c) To other Providers of Funds	-	
b) Income from Service			VI. Interest Paid		
IV. INCOME FROM INVESTMENT			VII. Other Payments		
a) Earmarked/Endowment Funds			- Advance to Others (Suppliers)	2,240,395	2,240,395
b) Own Funds (Other Investment)			- Prepayments	254,094	368,963
V. INCOME FROM ROYALTY ETC.			-TA Advance	-	-
a) Royalty			-LTC Advance	-	-
b) Publication			-Other Advance	-	42,000
c) Others			-Temporary Advance	-	-
VI. INTEREST RECEIVED			-Temporary Advance-refundable	13,429	-
a) On Term Deposit	-	-	-Refund of EMD	-	-
b) On Bank Deposits (Savings)			-Refund of Security Deposit	-	476,860
i) PNB	455,197	385,421			-
ii) Canara Bank	4,606,321	5,607,708	-Refund of Warehouse/Inspection Agency Reg/	40,000	185,000
iii) SBI	1,652	-	Renewal Fees(Sundry Payable)		
c) On Loans and Advances			Payment to Other Opening Current Liability	12,201,404	11,178,854
d) On Others			Payment for Inspection of FCI Warehouses	6,727,500	
VII. FEE & SUBSCRIPTIONS					
i) Enterance Fee	-	-	VIII. Closing Balances		
ii) Annual Fee/Subscription	2,000,000	2,000,000	a) Cash in Hand		-
iii) Warehouse/Inspection Agency Reg/Renewal Fees	13,158,240	8,788,455	b) i) In current Accounts (PNB)	14,866,415	10,136,491
iv) Seminar Prog. Fee	-	-	ii) In Deposits Accounts(Fixed Deposit)	746,846	561,987
v) Consultancy Fee	-	-	iii) Saving Accounts (Canara Bank)	113,874,904	97,580,873
vi) Inspection Agency Empanelment Fee	-	50,000	iv) Saving Accounts (SBI)	3,477,911	
vii) Other Fee	-	-			
VIII. OTHER INCOME	-	-			
i) Misc Receipts	35,729	7,650			
ii) EMD	-	-			
iii) Security Deposit	10,000	13,140			
iv) Stale cheque	-	-			
v) Refund of Advance					
TA Advance	-	4,727			
LTC Advance	-	228,597			
Other Advance	42,000	-			
Temporary Advance	13,429	7,165			
		-			
Total	**249,225,919**	**204,976,989**	**Total**	**249,225,919**	**204,976,989**

*refer Note No. 8 of Schedule 25

नवनीत संधु / Navneet Sandhu
उप निदेशक (ले. एवं वित्त और अनुबंध)
Dy. Director (A & F and Contract)
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार / Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

मुकेश कुमार जैन
Mukesh Kumar Jain
सदस्य/Member
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
भारत सरकार/Government of India
हौज खास, नई दिल्ली-110016
Hauz Khas, New Delhi-110016

टी.के. मनोज कुमार/T.K. MANOJ KUMAR
भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त)/IAS (RETD.)
अध्यक्ष/Chairperson
भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण
Warehousing Development and Regulatory Authority
(भारत सरकार/Government of India)
हौज खास, नई दिल्ली-16/Hauz Khas, New Delhi-16

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 38 (2) के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष की लिए डब्ल्यू० डी० आर० ए० के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व डब्ल्यू डी आर ए के प्रबन्धन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है।

2. इस अलग रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोतम लेखाकरण प्रक्रियाओं, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में शामिल की गई हैं। विधि के अनुपालन, नियम एवं विनियमन (औचित्य एवं नियमितता) तथा कुशलता–सह–निष्पादन पहलू, यदि कोई है, के बारे में वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्टो /सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टो के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण किसी तरह की गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटन और राशियों को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जाँच शामिल होती हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है की हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i हमने वे सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ii तुलन पत्र, आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, जो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   iii हमारे मतानुसार लेखा बहियाँ डब्ल्यू० डी० आर० ए० द्वारा समुचित लेखा बहियाँ तथा अन्य संबंधित रिकार्ड भांडागारण (विकास और विनियामक) अधिनियम, 2007 की धारा 38(1) के अंतर्गत रखे गए हैं जैसा कि लेखा बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

   iv हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:–

क. तुलन पत्र

देयताएँ

चालू देयताएँ प्रावधान (अनूसूची–7): 13.68 करोड़ रू

क.1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 1.49 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को रिफंड़ की जानी चाहिए थी। तथापि प्राधिकरण ने अनुसूची 7 में चालू देयताओं के अन्तर्गत न तो व्यय न हुई राशि रिफंड की है और न इसे मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके फलस्वरूप 1.49 करोड़ राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।

ख. सामान्य

ख.1 प्राधिकरण के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में 10.98 करोड़ रू की राशि है, की जो भारत की समेकित निधि में क्रेडिट की जानी थी। इसी राशि को सी.एफ.आई को हस्तांतरित नहीं किया गया तथा केनरा बैंक में अलग खाते में रखा गया है। यह टिप्पणी वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए के एस.आर.ए में भी उठाई गई थी। तथापि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ग. अनुदान सहायता

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 12.06 करोड़ रू की अनुदान सहायता प्राप्त की थी। प्राधिकरण के पास 10.77 करोड़ रू (शुल्क एवं अंशदान – 9.76 करोड़ रू सरकारी अनुदान 1.01 करोड़ रू) तथा आंतरिक प्राप्तियों के 2.03 करोड़ रू (1.51 करोड़ शुल्क एवं अंशदान तथा 0.52 करोड़ स्वयं की प्राप्ति) अथशेष था। कुल अनुदान 24.86 करोड़ रू में से इसने 11.64 करोड़ रु. (राजस्व 11.51 + पूंजी 0.13 करोड़) का उपयोग किया तथा 13.22 करोड़ रु. (शुल्क तथा अंशदान 11.73 करोड़ रु. के तथा 1.49 करोड़ रू सरकारी अनुदान) शेष रह गया ।

V. पूर्व के पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया है वे लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

VI. हमारे मत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरणों को लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित किए जाने पर तथा ऊपर दिये गए मामलों एवं इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित मामलों में भारत में सामान्य रूप में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार सही तथा स्पष्ट तस्वीर मिलती है:–

(क) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, 31 मार्च, 2022 को भण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के मामले मे ; और

(ख) जहाँ तक इसका उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में आय एवं व्यय लेखे के अतिशेष के मामले में।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(कीर्ति तिवारी)
महा निदेशक–लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थानः नई दिल्ली
दिनाँकः14.10.2022

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

   प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की गई तथा केवल एक पैरा बकाया थे।

2. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

   प्राधिकरण आंतरिक प्रणाली पर्याप्त है,

3. **अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली**

   31 मार्च, 2022 तक वस्तु सूची तथा सम्पत्ति अर्थात् फर्नीचर एवं फिक्सर तथा कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री का सत्यापन किया गया।

4. **वस्तु सुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   31 मार्च, 2022 तक वस्तु सूची जैसे पुस्तकें, प्रकाशनण लेखन सामग्री तथा उपभोज्य मदों का सत्यापन किया गया।

5. **सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता**

   31 मार्च 2022 को 6 महीने से अधिक कोई सांविधिक भुगतान बकाया नहीं था ।

अनुलग्नक–III

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग रिपोर्ट पर डब्लू डी आर ए के उत्तर / टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
क. तुलन पत्र देयताएँ चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनूसूची–7): 13.68 करोड़ रू	क.1 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान की व्यय न हुई 1.49 करोड़ रूपए की राशि मंत्रालय को रिफंड़ की जानी चाहिए थी। तथापि प्राधिकरण ने अनुसूची 7 में चालू देयताओं के अन्तर्गत न तो व्यय न हुई राशि रिफंड की है और न इसे मंत्रालय को बतौर रिफंडएबल के रूप में प्रदर्शित किया है। इसके फलस्वरूप 1.49 करोड़ राशि के लिए चालू देयताएँ कम तथा पूंजी निधि अधिक दिखाई गई है।	प्राधिकरण का खाता प्रोद्भवन आधारित है। उपयोग न की गई राशि के संबंध में मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्र सं. जी–20011/1/2018–ए एवं एफ दिनाँक 18.04.2022 द्वारा सूचित किया गया था। अनुपभुक्त राशि रू. 1.49 करोड़ (दिनाँक 31.3.2022 को प्राप्त रू.0.70 करोड़ सहित) वर्ष 2021–22 में पूर्ण किए गए कार्यों/कार्यकलापों के लिए प्रतिबद्ध थे। इसे वर्ष 2022–23 की अवधि में व्यय किया गया। अतएव, इसे प्राधिकरण के चालू दायित्व के रूप में नहीं माना गया। इसकी गत वर्ष में पूर्ण किए गए कार्यों/कार्यकलापों के लिए आवश्यकता थी। अतः इसे बनाए रखना अपेक्षित था। अतः इसे चालू दायित्वों में कम एवं पूंजीगत निधि में अधिक नहीं दिखाया गया था। 1.49 करोड़ रू. को पहले ही चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय किया गया है।
ख. सामान्य	ख.1 प्राधिकरण के पास शुल्क एवं अंशदान के रूप में 10.98 करोड़ रू की राशि है, (अनुसूची–7) जो भारत की समेकित निधि में क्रेडिट की जानी थी। इसी राशि को सी.एफ. आई को हस्तांतरित नहीं किया गया तथा केनरा बैंक में अलग खाते में रखा गया है। यह टिप्पणी वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लिए डब्ल्यू.डी.आर.ए के एस.आर.ए में भी उठाई गई थी। तथापि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	यह उल्लेख करना है कि पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क आदि सभी प्राप्तियां (अनुदान के अतिरिक्त) केनरा बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ब्याज और प्रतिभूति जमा केनरा/ बैंक एस बी आई में जमा की जाती हैं। कुल राशि अर्थात् 10.98 करोड़ रु. (लेखा शीर्ष "26000.01 बीबी4 विविध भुगतान योग्य" अनुसूची–7, चालू देयताएं तथा प्रावधान के अन्तर्गत प्रदर्शित) में से 1.15 करोड़ रु. प्रतिभूति जमा राशि सरकार को देय नहीं है क्योंकि यह भांडागारपालों को वापसी योग्य है। दिनाँक 31.3.2022 तक सरकार को वापस की जा सकने वाली राशि रू. 9.83 करोड़ मात्र है, जिसमें उपार्जित ब्याज रू. 0.40 करोड़ सम्मिलित है। डब्लू.डी.आर.ए की प्राप्तियाँ शुल्क, आय, प्रभार आदि को सी. एफ.आई. में जमा करने का मामला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डी.एफ.एण्ड.डी) द्वारा आर्थिक मामले विभाग, भारत सरकार के साथ उठाया गया था। आर्थिक कार्य विभाग ने सुझाव दिया है कि डब्लू.डी.आर.ए की उपरोक्त प्राप्तियों को प्रत्येक माह भारत के लोक खाते में डब्लू.डी.आर.ए निधि में जमा किया जाए। इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में बैठक आयोजित की गई थी। डब्लू.डी.आर.ए भारत के लोक खाते में डब्लू.डी.आर.ए निधि के गठन के लिए आर्थिक कार्य विभाग की प्रस्तावित लेखा प्रक्रिया पर सहमत था तथा सभी प्राप्तियों जैसे शुल्क प्रभारों आदि को भारत के लोक खाते में डब्लू.डी. आर.ए निधि में जमा करने को प्रस्तावित किया था। यह सुझाव दिया गया था कि भांडागारण (विकास एवं विनियमन) के अधिनियम के अनुपालन में अनुदान सहायता लोक लेखा में डब्लू.डी.आर.ए निधि में जमा की जाय तथा परिचालन खर्च पूरा करने के लिए डब्लूडीआरए के बैंक खाते में तुरन्त जमा किया जाए।

टिप्पणी सं	ऑडिट टिप्पणी	ऑडिट टिप्पणियों के उत्तर
		डब्लूडीआरए दंड और जुर्माने के माध्यम से प्राप्त सभी राशियां भारतीय संचित निधि (सी.एफ.आई) में जमा कराने के लिए सहमत था। हलांकि, इसके संचालन के लिए डब्लू.(डी एण्ड आर) अधिनियम, 2007 में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। संशोधन होने तक पेनल्टियां तथा जुर्माना डब्लूडीआरए द्वारा मैंटेन किए गए अलग बैंक खातें में जमा किया जायेगा तथा उपरोक्त अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना के पश्चात इसे सी.एफ.आई. में हस्तांतरित किया जायेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उत्तर की प्रतिक्षा है। अनुसूची 25 में पैरा (2) के तहत खातों पर टिप्पणियाँ करने के बारे में विस्तार से बताया/खुलासा किया गया है। इस संबंध में लेखा परीक्षा के समय स्थिति स्पष्ट की गई तथा पत्राचार भी दिखाया गया। डब्लूडीआरए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सलाह को क्रिन्यावित करेंगा तथा प्रतिभूति जमा/ईएमडी को छोड़कर पूरी राशि सरकार के साथ सृजित प्रस्तावित लोक लेखा में हस्तांतरित करेगा। इस संबंध में डब्लूडीआरए द्वारा समस्त कार्रवाई की गयी है।
ग. अनुदान सहायता	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 12.06 करोड़ रू की अनुदान सहायता प्राप्त की थी। प्राधिकरण के पास 10.77 करोड़ रू (शुल्क एवं अंशदान – 9.76 करोड़ रू सरकारी अनुदान 1.01 करोड़ रू) तथा आंतरिक प्राप्तियों के 2.03 करोड़ रू (1.51 करोड़ शुल्क एवं अंशदान तथा 0.52 करोड़ स्वयं की प्राप्ति) अथशेष था। कुल अनुदान 24.86 करोड़ रू में से इसने 11.64 करोड़ रु. (राजस्व 11.51 + पूंजी 0.13 करोड़) का उपयोग किया तथा 13.22 करोड़ रु. (शुल्क तथा अंशदान 11.73 करोड़ रु. के तथा 1.49 करोड़ रू सरकारी अनुदान) शेष रह गया ।	वित्तीय वर्ष में अनुदान सहायता की कुल प्राप्ति 12.06 करोड़ रू पीएनबी में थी। वर्ष के दौरान ब्याज/अन्य प्राप्तियाँ 0.06 करोड़ थी। वर्ष 2020–21 की 1.01 करोड रू अग्रेनीत राशि जोड़ने पर प्राधिकरण के पास कुल राशि 13.13 करोड़ रू बनती है। वर्ष 2021–22 में कुल व्यय 11.64 करोड़ रू था। अतः 31.3.2022 को अनुदान सहायता के विरूद्ध व्यय न हुई शेष राशि 1.49 करोड़ रू केवल है जिसे पीएनबी में रखा गया। प्राधिकरण की 31.03.2022 तक 11.74 करोड़ की कुल प्राप्तियां (अनुदान सहायकता को छोड़कर) केनरा बैंक/एसबीआई में जमा की गई थी जिसे व्यय न किया गया शेष नहीं माना जाना चाहिए। ये राशियां प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण शुल्क, नवीकरण शुल्क, प्रतिभूति जमा आदि के रूप में प्राप्त की गई है। सीजीए ने इस राशि को सीएफआई में जमा करने की सलाह दी है जिसके लिए प्राधीकरण ने सरकार को इसे प्राधिकरण के पास व्यय हेतु रखने का अनुरोध किया है जैसा कि भांडागारण (विकास विनियमन) अधिनियम में प्रावधान है। इसे अनुसूची 25 लेखा टिप्पणियां के पैरा (2) उपरोक्त (ग1) में स्पष्ट किया गया है। ये प्राप्तियां (प्रतिभूति को छोड़कर) सरकारी खाते/सीएफआई में जमा करने हेतु सरकार को दिए जाने के लिए देयता के रूप में दिखाई गई है बशर्ते कि अन्तिम रूप में इन्हें सरकारी खाते/सीएफआई में जमा करने का निर्णय हो जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि व्यय के लिए डब्लूडीआरए के पास कोई प्राप्ति उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक I में दिए गए अवलोकन पर उत्तर/टिप्पणियाँ		
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की गई तथा केवल एक पैरा बकाया था।	यह तथ्यात्मक है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	प्राधिकरण की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है।	यह तथ्यात्मक है।
3. अचल परिसम्पतियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली	31 मार्च, 2022 तक वस्तु सूची तथा सम्पत्ति अर्थात् फर्नीचर एवं फिक्सर तथा कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री का सत्यापन किया गया।	यह तथ्यात्मक है।
4. वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	31 मार्च, 2022 तक वस्तु सूची जैसे पुस्तकें, प्रकाशन, लेखन सामग्री तथा उपभोज्य मदों का सत्यापन किया गया।	यह तथ्यात्मक है।
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता	31 मार्च 2022 को 6 महीने से अधिक कोई सांविधिक भुगतान बकाया नहीं था ।	यह तथ्यात्मक है।

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

WDRA
Warehousing Development & Regulatory Authority

वेयरहाउसिंग कारोबार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडीआरए के साथ अपने वेयरहाउस का पंजीकरण कराएं

डब्ल्यूडीआरए द्वारा भांडागारों का ऑनलाइन पंजीकरण और इ-एनडब्लूआर जारी करने की सुविधा है

- परेशानी–मुक्त एवं उपस्थित हुए बिना पोर्टल पर ऑन–लाइन भांडागार पंजीकरण
- केवल पंजीकृत वेयरहाउस ही इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद जारी कर सकते हैं
- शिकायत निवारण/विवाद समाधान हेतु तीव्र प्रणाली
- भांडागारपालों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण
- प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट समितियों/किसान उत्पादक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के भांडागारों के पंजीकरण के लिए आसान शर्तें
- डब्लूडीआरए मानकों और नियामक अनुपालनों के कारण पंजीकृत भांडागारों पर अधिक भरोसा

डब्लू.डी.आर.ए

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

चौथी मंजिल, एन.सीयू.आई भवन, 3, सीरी इंस्टीट्युश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली–110016

फोन नं०. : 011–49536496, फैक्स नं०. 26515503, वेबसाइट : **www.wdra.gov.in**